



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 66

अंक : 12


पृष्ठ : 52

अक्टूबर 2020

मूल्य : ₹ 22



जल और स्वच्छता



पीएम मत्स्य संपदा योजना और ई-गोपाला ऐप लांच






प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 सितंबर, 2020 को बिहार से मछली उत्पादन, डेयरी, पशुपालन और कृषि में अध्ययन एवं अनुसंधान से संबंधित पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। साथ ही, ई-गोपाला ऐप और कई पहलों का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज इन सभी योजनाओं को शुरू करने का उद्देश्य हमारे गांवों को सशक्त बनाना और 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मत्स्य संपदा योजना भी इसी उद्देश्य से शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इस योजना का देश के 21 राज्यों में शुभारंभ किया जा रहा है। यह धनराशि अगले 4-5 साल में खर्च की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से मछली उत्पादकों को नया बुनियादी ढांचा, आधुनिक उपकरण और नए बाजारों तक पहुंच के साथ ही कृषि के साथ अन्य साधनों/माध्यम से ज्यादा अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद ऐसा पहली बार है कि देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना की शुरुआत की गई है। श्री मोदी ने कहा कि क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से मत्स्य पालन से संबंधित मुद्दों को




प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ मत्स्य पालन से जुड़े किसानों के लिए बड़ी सौगात

-  मत्स्य पालन क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपये का निवेश
-  70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन का लक्ष्य
-  55 लाख रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
-  मत्स्य किसानों और मछुआरों की आय में वृद्धि होगी
-  मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये का करने का लक्ष्य

देखने के लिए भारत सरकार ने एक अलग मंत्रालय का गठन किया है। इसे मछुआरों और मछली पालन व बिक्री से संबंधित साधियों को खासी सुविधा होगी। अगले 3-4 साल में मछली निर्यात भी दोगुना करने की योजना है। इससे सिर्फ मछली पालन क्षेत्र में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मछली पालन काफी हद तक स्वच्छ जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है और स्वच्छ गंगा मिशन से इस दिशा में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में नदी परिवहन की दिशा में हो रहे काम का फायदा उठाने के लिए भी मत्स्य पालन क्षेत्र तैयार है। इस साल 15 अगस्त को घोषित मिशन डौल्लिफन का भी मत्स्य पालन क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों के तेज विकास के लिए गांवों में वैज्ञानिक विधियों को अपनाना और आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण आवश्यक है। बिहार कृषि से संबंधित शिक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश में सभी गांवों को विकास के इंजन के रूप में मजबूत बनाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहायता दी जा रही है।



पशुपालकों को समृद्ध व आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री द्वारा ई-गोपाला ऐप का शुभारंभ

-  पशु उत्पादकता बढ़ाने हेतु ऑनलाइन डिजिटल माध्यम
-  उन्नत पशुधन खरीदने की सुविधा, विचौलियों से मुक्ति मिलेगी
-  पशु के स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी कम लागत वाली तमाम जानकारियां मिलेगी
-  किसानों को उनके क्षेत्र में आयोजित टीकाकरण शिविरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूचना मिलेगी
-  अलर्ट की सुविधा से किसानों को गर्भवती पशु के प्रजनन की तिथि, अगली हीटसाइकिल की तिथि आदि की सूचना मिलेगी





कुरुक्षेत्र

इस अंक में



वर्ष : 66 * मासिक अंक : 12 * पृष्ठ : 52 * आश्विन-कार्तिक 1942 * अक्टूबर 2020

प्रधान संपादक: धीरज सिंह

संस्थापक संपादक : ललिता स्त्रुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : ए.के. रामास्वामी

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

ई-मेल : kuru_hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र भगवाने की दरे

एक प्रति : ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230,

द्विमासिक : ₹ 430, त्रिमासिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैशियर मार्गदर्शक क्लिपार्थों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों से किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए कुरुक्षेत्र उत्तरदायी नहीं है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु इस पते पर मेल करें ई-मेल : pdjucir@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई-मेल पर लिखें या संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)

प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग,
प्रकाशन विभाग,

कमरा नं. 56, मुहल, सूचना भवन,

सीजीओ परिसर, लोधी रोड,

नयी दिल्ली-110003



जल और स्वच्छता की दिशा में पहल 5

-अविनाश मिश्रा और डॉ. नम्रता सिंह पंचा

नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रभाव और प्रगति 10

-राजेंद्र मिश्रा

भारत को ओडीएफ बनाए रखने की चुनौती 15

-चिरंजीवी तिवारी

स्वस्थ भारत के लिए जल और स्वच्छता 20

-डबंशी प्रसाद

ग्रामीण भारत में जल और स्वच्छता प्रबंधन 24

-डॉ. विश्वरंजन

महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता सरोकार 29

-संतोष जैन पासो, आकांक्षा जैन

सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत का बिज़न 35

-नैलमणि शर्मा

पूर्वोत्तर भारत में साफ-सफाई और जल उपलब्धता 41

-डॉ. प्रदीप कुमार मुखर्जी

स्वच्छ भारत मिशन 45

-संजय श्रीवास्तव

जल जीवन मिशन : सामुदायिक भागीदारी के 48

माध्यम से जल प्रबंधन

मध्यप्रदेश में आदिवासियों के घरों में 'नल से जल' 49



प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नयी दिल्ली	पुरतक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367250
दिल्ली	हाल सं. 106, पुराना सचिवालय	110054	011-23890205
नयी मुंबई	701, सी-विंग, रघुवी नजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एम्प्लॉयमेंट इंस्ट	700089	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बस्तन नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330850
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूरभाष ताल, सीजीओ टावर, फतदिगुजा सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बैंगलुरु	कस्ट एलौर, 'ए' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25532244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0812-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दुतारा ताल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैन्थुन टॉवर, जौबी नजिल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू द्विज चानेर, आश्रम रोड, आहमदाबाद	380009	079-26588669

किसी भी समाज के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता की सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। परंतु हमारे देश में 2014 से पहले इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया। 15 अगस्त, 2014 को लालकिले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की तो इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह मिशन एक जन-आंदोलन बन जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करते हुए देश की जनता का आह्वान किया— 'ना गंदगी करेंगे, ना करने देंगे'।

प्रधानमंत्री के इस आह्वान का देश की जनता ने खुले दिल से सम्मान किया और देशभर में खुले में शौच की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दिशा में एक आंदोलन छिड़ गया जिसकी बहाल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर देश खुले में शौचमुक्त हो गया। इस मिशन की सफलता की चर्चा देश-विदेश में भी हुई। पांच साल की अवधि में इस मिशन के तहत 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए।

स्वच्छता भूजल, सतही जल, मिट्टी तथा वायु सहित पर्यावरण के सभी पहलुओं और सभी क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है। निःसंदेह स्वच्छ भारत मिशन से देश में भूजल के दूषित होने के प्रतिशत में कमी आई है और देश के खुले में शौचमुक्त यानी ओडीएफ हो जाने का लोगों के जीवन और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन चरण-11 यानी ओडीएफ प्लस भारत की मुहिम शुरू हो चुकी है।

जल जीवन मिशन के तहत 2024-25 तक 'हर घर नल में जल' पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में लगभग 6.35 करोड़ ग्रामीण परिवार हैं जिन्हें नल जल कनेक्शन उपलब्ध हैं। पूरे देश में 2 करोड़ से अधिक परिवारों को पिछले एक साल के दौरान मिशन के लांच किए जाने के बाद से नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। एक लाख से अधिक परिवारों को प्रतिदिन के आधार पर नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्तमान में 28 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाईप युक्त जलापूर्ति की जा रही है जिससे ना केवल ग्रामीण महिलाओं की मुश्किलें कम हुई हैं बल्कि उनकी सुरक्षा और मर्यादा भी आश्वस्त हुई है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भारत में बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुका है क्योंकि शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप कूड़े-कचरे की मात्रा बहुत बढ़ गई है। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या और लोगों के जीवन-स्तर में सुधार से यह समस्या और भी जटिल हुई है। स्वच्छ भारत मिशन चरण-11 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई है। पुणे, इंदौर और अम्बिकापुर को मॉडल शहरों के रूप में विकसित किया गया है। इन शहरों ने कूड़े-करकट का दक्षतापूर्ण संग्रह करने, उसकी छंटाई और प्रसंस्करण की सुविधाएं विकसित की हैं।

पर्यावरण का खतरा भी पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। विश्व भर में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग ने पर्यावरण के लिए गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। खासतौर से सिंगल यूज प्लास्टिक बेहद खतरनाक है चूंकि यह नष्ट नहीं होता है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री सिंगल यूज प्लास्टिक-मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करना चाहते हैं। इस दिशा में देश में प्रयास तो हो रहे हैं लेकिन उनकी रफ्तार काफी धीमी है। विश्वभर में वायु प्रदूषण भी काफी बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी और स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वायु की अहमियत को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस बनाए जाने को मंजूरी दी। इस साल 7 सितंबर को दुनिया भर में पहला नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में 10 में से 9 लोगों के अशुद्ध हवा में सांस लेने के आंकड़ों पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताई थी।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर चौथी बार प्रथम स्थान पर रहा है। इंदौर में 18 तरीकों से कचरा अलग किया जाता है और वहां आज का कचरा आज ही खत्म करने हेतु डोर डोर कचरा एकत्र करने का प्राइमरी सिस्टम लागू किया गया है। इंदौर प्लास्टिक-मुक्त भी हो चुका है। यहां शादी समारोह में भी बर्तनों का उपयोग किया जाता है और इसके लिए निशुल्क बर्तन बैंक शुरू किए गए हैं। इंदौर में 45000 घरों में घरेलू कचरे से खाद बनाई जा रही है, इतने बड़े पैमाने पर यह प्रयोग करने वाला इंदौर देश का पहला शहर है। वास्तव में इस शहर से पूरे देश को प्रेरणा लेनी चाहिए। गुजरात की राजधानी गांधी नगर भी अब पूरी तरह प्लास्टिक-मुक्त हो चुकी है और इसके पीछे गांधी नगर के निवासियों का खुद का संकल्प है। इसके लिए गांधी नगर में 10000 लोगों को स्वच्छता नायक के तौर पर तैयार किया गया जिसमें पान वाला, घाय वाला, ऑटो वाला, प्रकृति प्रेमी, वॉलंटियर्स शामिल थे। चेन्नई में कचरे के प्रबंधन के लिए घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के साथ ऐप भी बनाया गया है।

ओडीएफ भारत की यथार्थिथि कायम रखने के साथ-साथ स्वच्छता के पैमाने को और आगे ले जाने की जरूरत है। आज हमारे सामने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हर घर सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की चुनौती है। साथ ही, प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता और साफ-सफाई का महत्व समझाने और जल-संरक्षण के संदर्भ में जागरूक करने की जरूरत है। आम जनता का यह नैतिक, मानवीय और कानूनी कर्तव्य है कि यह सीमित और अमूल्य संसाधनों के संरक्षण और सीमित उपयोग के प्रति सचेत हो। अगर हम अब भी अपने कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं हुए तो इस सुंदर सृष्टि का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। कोरोनाकाल में लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि हमारी गतिविधियों से पशु-पक्षी और प्रकृति कितने अधिक प्रभावित हो रहे हैं। इस महामारी को भविष्य की एक चेतावनी समझते हुए हमें अब आगाह होने की जरूरत है क्योंकि प्रकृति सभी की है और सभी के लिए है।

जल और स्वच्छता की दिशा में पहल

—अविनाश मिश्रा और डॉ. नम्रता सिंह पंचार

केंद्र के साथ-साथ कई राज्य भी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जल संरक्षण और स्वच्छता की बेहतर कार्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के लिए अभिगम कदम उठा रहे हैं। केंद्र और राज्यों के प्रयासों से देश में जल और स्वच्छता के समग्र परिदृश्य में अग्रगण्य बदलाव लाया है। इस लेख में उन योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है जो इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के बारे में भावी कार्ययोजना का खाका प्रस्तुत करती हैं जिनको आने वाले समय में कार्यरूप में परिणित करना होगा जिससे भारत एक जल सुरक्षित और स्वच्छ देश बन सकेगा।

पिछले कुछ वर्षों में आई रिपोर्टों और ज़मीनी-स्तर की वास्तविकताओं ने दर्शाया है कि भारत अभी मुश्किल दौर से गुज़र रहा है जहां जल का अभाव और स्वच्छता सुविधाओं की खराब व्यवस्थाएं आर्थिक विकास की अपेक्षा बड़ी चुनौती हैं। प्रतिवर्ष 140 बीसीएम अपशिष्ट जल उत्पन्न करने वाले देश के साथ अपशिष्ट जल का कुप्रबंधन, जो भूजल को भी दूषित करता है, तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, स्वच्छता की खराब स्थिति और स्वच्छता संबंधी खराब आदतों से आबादी का एक बड़ा भाग जलजनित रोगों से पीड़ित है। 2016 में सुरक्षित जल और स्वच्छता के अभाव के कारण प्रति व्यक्ति रोग के प्रभाव का परिमाण भारत में चीन की तुलना में 40 गुना और श्रीलंका की तुलना में 12 गुना अधिक था। असुरक्षित जल, अपर्याप्त स्वच्छता और हाथ न धोने के कारण अतिसार रोगों और अन्य संक्रमणों से होने वाले रोगों के प्रभाव का परिमाण 4.6 प्रतिशत है। 2016 में असुरक्षित जल और अपर्याप्त स्वच्छता से होने वाले रोग कुल रोगों के प्रभाव के परिमाण

का 5 प्रतिशत था। जलजनित रोगों (हेजा, गंभीर अतिसार रोग, आंत्रशोथ और हेपेटाइटिस ए और ई) के कुल मामले 2016 में 1.65 करोड़ और 2017 में 1.53 करोड़ थे, इनसे होने वाली मौतों 2016 में 2,520, 2017 में 2,334 और 2018 में 1,917 थी। इसके विपरीत, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी डाटा रिपोर्टिंग के अनुसार 2016 में अपर्याप्त जल, स्वच्छता और सफाई के अभाव के कारण अतिसार से होने वाली मौतों की संख्या (सभी आयु वर्गों के कुल) 2,43,551 थी और 2016 में अपर्याप्त जल, स्वच्छता और सफाई से डीएएलवाईएस यानी "स्वस्थ" जीवन का एक खोया वर्ष की संख्या (सभी आयु वर्ग के कुल) 1,17,31,606 थी। ये आंकड़े स्पष्ट रूप से सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता को इंगित करते हैं और यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं।

भारतीय संविधान के अनुसार, जल और स्वच्छता सातवीं अनुसूची की सूची II के तहत राज्य का विषय है। जल संसाधनों



और स्वच्छता परियोजनाओं की योजना, वित्तपोषण और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार एक सलाहकार की भूमिका निभाती है इसलिए विभिन्न नीतियों और मॉडल विधेयकों के निरूपण के चलते केंद्र आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनों और उनके उपयोग के विकास और प्रबंधन के लिए प्रयास कर रहा है। केंद्र के साथ-साथ कई राज्य भी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में जल संरक्षण और स्वच्छता की बेहतर कार्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव कदम उठा रहे हैं। लेख में केंद्र और राज्यों के कुछ प्रयासों/योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है जो देश में जल और स्वच्छता के समय परिदृश्य में अमूल्य बदलाव लाए हैं और इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के बारे में भावी कार्ययोजना का खाका प्रस्तुत करते हैं जिनको आने वाले समय में कार्यरूप में परिणित करना होगा जिससे भारत एक जल सुरक्षित और स्वच्छ देश बन सकेगा।

सरकारी पहलें


15 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री ने 3.6 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइपयुक्त जल की आपूर्ति की जाएगी। जेजेएम की परिकल्पना है 'हर ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक अवधि के आधार पर वहन करने योग्य आपूर्ति सेवा शुल्क लगा कर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल को पहुंचाना जो ग्रामीण समुदायों के जीवन-स्तर में सुधार लाएगा।' इस कार्यक्रम में अनियमित अंशों के रूप में स्रोत संभारणीय उपायों को कार्यान्वित किया गया है जैसे कि अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से पुनर्भरण और पुनः उपयोग, जल संरक्षण,

वर्षाजल संचयन। जल जीवन मिशन जल के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संप्रेषण शामिल होंगे। जेजेएम जल के लिए एक जन-आंदोलन के सृजन की अपेक्षा रखता है जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता बनती है। जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण घरों में सुरक्षित पेयजल की पहुंच 18 प्रतिशत से बढ़कर 28.41 प्रतिशत हो गई।

जल शक्ति मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2019 को देशभर के 256 जल अभाव वाले जिलों में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। जल संरक्षण अभियान के तहत सभी हितधारकों को लाने के लिए यह 'अभियान' एक जन आंदोलन है और गत वर्ष इसका देशव्यापी प्रभाव पड़ा था। इस अभियान के तहत राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सिविल सांसायुटी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदायों के साढ़े छह करोड़ से अधिक लोग इससे जुड़े। पंचहत्तर लाख से अधिक पारंपरिक और अन्य जल निकासों और जलाशयों का नवीनीकरण किया गया और लगभग एक करोड़ जल-संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाएं निर्मित की गईं। इसके प्रति लोगों में उत्साह से प्रेरित होकर जल शक्ति अभियान को वर्तमान स्वास्थ्य आपदा से निपटने के लिए तैयार किया गया है। इसके लिए सावधानी बरतते हुए सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सभी कार्यों में सामाजिक दूरी बनाए रखने का सख्ती से पालन करने के साथ-साथ फेंस कवर/मास्क का उपयोग और अन्य आवश्यक सावधानियों का ख्याल रखा जा रहा है।

औसत वार्षिक पुनर्भरण से अधिक भूजल के निरंतर और

चित्र: जल जीवन मिशन की प्रगति



स्रोत: <https://jalshakti.gov.in/IMISReports/MIS.html>

अनियोजित दोहन के कारण भूमि के जलस्तर में व्यापक गिरावट आई है। कुओं में जल की उपलब्धता कम हुई है और संसाधनों का भारी धातुओं (लोहा, आर्सेनिक, क्रोमियम आदि) और फ्लोराइड के संदूषण से क्षरण हुआ है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और भूजल संरक्षण पर विशेष जोर देने के लिए 2020 के बजट में अटल भूजल योजना (एबीएचवाई) के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एबीएचवाई स्थायी भूजल प्रबंधन की परिकल्पना मुख्यतः विभिन्न चालू योजनाओं के बीच अभिसरण के माध्यम से करता है जिसमें स्थानीय समुदायों और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी से मांग के उपायों पर जोर दिया जाता है। यह पहलू एबीएचवाई को एक अनूठी केंद्र प्रायोजित योजना बनाता है, जो भाग लेने वाले राज्यों में चल रही विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और अभिसरण की सुविधा के लिए प्रयास करेगा। एबीएचवाई सूखे से बचाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिससे चुनिंदा जलाभाव वाले क्षेत्रों में जलवायु के लचीलेपन में सुधार होगा, बेहतर कौशल विकास के माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे आदि जो सभी अंततः भूजल के स्थायी प्रबंधन की ओर ले जाएंगे।

भारत सरकार के प्रमुख थिक टैंक के रूप में नीति आयोग ने भी विभिन्न राज्यों में जल संरक्षण के प्रयासों की तुलना करने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। प्रतिस्पर्धी और सहकारी सघीय व्यवस्था का अनुसरण करते हुए और जीवन के लिए जल के महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोग ने एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई) विकसित किया है। जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन और सुधार लाने के लिए वार्षिक अभ्यास के रूप में सीडब्ल्यूएमआई एक महत्वपूर्ण साधन है। सीडब्ल्यूएमआई ने 9 व्यापक क्षेत्रों को 28 विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के साथ जोड़ा है जो भूजल के विभिन्न पहलुओं, जल निकायों की पुनर्स्थापना, सिंचाई, कृषि पद्धतियों, पेयजल, नीति और संचालन प्रणाली को कवर करते हैं। 28 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आंकड़े राज्यों द्वारा ऑनलाइन वेबपोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। सूचकांक देश में आने वाले संकट के बारे में राज्यों को संवेदनशील बनाने में काफी सफल रहा है। सूचकांक के दौर 1 को आरंभ करने के बाद से 80 प्रतिशत राज्यों में सुधार हुआ है और अंकों में औसत बदलाव +5.2 पॉइंट रहा है।

स्वच्छता के मामले को भारत जैसे विकासशील देश में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) ने सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया। यह कार्यक्रम भारत का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है, जिसमें सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने, स्वच्छता में सुधार लाने और खुले में शौच को समाप्त करने और 2019 तक ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के प्रयासों में तेजी लाई गई जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को लक्षित करता है। 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लॉन्च के समय देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7 प्रतिशत बताई गई थी। मिशन के शुभारंभ के बाद से 10.28 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। परिणामस्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने 2 अक्टूबर, 2019 को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित किया। हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण को 2020-21 से 2024-25 तक के लिए मंजूरी दे दी है जो खुले में शौचमुक्त प्लस (ओडीएफ प्लस) पर केंद्रित होगा, जिसमें ओडीएफ वहनीयता और टोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) शामिल है। कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम करेगा कि कोई भी न छूटे और हर कोई शौचालय का उपयोग करे। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में लागू किया जाएगा जिस पर कुल 1,40,881 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह वित्तपोषण के विभिन्न ऊर्ध्वधारों के बीच अभिसरण का एक आदर्श मॉडल होगा। इसमें से 52,497 करोड़ रुपये पेयजल और स्वच्छता विभाग के बजट से आवंटित किया जाएगा, जबकि शेष राशि 15 वें वित्त आयोग, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राजस्व उत्पादन मॉडलों विशेष रूप से टोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जारी की गई धनराशि से ली जाएगी।

केंद्र सरकार की इन पहलों के अलावा कुछ राज्यों ने राज्य-स्तर के कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिन्होंने स्थानीय जल समस्या को प्रभावी ढंग से हल किया है। ऐसी कुछ योजनाएं हैं- महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवहर, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, आंध्र प्रदेश में नीरु चेतु, तेलंगाना में मिशन ककातिया, गुजरात में सुजलाम सुफलाम, कर्नाटक में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचना योजना। राज्यों द्वारा भूजल संसाधनों पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली अन्य प्रशंसनीय पहलों में शामिल हैं, "पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वॉटर एक्ट, 2009" जिसमें धान की नर्सरी की आरंभिक युवाई और पौध की रोपाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा, पंजाब सरकार ने किसानों को बिजली बचाने और भूजल के उपयोग को कम करने के लिए "पानी बचाओ, पैसा कमाओ" की स्वैच्छिक योजना को प्रोत्साहन दिया है। महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियम 2009 कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए अधिसूचित और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में गहरे कुओं की खुदाई को प्रतिबंधित करता है। यह अधिसूचित क्षेत्रों में 80 मीटर या उससे अधिक गहराई के मौजूदा गहरे कुओं से भूजल को पंप करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगाता है।

इनके अलावा, कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जल क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को समझ लिया है। इस क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय काम आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने किया है। आंध्र प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग ने निजी भागीदार वासर लैब्स के

साथ आंध्र प्रदेश जल संसाधन सूचना और प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। यह एक स्मार्ट वाटर सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, जो राज्य में स्थाई जल प्रबंधन के उद्देश्य को लक्षित करता है। यह प्रणाली राज्य के सभी 13 जिलों में वास्तविक समय के आधार पर 1,254 पीज़ोमीटर (दबाव मापने का यंत्र) से आंकड़े एकत्र करती है और राज्य में कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी 15 लाख से अधिक बोरवेल के साथ सूचना को संबद्ध करता है। राज्य भर में 900 से अधिक स्थानों से मिट्टी की नमी के आंकड़े भी एकत्र किए जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म में 100 से अधिक जलाशय, 40000 से अधिक लघु सिंचाई टैंक, 15 लाख कृषि बोरवेल और 10 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं से संबंधित आंकड़े हैं। लागू होने के बाद से इस प्रणाली ने राज्य की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी को लाभान्वित किया है। वर्षा में 14 प्रतिशत की कमी के बावजूद राज्य भर में 2 मीटर तक भूजल-स्तर में सुधार हुआ है और फसल नियोजन गतिविधियों के परिणामस्वरूप बागवानी फसलों में लगभग 1.85 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।

महाराष्ट्र सरकार ने ड्राफ्ट महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण जल अधिकार हस्तांतरण (डब्ल्यूइटी) और अपशिष्ट जल पुनः उपयोग प्रमाणपत्र (डब्ल्यूआरसी) प्लेटफॉर्म विनियम, 2019 को लांच करके एक अभिनव कदम उठाया है। नियमों का मुख्य उद्देश्य ऐसे बड़े औद्योगिक और शहरी केंद्रों से अपशिष्ट जल पुनः प्रयोग और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना है जो राज्य की जल नीति में निर्धारित जल पुनः उपयोग लक्ष्य से आगे जाते हैं और साथ ही जल की खपत, पुनः उपयोग और पर्यावरणीय निर्वहन बिंदुओं पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) मीटरिंग का उपयोग करते हुए एक पारदर्शी जल लेखांकन प्रक्रिया की रचना करते हैं। इसके अलावा, एक विनियमित प्रक्रिया के तहत जल की खपत का संग्रह बनाए रखना है। विनियमों में अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग प्रमाणपत्रों के अपरिवर्तनीय वितरित खाता-आधारित संग्रह के सृजन की भी परिकल्पना की गई है जो आसानी से विपणन योग्य हो सकते हैं।

स्वच्छता के मामले में एसबीएम के अलावा, कुछ राज्यों जैसे पंजाब और गुजरात ने कुछ पहल की हैं जैसे जलाशयों के पुनर्जीवन के जरिए तरल अपशिष्ट प्रबंधन और गुजरात के जोशीपुरा गांव की अभिनव जीव अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली। हाल ही में एनजीटी के आदेश पर नीति आयोग ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में भारत में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट तैयार किया है, जो शहरी स्थानीय निकायों को उनके अपशिष्ट संबंधी संकटों के लिए एक ही जगह समाधान की सुविधा प्रदान करेगा।

भारतीय संघवाद के तीन स्तरों के इन सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप देश के जल और स्वच्छता क्षेत्रों में अद्भुत परिवर्तन हुए हैं, लेकिन अभी भी हम सतत विकास लक्ष्यों के माध्यम से

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों से काफी पीछे हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें वर्तमान व्यवस्था में कुछ संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

आगे की राह

विकास और वृद्धि वे शब्द नहीं हैं जिनका उपयोग हम राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का वर्णन करने में कर सकते हैं, लेकिन उनके सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत हित सहित बहुआयामी पहलू हैं। विकास के बारे में चर्चा करते समय हम जल के अभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे चेताने वाले वाक्यांशों को अनदेखा नहीं कर सकते। देश में सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, हमें न केवल इन वाक्यांशों की समस्याओं पर गौर करना होगा, बल्कि उनके समाधानों को भी खोजना होगा जिनके कारण जल क्षेत्र में परिचालन की मौजूदा प्रणाली में आमूलघूल बदलाव लाया जा सके। कुछ सुझाए गए परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

1. **जल को आर्थिक विकास का हिस्सा बनाना** : बेहतर जल आपूर्ति एवं स्वच्छता और बेहतर जल संसाधन प्रबंधन देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं और गरीबी उन्मूलन में भी बहुत सहायक होते हैं। बेहतर जल आपूर्ति और स्वच्छता के आर्थिक लाभ निवेश लागत से कहीं अधिक हैं। अध्ययनों से पता चला है कि लाभ-लागत अनुपात (बीसीआर) 1 से काफी अधिक है, जल सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के लिए विकासशील क्षेत्रों में रिकॉर्डिंग वेल्यूज 4 से 32 के बीच, जल आपूर्ति और स्वच्छता सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों, डब्ल्यू एस एंड एस एमडीजी और सार्वभौमिक बुनियादी पहुंच के लिए 5 और 46 के बीच और उपयोग स्थल पर जल कीटाणु शोधन के साथ सार्वभौमिक बुनियादी पहुंच के लिए 5 और 41 के बीच है। विनियमित पाइप जल आपूर्ति और सीवर कनेक्शन के लिए लाभ-लागत अनुपात 2 से 12 के बीच होता है। आधार अवस्था (बेस केस) पूर्व धारणा के तहत लागत-लाभ अनुपात प्रति 1 यूएस + निवेश से कम से कम 5 यूएस + आर्थिक लाभ है और कम से कम भी यदि समझा जाए तो भी प्रति डॉलर निवेश से लाभ 1 यूएस + से अधिक ही होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परिणाम तब आते हैं जब गैर-स्वास्थ्य और गैर-वित्तीय लाभों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसलिए यह जल और स्वच्छता क्षेत्र के साथ कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में बजट आवंटन को बढ़ाने के लिए एक मजबूत मामला बनता है, इसे निवेश के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में लिया जाना चाहिए।

2. **जल बाजार की बड़े पैमाने पर प्रस्तावना** : यह उपयुक्त समय है जब जल को सार्वजनिक वस्तु के साथ उच्च मूल्य वाली आर्थिक वस्तु माना जाना चाहिए। जल के अधिक उत्पादक उपयोग के लिए जल बाजारों को शुरू करने की आवश्यकता है जिससे स्थायी जल प्रबंधन में योगदान मिले। सबसे सफल जल बाजार ऑस्ट्रेलिया के मुरे डार्लिंग बेसिन में पाए जाते हैं जहां जल व्यापार

एक महत्वपूर्ण व्यवसाय साधन बन गया है और कई जल सिंचाई करने वालों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत है। यहाँ जल का कारोबार बाजारों में किया जाता है : जलग्रहण क्षेत्र के भीतर, जलग्रहण क्षेत्र के बीच (जहाँ संभव हो) या नदी जल निकासी क्षेत्र के साथ-साथ। व्यापार का यह तरीका जल उपयोगकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से जल खरीदने और बेचने की अनुमति देता है। जल के बाजारों के तहत वर्ष के दौरान वर्षा और भंडारण स्तरों जैसे कारकों के अनुरूप पात्रता के अनुसार बेसिन प्रशासन द्वारा जल को वितरित (या 'आवटित') किया जाता है। पात्रता धारक जल का प्रमाणी और कुशल उपयोग कर सकता है और शेष मात्रा को उन संस्थाओं को बेच सकता है जो जल के अपने आवंटन से अधिक का उपयोग कर रहे हैं। जब जल एक पात्रधारक को आवंटित किया जाता है, तो वे इसे आवश्यकतानुसार उपयोग करने में सक्षम होते हैं - यह उनका व्यावसायिक निर्णय है। जल के बाजार जल के उच्च मूल्य उपयोगों के लिए प्रोत्साहन देते हैं। इसी तरह उपचारित अपशिष्ट जल को भी व्यापार के लिए चुना जा सकता है।

3. जल निकायों में प्रदूषण को घटाने के उपाय के रूप में प्रदूषण कर: जल सुरक्षा की लागत को विभिन्न हितधारकों में वितरित करना पड़ता है और संस्थाओं और समुदायों को, जो संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें प्रदूषण फैलाने के अपने अधिकार की भरपाई के लिए भुगतान करना पड़ता है। हमें सतही और भूजल उपयोग के लिए निर्धारित जल प्रदूषण शुल्क, और अपशिष्ट जल निर्वहन के लिए पर्याप्त मात्रा में शुल्क लागू करना होगा जिससे प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने, उचित स्वच्छता बनाए रखने और जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके। प्रदूषण कर को विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) का हिस्सा माना जाना चाहिए। प्रदूषण को रोकने के लिए आर्थिक साधन जैसे कि प्रदूषण कर प्रत्यक्ष विनियमन या सब्सिडी से सैद्धांतिक रूप से अधिक किरायाती है, जो सभी प्रदूषकों पर समान नियंत्रण लागू करता है और यह उन्मूलन लागतों की विविधता को ध्यान में नहीं लेता है। प्रदूषण करों से प्रदूषण उन्मूलन और तकनीकी नवाचार में महत्वपूर्ण निवेश हो सकता है, जिससे समाज के लिए पर्यावरणीय लक्ष्यों को हासिल करने की कुल लागत कम होती है। इसके अलावा, ये कर या शुल्क न केवल प्रदूषण को कम करते हैं और गुणवत्ता को बढ़ाते हैं बल्कि सरकार को राजस्व भी प्रदान करते हैं जिसका उपयोग प्रदूषण को और कम करने के लिए किया जा सकता है।

4. जल क्षेत्र में पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए नई रणनीतियाँ : सरकारें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को उनके द्वारा निवेश जोखिमों का प्रतिलाभ अर्जित करने में सक्षम करके नए निवेशकों को आकर्षित करने में मदद कर सकती हैं। सरकार दीर्घावधि की निवेश परियोजनाओं के लिए जोखिम



सहल प्रदान करने पर विचार कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप जोखिमों और उनके संबद्ध मुनाफों का अधिक उपयुक्त आवंटन होगा। गारंटियाँ फाइनेंसरों के सामने आने वाले जोखिमों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसी तरह, सार्वजनिक धन का उपयोग उन जोखिमों के कुछ हिस्सों को कवर करने के लिए किया जा सकता है जो निजी फाइनेंसर (ऋण या इक्विटी) लेने में असमर्थ हैं। अमेरिका में स्टेट रिवोल्विंग फंड्स स्थाई बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण मॉडल का उदाहरण प्रदान करते हैं। यूएस कांग्रेस से प्राप्त 'सीड मनी' के साथ स्थापित रिवोल्विंग फंड्स अपशिष्ट जलशोधन संयंत्रों और घेवजल के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन के साथ-साथ जल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अन्य परियोजनाओं में निवेश करने वाले राज्य-प्रशासित वित्तीय सहायता कार्यक्रम का पूंजीकरण करते हैं। ऐसा करने में राज्य और स्थानीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण स्थापित करने वाले ये फंड्स एक लंबे परिवर्तन काल और पर्याप्त लचीलेपन में मददगार होते हैं। इसके अलावा, थेम्स टाइडवे टनल (टीटीटी) के लिए पब्लिक-प्राइवेट नजरिया भी उच्च जोखिम और लंबी अवधि की जल क्षेत्र परियोजनाओं के पीपीपी संचालन के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है।

यदि ये सभी संरचनात्मक सुधार चरणबद्ध और विस्तृत ढंग से लागू किए जाते हैं तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों के मौजूदा कार्यक्रमों और योजनाओं को अपार लाभ मिलेगा। ये सरकारी क्षेत्र पर समग्र निर्भरता को कम करेंगे और निवेशकों की संख्या के लिए इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर, आकर्षक और लाभदायक बना देंगे जो न केवल किसी भी क्षेत्र, बल्कि देश के विकास के लिए एक मूल बिंदु है।

(अविनाश मिश्रा नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली में एडवाइज़र (जल और स्वच्छता) हैं और डॉ. नम्रता सिंह पंवार कंसल्टेंट हैं।) (लेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी हैं और यह जरूरी नहीं कि वे नीति आयोग, भारत सरकार की आधिकारिक नीति या दृष्टिकोण को दर्शाते हो।)

ई-मेल : amishra-pe@gov.in
panwar.namrata@nic.in

नमामि गंगे कार्यक्रम का प्रभाव और प्रगति

—राजीव रंजन मिश्रा

लोकडाउन के दौरान हम सबने देखा कि अगर मानवीय गतिविधियाँ नियंत्रित हो जाएँ, तो प्रकृति को साफ-सुथरा बनाया जा सकता है। इसका सबक यह है कि हमारे पास बेहतर नियमन होना चाहिए। साथ ही, हमें लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए काम करना जारी रखना होगा, क्योंकि निर्यामकीय तरीके से रात कुछ हासिल करना संभव नहीं है। बदलाव के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी बेहद अहम शर्त है। नमामि गंगे ने नदी के पुनरुद्धार के लिए ढाँचा विकसित किया है, जिसे कुछ और नदियों के लिए भी आजमाया जा रहा है।

गंगा नदी न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है, बल्कि यह देश की 43 प्रतिशत से भी ज्यादा आबादी को आर्थिक सहायता, पानी और खाद्य सुरक्षा मुहैया कराती है। गंगा देश की सामूहिक चेतना से जुड़ी है, लिहाजा इसे दुनिया की सबसे पवित्र नदी भी माना जा सकता है। चूंकि गंगा भारत की पहचान और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे फिर से स्वच्छ बनाना और पहले की तरह इसका गौरव वापस लाना जरूरी है। गंगा नदी करोड़ों लोगों की जीवनरेखा है, हालांकि, इसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास की वजह से जहां यह नदी प्रदूषित हो रही है, वहीं कृषि, औद्योगिक और पीने के पानी की जरूरतों के लिए इसका अधिक से अधिक दोहन किया जा रहा है।

गंगा और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसे लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को सौंपी गई। सात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) ने मिलकर व्यापक-स्तर पर गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना (जीआरबीएमपी) तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य गंगा की अविरल और निर्मल धारा को बहाल करना और इसके भू-जलीय और पारिस्थितिक अखंडता को कायम रखना है। इस वजह से यह पहले की कोशिशों से अलग है। एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन (आईआरबीएम) के जरिए इस दिशा में कई मोर्चों पर और कई एजेंसियों के माध्यम से काम किया जा रहा है। उदाहरण के लिए (i) प्रदूषण को कम करना (निर्मल गंगा), (ii) पारिस्थितिकी और धारा को सुधारना (अविरल गंगा), (iii) नदी से लोगों के जुड़ाव को मजबूत बनाना (जन गंगा) और (iv) अलग-अलग तरह के शोध, वैज्ञानिक मैपिंग और इन चीजों के आधार पर नीतियों का निर्माण (ज्ञान गंगा)।

नीतियों के निर्माण, परियोजना प्रबंधन, वित्तीय नियोजन, नियमित निवेश, वैज्ञानिक

शोध, ज्ञान प्रबंधन, संस्थागत विकास, बेसिन प्रबंधन के मोर्चे पर समग्र और नए तरीके से काम करने से नमामि गंगे कार्यक्रम का स्वरूप काफी बेहतर दिखता है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 28,854 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 315 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से 130 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और बाकी पर काम चल रहा है। परियोजनाओं पर अमल की रफ्तार तेज है और इसका खर्च भी कई गुना बढ़ गया है। वित्तवर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा 170.99 करोड़ रुपये था, जो 2019-20 में बढ़कर 2673.09 करोड़ रुपये हो गया।

प्रदूषण को कम करना (निर्मल गंगा)

प्रदूषण को कम करने से जुड़े उपायों में प्रदूषण के सभी स्रोतों से निपटना शामिल है। इसके तहत शहरों का कचरा, औद्योगिक कचरा, शहरों का ठोस कचरा, गांवों की सफाई, खुले में शौच, खेती से जुड़े अपशिष्ट, लारों को जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण आदि से निपटने की बात है।





(क) सीवेज (नालों) से जुड़ी आधारभूत संरचना : गंगा में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत शहरों का बिना ट्रीटमेंट वाला कचरा है। बिना ट्रीटमेंट वाले कचरे को गंगा नदी में प्रवेश करने से रोकने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना तैयार करना बेहद जरूरी है। इसके बिना निर्मल धारा का लक्ष्य हासिल करना असंभव है। नमामि गंगे के तहत कुल 151 सीवेज परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, ताकि गंगा बेसिन में ट्रीटमेंट क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, इस अभियान के तहत पुरानी आधारभूत संरचना का आकलन किया गया है, ताकि जहाँ भी संभव हो, इस व्यवस्था में बदलाव किया जा सके। 'नमामि गंगे' के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध होने से गंगा के शुद्धीकरण के लिए व्यापक-स्तर पर आगे बढ़ने में मदद मिली। पहले रेखाचित्र में इस मिशन के तहत काम की रफ्तार के बारे में पता चलता है। इस मिशन में सीवेज की ट्रीटमेंट क्षमता को बढ़े पैमाने पर बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में न सिर्फ परियोजनाओं की संख्या 28 से बढ़कर 151 हो गई, बल्कि ट्रीटमेंट क्षमता में भी 468.85 एमएलडी के स्तर से तकरीबन 10 गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। कुल 51 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। गंगा के मुख्य इलाके में अब 2,100 एमएलडी की ट्रीटमेंट क्षमता मौजूद है, जबकि गंगा से जुड़े 97 शहरों में कुल 2950 एमएलडी कचरा पैदा होता है।

गंगा नदी में गिरने वाले 80 से भी ज्यादा प्रमुख नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (पुराने और नए) तक पहुंचाया गया है। उदाहरण के लिए, हरिद्वार के कसावन नाले, ऋषिकेश के चंद्रेश्वरनगर नाले और कानपुर के सीसामऊ नाले का 140 एमएलडी कचरा अब गंगा नदी में नहीं गिर रहा है।

हरिद्वार-ऋषिकेश क्षेत्र की सभी परियोजनाओं समेत उत्तराखंड के ज्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार हो चुके हैं। प्रयागराज इलाके में भी सीवेज नेटवर्क और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इंतजाम कर दिया गया है। वाराणसी में 140 एमएलडी वाला दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 120 एमएलडी का गोइथा प्लांट और 50 एमएलडी वाला रमना (Ramana) प्लांट इस साल तैयार हो जाएगा। बिहार में ट्रीटमेंट क्षमता में 10 गुना बढ़ोत्तरी की जा रही है यानी इसे 60 एमएलडी से बढ़ाकर 650 एमएलडी करने की बात है। झारखंड में भी इससे जुड़ा काम तकरीबन पूरा हो चुका है और पश्चिम बंगाल की कुछ परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है। पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, परियोजना लागत में 15 साल तक के लिए संचालन और रखरखाव के प्रावधान को भी शामिल किया गया है।

इस अभियान के तहत सीवेज से जुड़ी आधारभूत संरचना के लिए हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत काम शुरू किया गया है। इसमें 40 प्रतिशत पूंजीगत खर्च का भुगतान निर्माण के दौरान किया जाएगा और बाकी 60 प्रतिशत का भुगतान संचालन और रखरखाव के लिए अलग भुगतान के तहत किया जाएगा। इसके लिए 15 साल तक हर साल व्याज के साथ रकम दी जाएगी। इसका मकसद काम

के प्रदर्शन के आधार पर भुगतान को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पुनर्बास और 15 साल तक संचालन और रखरखाव के प्रावधान के लिए एकीकरण के जरिए एक शहर-एक संचालक (ऑपरेटर) का फॉर्मूला अपनाया गया है, ताकि शहरों के स्तर पर इस काम के लिए बेहतर संचालन और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इससे प्रदर्शन मानकों को बेहतर बनाने, बड़े खिलाड़ियों को आकर्षित करने, ट्रीटमेंट वाले पानी के फिर से इस्तेमाल की संभावना को खंगालने और सेवा का स्तर बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

गंदे पानी का फिर से इस्तेमाल— गंदा पानी ऐसा संसाधन है, जिसका उपयोग नहीं के बराबर किया जाता है। हालांकि, वास्तव में यह उपयोगी संसाधन है जिससे ऊर्जा, पानी, ऑर्गेनिक, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और अन्य संसाधन हासिल किए जा सकते हैं। परिशोधित यानी ट्रीटमेंट वाले पानी के फिर से इस्तेमाल के लिए एमएमसीजी एक बेहतर बांछागत मॉडल पर काम कर रहा है। मथुरा में ऐसे ही 20 एमएलडी पानी का इस्तेमाल वहां मौजूद रिफाइनरी में किया जा रहा है। पानी के टर्शियरी ट्रीटमेंट का खर्च भी मथुरा रिफाइनरी ही वहन कर रही है और पानी के बदले भुगतान भी कर रही है। इसी तरह, ऊर्जा शुल्क नीति के तहत कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के साथ भी समझौता किया जा रहा है। इस पानी का इस्तेमाल कृषि से जुड़े उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा है और बिहार जैसे राज्यों में यह जरूरी कर दिया गया है। हरियाणा इसके लिए नीति बना रहा है। हरिद्वार स्थित जगजीतपुर या वाराणसी में रमना जैसी सभी नई परियोजनाओं में इस बात को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कृषि कार्यों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सके। स्वच्छता को टिकाऊ विकल्प बनाने में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांत मददगार साबित हो सकते हैं।

(ख) मलयुक्त-गाद प्रबंधन— सीवेज प्रणाली को बेहतर बनाने में हमारे शहरों के मौजूदा ढांचे की वजह से भी चुनौतियां सामने आती हैं। केंद्रीकृत और डिसेंट्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ समाधानों को विकसित करने के लिए मलयुक्त गाद का ट्रीटमेंट एक बेहतर विकल्प है। मलयुक्त गाद प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं (जैसे कि सीएसई, एएससीआई) राज्य

निर्मल गंगा (प्रदूषण से मुक्त नदी)

अविरल गंगा (बहती धारा)

गंगा पुनरुद्धार

जन गंगा (लोगों और नदी का जुड़ाव)

ज्ञान गंगा (शोध, नवोन्मेष और ज्ञान प्रबंधन)



और शहरी नगर निकास्य इकाइयों की क्षमता विकसित करने में चुटी है। सरकार मलमुक्त गांव के लिए अलग से ट्रीटमेंट की व्यवस्था के साथ-साथ शीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इस्तेमाल करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपने सभी निर्माणाधीन शीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में ऐसे गांव के ट्रीटमेंट के लिए भी प्रावधान करने का फैसला किया है। हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि शहरों में यह व्यवस्था पहले से लागू है।

(ग) औद्योगिक प्रदूषण— गंगा में औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले तमाम उद्योगों की पहचान की गई है। साथ ही, आईआईटी, एनईईआरआई, एनआईटी जैसे स्वतंत्र संस्थानों की सालाना निगरानी की वजह से बड़े स्तर पर उद्योग जगत जरूरी नियमों का पालन कर रहा है। कानपुर के जाजमड टैन्री क्लस्टर में एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) का निर्माण चल रहा है। इससे लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। हरित तकनीक को बढ़ावा देने, कचरे का उत्पादन घटाने आदि के मकसद से अलग-अलग उद्योगों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इससे कई उद्योगों में प्रदूषण को कम करने में मदद मिली है। कागज और लुगदी उद्योग में 'काली शराब' जैसा रासायनिक कचरा निकलना बंद हो गया। इसके अलावा, निगरानी का ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार किया गया है। सहायक और छोटे उद्योगों में भी इसी तरह का तौर-तरीका अपनाया जा रहा है।

(घ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन : ठोस अपशिष्ट (कचरा) प्रदूषण का सबसे प्रत्यक्ष माध्यम है। इस अभियान में घाटों पर और नदी के आसपास मौजूद ठोस कचरे से निपटने पर फोकस किया गया है। इसके तहत नदी के किनारे नियमित तौर पर सफाई, ठोस कचरे को इकट्ठा करने के लिए स्क्रीन या फिल्टर लगाना, एक ही बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्लास्टिक पर पाबंदी और तीसरे पक्षों द्वारा नियमित तौर पर निगरानी जैसे उपाय किए जा रहे हैं। अहम जगहों पर जमीन की सफाई के लिए मशीन भी लगाई गई है। हरिद्वार, कानपुर-बिथूर, मथुरा-बुंदावन, प्रयागराज और चाराणसी में घाटों की सफाई के लिए परियोजनाएं भी शुरू की

गई हैं।

(व) गांवों में स्वच्छता— राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा के किनारे वसे 4,465 गांवों में तकरीबन 11 लाख घरों में शौचालयों का निर्माण कराया गया। इन गांवों को पहले ही खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। गंगा के आसपास के गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्राथमिकता है।

(छ) पानी की गुणवत्ता— केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 97 मैनुअल स्टेशनों के जरिए गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता की निगरानी करता है। भारत में पहली बार वास्तविक समय में पानी की गुणवत्ता की निगरानी से जुड़ी प्रणाली पेश की गई है। गंगा के आसपास मौजूद 36 स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था की गई है और 40 और ऐसे स्टेशनों के निर्माण पर काम चल रहा है। इसके अलावा, सामुदायिक निगरानी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पानी की गुणवत्ता में सुधार के जरिए इस कार्यक्रम का असर देखा जा सकता है। पानी में घुलित ऑक्सीजन (डीओ) की मात्रा 5 मिलीग्राम/लीटर से ज्यादा होनी चाहिए और गंगा नदी का पानी अब इस मानक को पूरा कर रहा है। साथ ही, जैविक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के स्तर में भी बेहतर देखने को मिली है और कई स्टेशनों पर यह मानक—स्तर (3 मिलीग्राम/लीटर से कम) दिख रहा है। साल 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में भी पानी की बेहतर गुणवत्ता देखने को मिली।

पारिस्थितिकी और प्रवाह (अविरल गंगा)

गंगा की धारा के कमजोर होने से पारिस्थितिकीय मोर्चे पर बड़ा नुकसान हुआ है। लंबी अवधि में भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। तेज धारा किसी नदी के लिए अनिवार्य शर्त है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत धारा को बेहतर बनाने और पारिस्थितिकीय-स्तर पर सुधार के लिए भी काम किया जा रहा है।

(क) पारिस्थितिकीय प्रवाह— गंगा नदी के लिए पारिस्थितिकीय प्रवाह के सिलसिले में पहली बार अक्टूबर 2018 में सरकारी अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत, पानी के मामले में औपचारिक तौर पर नदी का अधिकार स्थापित किया गया। नदी की शेहत के लिए इसके दीर्घकालिक मायने हैं। यह पहल नदियों



के पुनरुद्धार से संबंधित अध्ययन का प्रमुख हिस्सा है। साथ ही, यमुना, रामगंगा आदि दूसरी नदियों के लिए भी इस सिलसिले में अध्ययन हो रहे हैं।

(ख) आर्द्र भूमि (वेटलैंड)— गंगा की निर्गलता, अगिरलता के साथ-साथ अर्धव्यवस्था, भूजल, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ पर्यटन, जैवविविधता के लिए भी नदी के आसपास आर्द्र भूमि का होना जरूरी है। ऐसी जमीन के संरक्षण के लिए स्वच्छ गंगा मिशन या नमामि गंगे मिशन काम कर रहा है। शहरी इलाकों में इसके संरक्षण के लिए उपाय किए जा रहे हैं और बाढ़ क्षेत्र के इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एकीकृत प्रबंधन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में 226 ऐसे क्षेत्र विकसित करने का काम चल रहा है। ये क्षेत्र गंगा के 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे।

(ग) वनीकरण : गंगा से जुड़े पूरे इलाके में पड़ली वार जंगल लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से योजना तैयार कर इसे लागू किया गया है। इस योजना को वन शोध संस्थान ने तैयार किया है। इसे मॉडल मानते हुए वन और पर्यावरण मंत्रालय देश की 13 नदियों के लिए इसी तरह की योजना तैयार करने में जुटा है।

(घ) जैव विविधता का संरक्षण : गंगा से सटे इलाकों में जैव विविधता के ठिकानों की पहचान और वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न प्रजातियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ मिलकर एक व्यापक परियोजना पर अमल किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन के लिए कैंपेन शुरू किया जिसके बाद डॉल्फिन परियोजना का ऐलान हुआ। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान परिषद (सीआईएफआरआई) के साथ मिलकर मछलियों और उसके संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(च) सतत खेती : राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में जैविक और पर्यावरण के अनुकूल खेती के साथ-साथ औषधीय गुणों वाले पौधे लगाने को बढ़ावा दिया जाता है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में गंगा नदी के 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती करने का संकल्प व्यक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में औषधीय पौधे लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय औषधीय पौधारोपण बोर्ड गंगा के किनारे औषधीय (हर्बल) गलियारा विकसित करने पर विचार कर रहा है।

(छ) छोटी नदियों का पुनरुद्धार : इसके तहत जिला-स्तर पर छोटी नदियों की सूची तैयार कर मनरेगा की मदद से उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। अगिरल और निर्गल गंगा के लिए छोटी नदियों का पुनरुद्धार जरूरी है।

नदी से लोगों का जुड़ाव (जन गंगा)

नदी का पुनरुद्धार एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें लोगों की भागीदारी जरूरी है। लोगों से नदी के जुड़ाव को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि वे इस दिशा में चल रहे अभियानों से जुड़ने के लिए प्रेरित हो

सकें। नमामि गंगे मिशन इसकी अहमियत को समझता है और इस अभियान को जन-आंदोलन बनाने के लिए उसने कई कदम उठाए हैं।


(क) घाट और शबदाहगृह : गंगा नदी से लोगों का रिश्ता कायम करने में इन दोनों चीजों की अहम भूमिका है। अतः स्वच्छता और सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। पटना और हरिद्वार में नदी के किनारे पहले ही 138 घाट और 38 शबदाहगृह बनाए जा चुके हैं।

(ख) जन-भागीदारी : समुदाय और संबंधित पक्षों से जुड़े समूह भी बनाए गए हैं, जैसे कि गंगा विचार मंच, गंगा प्रहरी, एनवाईके गंगा दूत, गंगा मित्र, पूर्व सैन्यकर्मियों वाला गंगा टॉस्क फोर्स, एनसीसी, एनएसएस आदि। ये समूह लोगों से जुड़ने के लिए नियमित तौर पर गतिविधियां चलाते रहते हैं।

(ग) गंगा आमंत्रण अभियान : पिछले साल 35 दिनों की सर्पिंटिंग (नाव यात्रा) के जरिए यह अभियान चलाया गया। देवप्रयाग से लेकर गंगा सागर तक रोमांचक खेल के जरिए लोगों को जोड़ने का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम था। पर्वतारोही बछेंद्री पाल की अगुवाई में साल 2018 में भी हरिद्वार से लेकर पटना तक नाव यात्रा आयोजित की गई थी।

(घ) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन : युवाओं और अन्य लोगों को गंगा सफाई अभियान से जोड़ने के लिए कई तरह की गतिविधियां आयोजित करता है, मसलन 'ग्रेट गंगा रन' मैराथन। इसमें तकरीबन 2,000 लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही, नदी के तट पर नियमित तौर पर सफाई अभियान भी चलाया जाता है।

(च) गंगा क्वेस्ट : लॉकडाउन के दौरान गंगा पर राष्ट्रीय ऑनलाइन विषय का आयोजन किया गया, ताकि स्कूल/कॉलेज के छात्रों और अन्य लोगों को इस अभियान से जोड़ा जा सके। इस विषय में लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई और कुल 11.5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। साथ ही, अलग-अलग समूह के लोगों से जुड़ने के लिए गंगा उत्सव, गंगा बाल मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।



(छ) स्वच्छ गंगा फंड (वलीन गंगा फंड) में लोग और कंपनियां गंगा की बेहतरी के लिए दान दे सकते हैं। साथ ही, इसके तहत गंगा से जुड़ी खास परियोजनाओं पर भी काम करने की अनुमति होगी।

शोध, नीति और ज्ञान प्रबंधन (ज्ञान गंगा)

मिशन में दोस प्रमाणों पर आधारित नीतिगत फैसलों और वैज्ञानिक शोध पर आधारित डाटा और जानकारी को प्राथमिकता दी गई है। इसकी शुरुआत व्यापक बेसिन प्रबंधन योजना से हुई जिसे आईआईटी के कई संस्थानों ने मिलकर तैयार किया। इसके बाद आईआईटी कानपुर में गंगा प्रबंधन और अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया। इससे जुड़ी कुछ पहल इस तरह हैं

(क) लिडार मैपिंग : लिडार (Lidar) का इस्तेमाल करके, गंगा के दोनों तरफ 10 किलोमीटर के दायरे में ऊंचे रिजॉल्यूशन वाले डीईएम और जीआईएस डाटाबेस तैयार करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक परियोजना पर काम चल रहा है। इससे पहली बार जलनिकासी और नदी से सटे मौजूद इलाके आदि के लिए अहम डाटा उपलब्ध हो सकेगा और परियोजना बनाने, उसकी निगरानी, नियमन आदि की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी।

(ख) माइक्रोबियल (सूक्ष्मजीव) विविधता मैपिंग : नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत सीएसआईआर-एनईईआरआई के साथ मिलकर पानी की गुणवत्ता और गाद का अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन का मकसद गंगा नदी की खास खूबियों और माइक्रोबियल विविधता पर मानवीय गतिविधियों के असर को समझना है।

(ग) सांस्कृतिक मैपिंग: गैर-लाभकारी संस्था आईएनटीएसीएच (INTACH) ने गंगा से जुड़ी प्राकृतिक और अन्य तरह की विरासत की सांस्कृतिक मैपिंग का जिम्मा उठाया है। इससे न सिर्फ गंगा की समृद्ध विरासत का संरक्षण मुमकिन होगा, बल्कि पर्यटन के विकास साथ-साथ आजीविका के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

(घ) जलवायु परिदृश्य मैपिंग : गंगा-सिंधु क्षेत्र के मैदानी इलाकों में जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के असर के बारे में बेहतर तरीके से समझने और वैज्ञानिक तरीके से आकलन के लिए मिशन आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि इस इलाके में लंबी अवधि में जलवायु परिदृश्य कैसा रह सकता है।

(च) झरनों का पुनरुद्धार : नमामि गंगे अभियान के तहत आईआईटी रुड़की और सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से झरनों के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं का मकसद जमीन के इस्तेमाल में बदलाव या प्राकृतिक अवक्षेपण के असर का आकलन करना और पुनरुद्धार के लिए झरने के स्रोतों का पता लगाना है। यह हिमालय क्षेत्र के झरनों के पुनरुद्धार से जुड़े नीति आयोग के प्रमुख कार्यक्रम का आधार बन सकता है।

(छ) एक्विफर मैपिंग (जलीय चट्टानी परत) के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राष्ट्रीय भू-भौतिकीय शोध संस्थान

(एनजीआरआई) के साथ मिलकर एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का फोकस कौशांबी-कानपुर के दायरे में गंगा-यमुना दोआब वाले इलाकों में भूतप्राय हो चुकी धाराओं पर फोकस करना है। इससे गर्मियों में भी गंगा नदी का प्रवाह बेहतर बनाए रखने में मदद मिलेगी।

(ज) नदियों के किनारे बसे शहरों के लिए नियोजन का नया मॉडल : शहरी नियोजन में नदी की सेहत को बेहतर बनाए रखने और एकीकृत शहरी जल प्रबंधन के लिए ढांचा विकसित करने के लिए परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना में शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान की मदद ली जा रही है। कानपुर के लिए नवांनोपी शहरी नदी प्रबंधन योजना का ढांचा विकसित किया जा रहा है।

(झ) नदी घाटी प्रबंधन के लिए ज्ञान और तकनीक के आदान-प्रदान, ई-पलो आकलन और नालों के परिशोधित पानी के फिर से इस्तेमाल से जुड़ी नीति बनाने के मकसद से नमामि गंगे मिशन अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत-यूरोपीय संघ जल पार्टनरशिप और जर्मनी से भी मदद ली जा रही है।

(ञ) अर्ध गंगा : नमामि गंगे के तहत अर्ध-गंगा मॉडल विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। इसमें गंगा से जुड़े इलाकों में आर्थिक विकास को पर्यावरण संबंधी सुधार और गंगा के पुनरुद्धार से जोड़ने की बात है।

लॉकडाउन के दौरान हम सबने देखा कि अगर मानवीय गतिविधियां नियंत्रित हो जाएं, तो प्रकृति को साफ-सुथरा बनावा जा सकता है। इसका सबक यह है कि हमारे पास बेहतर नियमन होना चाहिए। साथ ही, हमें लोगों के व्यवहार में बदलाव के लिए काम करना जारी रखना होगा, क्योंकि नियामकीय तरीके से सब कुछ हासिल करना संभव नहीं है। बदलाव के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी बेहद अहम शर्त है। सतत विकास की अवधारणा शहरी विकास और जल संसाधनों के प्रबंधन पर निर्भर करती है। सतत विकास के लक्ष्यों से जुड़े 2030 के एजेंडे पर अगल के लिए गंगा का पुनरुद्धार बेहद अहम है। नमामि गंगे ने नदी के पुनरुद्धार के लिए ढांचा विकसित किया है, जिसे कुछ और नदियों के लिए भी आजमाया जा रहा है। गंगा करोड़ों लोगों के दिलों में बसती है। गंगा से लोगों का यह जुड़ाव प्राचीनकाल से ही रहा है। बहरहाल, गंगा सभी नदियों का प्रतिनिधित्व करती है। यहां तक कि कई दूसरी नदियों, धाराओं के नाम में भी गंगा शामिल है। गंगा हमेशा से लोगों को एकजुट करने वाली ताकत रही है और आगे भी यह सिलसिला चलता रहेगा। इसके पुनरुद्धार में सभी लोगों की भागीदारी जरूरी है और सभी लोगों को इसके पुनरुद्धार की जरूरत भी है।

(लेखक जल शक्ति मंत्रालय में स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक हैं।
(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)
ई-मेल : dg@namg.nic.in

भारत को ओडीएफ बनाए रखने की चुनौती

—चित्रंजीवी तिवारी

वर्ष 2019 में जब भारत खुले से शौच मुक्त घोषित हुआ तो पूरे देश ने एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण की कोशिश है कि न सिर्फ इस बेहतर बदलाव को कायम रखा जाए अपितु इससे आगे बढ़कर इसकी निरंतरता को कायम रखने हेतु बेहतर स्वच्छता सुविधाओं, टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की संरचनाओं एवं उनके प्रचालन एवं रखरखाव की भी पूर्ति की जाए। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भी बड़े स्तर पर शौचालयों का निर्माण किया गया पर अब आवश्यकता है, इस प्रयास की निरंतरता को बनाए रखने तथा सैनिटेशन चैन के नए आयामों को स्थापित करने की। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं द्वारा समुदाय के स्वच्छता के क्षेत्र में व्यवहार परिवर्तन संबंधी गतिविधियों को जारी रखना तथा बढ़ावा देना आवश्यक होगा। साथ ही, ग्रीडिया को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, जिससे अच्छे कार्यों का प्रचार-प्रसार हो सके तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनी रहे।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत भारत ने अपने नागरिकों को दुनिगादी स्वच्छता सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में खासी प्रगति की है। 2014 से 2019 के बीच लगभग 10.28 करोड़ घरों में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे देशभर में 6 लाख से अधिक गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत 1.96 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के रूप में स्वच्छता का और भी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य है शौचालय की सुविधा से कोई भी घर नहीं छूटना चाहिए (लीविंग नो वन बिहाइंड-LOB), साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में टोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) को बढ़ावा भी देना होगा जैसे सभी पंचायतों को जैविक कचरे, प्लास्टिक कचरे, बेकार जल तथा मलयुक्त कौचड़ के प्रबंधन में मदद की जा रही है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण का एक और अहम उद्देश्य बेकार हो चुके या खराब पड़े शौचालयों को जरूरत पड़ने पर रेट्रोफिट कर अर्थात् शौचालयों में हुई टूटफूट की मरम्मत तथा उसमें सुधार (उदाहरण एक गड़ड़े वाले शौचालय का दो गड़ड़े वाले शौचालय में परिवर्तन) करना एवं यानी आधुनिक शौचालय बनाकर और व्यवहार में परिवर्तन का संदेश देकर गांवों के ओडीएफ दर्जे को बरकरार रखना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के उद्देश्य स्वच्छता पर सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अहम अंग है; इन लक्ष्यों में छटा लक्ष्य है, '2030 तक सभी को पर्याप्त एवं समतामूलक स्वच्छता एवं साफाई सुविधा प्रदान करना, खुले में शौच प्रथा का अंत तथा महिलाओं, बालिकाओं तथा जोखिम भरी परिस्थितियों से सम्बंधित व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर खास ध्यान देना।'

भारत सरकार पूरे देश की लगभग 2.60 लाख ग्राम पंचायतों को इस मिशन के दूसरे चरण की कमान संभालने के लिए तैयार



वृन्तिसोक इकिया के शौचालय से

निगरानी समिति की भूमिका

गांव की निगरानी समिति की सदस्य शांत वर्मा की मंगरा देवी और रामचंद्रपुर गांव की 11 अन्य महिलाएं हैं, जिनके प्रयासों से गांव को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा सुनिश्चित हुआ, उन पर पूरे गांव को गर्व है।



सुनिश्चित इंडिया के शौचालय से

पिछले दो वर्षों से महिलाओं का यह समूह लगातार मुस्तीद रहा है, गांव के चक्कर लगाता रहा है और लोगों से खुले में शौच नहीं करने का अनुरोध करता रहा है। लोगों को खुले में शौच से रोकने के लिए वे सुबह चार बजे चक्कर लगाना शुरू करती हैं और उन्हें शौचालयों की अहमियत के बारे में भी बताती हैं। महिलाओं ने शौचालय निर्माण के लिए सरकारी प्रोत्साहन हासिल करने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने में भी लोगों की मदद की है।

निगरानी समिति की अध्यक्ष मंगरा देवी बताती हैं, "ब्याह के बाद जब मैं गांव आई तो यहां शौचालय ही नहीं थे और महिलाओं को बहुत परेशानी होती थी। लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बहुओं को भी यही परेशानी झेलनी पड़े। इसीलिए हमने अपने घर पर शौचालय बनवा लिया।"

मंगरा देवी के नेतृत्व ने सुनिश्चित किया कि उनकी चार बहुओं के लिए ही नहीं बल्कि गांव की सभी महिलाओं के लिए शौचालय बनें। पूरा गांव एक स्वर में मानता है कि ओडीएफ के दर्जे ने आसपास के माहौल को अधिक स्वच्छ और सेहतमंद बनाया है।

करना एवं ताकत देना चाहती है ताकि ये पंचायतें सभी को बेहतर स्वच्छता उपलब्ध कराने एवं भारत को खुले में शौच से मुक्त रखने के कार्यक्रम को स्वयं अंजाम देकर उसकी निरंतरता को बरकरार रखते हुए उसका बेहतर प्रबंधन कर सकें। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के कार्यक्रमलाप, प्रथम चरण के कार्यकलाप, जिसमें घरेलू स्तर पर दो गड़ढ़े वाले शौचालयों के निर्माण तथा समुदाय संचालित संपूर्ण स्वच्छता (CLTS) पर बल दिया गया था, से काफी जटिल है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण में रेट्रो-फिटिंग एवं ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन के लिए स्थिति के अनुसार अलग-अलग प्रकार के

समाधानों की जरूरत है। इसके अलावा, ठोस कचरा निस्तारण में कई प्रकार की प्रक्रियाएं होंगी जिसे गीले एवं सूखे कचरे का (मुख्यतया घरेलू स्तर पर) पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन, शोधन, पुनर्चक्रण एवं पुनरुपयोग की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इस काम को लगातार चलाने के लिए कुछ समर्पित स्वच्छताकार्मियों की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी चरणों को पूरा किया गया और उन पर बारीक नज़र रखी गई। सामुदायिक समूहों को लगातार जुड़े रहना जरूरी है और इसके लिए मीडिया की लगातार एवं अहम भूमिका की दरकार है।

इस लेख में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के पहले चरण को सफल बनाने वाले प्रमुख कारकों पर तथा दूसरे चरण के प्रमुख लक्ष्यों एवं सीमाओं पर रोशनी डाली गई है तथा संपूर्ण भारत को खुले में शौचमुक्त रखने, उसकी निरंतरता बनाए रखने एवं संपूर्ण स्वच्छता को पाने हेतु पंचायती राज संस्थानों (PRIs) एवं मीडिया की महती भूमिका की बात की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण प्रथम चरण (2014-2019): सफलता के कारक

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का क्रियान्वयन कई कारणों से सफल रहा। उनमें राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्तपोषण, साझेदारियां तथा जन सहभागिता प्रमुख हैं।

क) राजनीतिक नेतृत्व

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रधानमंत्री के भारत को खुले में शौच से मुक्त करने की परिकल्पना का हिस्सा था। अधिकतर राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने इस मिशन को सक्षम नेतृत्व प्रदान किया; शीर्ष-स्तर से नियमित निगरानी से जिला एवं ग्राम-स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की योजना एवं क्रियान्वयन में तेजी आई।

ख) सार्वजनिक वित्तपोषण

लगातार बढ़े-स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के संदेश तथा शौचालय निर्माण के लिए प्रत्येक गरीब परिवार को 12,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की रणनीति के अहम पहलू रहे। भारत सरकार तथा राज्य सरकारें इस मिशन पर लगभग 24 अरब डॉलर खर्च कर चुकी हैं।

ग) साझेदारी

बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई प्रकार की रणनीतिक साझेदारियां की गईं जिनमें सरकारी मंत्रालयों, विकास साझेदारों, मीडिया एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ की गई साझेदारियां भी शामिल थीं।

घ) जन सहभागिता एवं सामुदायिक गतिशीलता

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की रूपरेखा के निर्माण के समय पूर्व के स्वच्छता कार्यक्रमों से भिली सीख को ध्यान में रखा गया कि खुले में शौच की सामाजिक स्वीकार्यता वाली आदत बदलने के लिए शौचालय निर्माण से आगे बढ़कर सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन के संदेश पर जोर देना होगा। समुदाय के सदस्यों की गतिशीलता प्रेरक, निगरानी समिति सदस्य, स्थानीय चैम्पियन,



शानी मिस्त्री आदि के रूप में सुनिश्चित की गई जिससे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) सरकारी कार्यक्रम की जगह सही नायनों में जन-आंदोलन बन गया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मंगरा देवी की कहानी बताती है कि स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाने में स्थानीय निगरानी समितियों की कितनी अहम भूमिका रही है।

उपरोक्त चार कारकों के अलावा अन्य कारक निम्नलिखित हैं—

ब) साझेदारों से क्षमता विकास की गजबूत मदद

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को जन-आंदोलन बनाने के लिए सहभागिता की योजना बनाने, समुदाय को इकट्ठा करने, हितधारकों का समन्वय करने तथा जवाबदेही की प्रणाली के कौशल के साथ एसबीएम (जी) टीम की आवश्यकता थी। यूनिसेफ, विश्व बैंक, टाटा ट्रस्ट और अन्य विकास साझेदारों ने मिशन की टीम के क्षमता विकास में मदद की और इस तरह व्यवहार परिवर्तन के संवाद पर वांछित ध्यान देने में बड़ा योगदान किया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में रीता और साधना की कहानी बताती है कि यूनिसेफ की मदद से क्षमता निर्माण ने किस तरह किशोरियों को राज्य में स्वच्छता की समर्थक या चैंपियन बनने की ताकत दी।

घ) मीडिया की जहम भूमिका

धार्मिक नेताओं से लेकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अफसरशाहों और आम समुदायों तक हितधारकों को एकजुट करना मीडिया की सक्रिय सहभागिता से ही संभव हो सकता। मीडिया ने सफलता की कहानियों को दूर तक पहुंचाकर, स्वच्छता की समर्थक बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रेरित कर तथा प्रभाव डालने वालों के साथ जोड़कर कार्यक्रम की मदद की, जिससे शौचालय बनाने एवं इस्तेमाल करने की अहमियत का संदेश लगातार लोगों तक पहुंचता रहा और उन लोगों को भी समर्थक या चैंपियन बनने की प्रेरणा मिली। वास्तव में मीडिया ने विभिन्न वर्गों तक संदेश पहुंचाने में केंद्रीय भूमिका अदा की। यूनिसेफ ने मीडिया के साथ प्रभावी तरीके से काम करने में उत्तर प्रदेश सरकार की मदद की।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां पंचायती राज विभाग स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन में अग्रणी था, वहीं ग्राम पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ग्राम प्रधानों ने एसबीएम (जी) की योजना बनाने, सामुदायिक गतिशीलता और निगरानी के सभी पहलुओं में नेतृत्व प्रदान किया।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण के केंद्रबिंदु एवं दायरे

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय को खुले में शौच से मुक्त समुदायों को बरकरार रखने एवं भारत में स्वच्छता की आदतों को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बराबर लाने के उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है। कार्यक्रम की पांच वर्ष की अवधि (2019-20 से 2024-25) के लिए 140,881 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। कार्यक्रम के दो प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं—

क) ओडीएफ को बरकरार रखना

खुले में शौच मुक्ति से मिले फायदों को बरकरार रखने

इरादे की पक्की लड़कियों ने किया श्रावस्ती में गांव का कायाकल्प




18 वर्ष की रीता और 13 वर्ष की साधना इरादे की पक्की लड़कियां हैं, जिन्होंने नेपाल की सीमा पर स्थित श्रावस्ती जिले के सुदूर बड़नी गांव में स्वच्छता की लड़ाई लड़ी।

रीता और साधना 2018 में यूनिसेफ की मदद से समुदाय द्वारा आयोजित संपूर्ण स्वच्छता के प्रशिक्षण में शामिल हुईं और तब उन्हें सेहतमंद जीवन के लिए शौचालय की अहमियत पता चली। कक्षा 12 की छात्रा रीता बताती हैं, "मुझे पहली बार समझ आया कि खुले में शौच से हमारी सेहत पर कैसा असर पड़ता है। प्रशिक्षण के बाद हमने अपने गांव में दूसरे बच्चों से बात की और हमने अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए संघर्ष करने का फैसला किया।" निडर बच्चों की यह युवा पलटन घर-घर जाकर लोगों को मनाती और समझाती है कि खुले में शौच का कितना नुकसान है। वे सुबह जल्दी उठ जाते हैं और चमकीली नारंगी-पीली जैकेटों में सीटी लेकर घूमते रहते हैं। उनका एक ही लक्ष्य है— लोगों को खुले में शौच से रोकना और उसके नुकसानों के बारे में बताना।

गांव के मुखिया दिलबहार खान भी बच्चों की इस पहल का समर्थन करते हैं और उन्होंने भी ओडीएफ के इस संघर्ष में साथ दिया है।

लोगों के व्यवहार में बदलाव नजर भी आ रहा है। इस आदत को छोड़ चुके साधना के पिता कहते हैं, "अब हम ऐसे किसी मेहमान के यहां रात नहीं बिताते हैं, जिसके घर शौचालय नहीं होता है। हम खुले में शौच करने वाले अपने सभी रिश्तेदारों को रोकते हैं।"

साधना की दादी लखपता अपनी पोती की दृढ़ता का शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं, "मैंने पहले कभी शौचालय का नाम ही नहीं सुना था और मैं हमेशा खेतों में ही जाती थी... अब घर में शौचालयों ने खासकर बारिश में हमारा जीवन बहुत आसान बना दिया है।"



के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बाकी बचे सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा मिले, मौजूदा शौचालयों को सुरक्षा एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप दुरुस्त किया जाए, सभी के लिए शौचालय सुलभ कराने हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाए जाएं।

ख) ठोस एवं तरल कचरे का स्थायी प्रबंधन

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन निम्न घटक पर केंद्रित है: अ) वायो-जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, ब) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, स) तरल अपशिष्ट प्रबंधन, द) मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम)। इसके अलावा, नियोजन और प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है, जिसमें परिचालन एवं रखरखाव के लिए स्थानीय-स्तर पर ही राजस्व सृजन किया जाएगा। मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन के लिए मिशन के दिशानिर्देशों में जिलों को जिला मल प्रबंधन योजना बनाने का सुझाव दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि परिचालन एवं रखरखाव के लिए कौन-सी तकनीक एवं तरीके अपनाने चाहिए।

कार्यक्रम में देशभर में सुरक्षित स्वच्छता आदतें लाने एवं बनाए रखने के लिए मीडिया तथा पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका का भी उल्लेख किया गया है।

ग) पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय में संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की अहम भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकारा गया है। संविधान का यह प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय की योजना एवं क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण संस्था के रूप में अधिकार देता है और पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार को और बढ़ा देता है, जिसमें मिशन के कार्यक्रमों हेतु स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग से मिले अनुदानों को स्थानीय-स्तर पर एक साथ लाकर इस्तेमाल करने की बात है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय में जिला परिषद की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी की सह-अध्यक्षता में जिला स्वच्छ भारत मिशन

समिति बनाने की सिफारिश की गई है। इसी प्रकार सांसदों/विधायकों को जिला-स्तर पर इस समिति का सदस्य बनाने का भी सुझाव है। इस संस्थागत व्यवस्था से निर्वाचित प्रतिनिधियों/नेतृत्व को जिला-स्तर पर मंत्र उपलब्ध होगा, जो भारत के संविधान में उल्लिखित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है। इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए जवाबदेही की एक और व्यवस्था उपलब्ध होगी, जो उन्हें अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह बनाएगी। जिला पंचायत के अध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य होंगे कि उनके जिले में प्रत्येक नागरिक को जल एवं स्वच्छता की सुरक्षित सेवाएं प्राप्त हों तथा इन्हें उपलब्ध कराने में नाकाम रहने पर अगले चुनावों से उन्हें बाहर रखा जाएगा।

घ) सूचना, शिक्षा, संचार एवं मीडिया की भूमिका

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय में सूचना, शिक्षा एवं संचार की अहम भूमिका को माना गया है और बजट का 5 प्रतिशत हिस्सा (7,040 करोड़ रुपये) सामाजिक तथा व्यवहार परिवर्तन की विभिन्न संचार रणनीतियों एवं उनसे संबंधित क्षमता विकास के लिए रखा गया है। अंतर-वैयक्तिक संचार, मासमीडिया, रचनात्मकता, सोशल मीडिया के इस्तेमाल समेत नई संचार रणनीतियों के प्रयोग, चैंपियनों के नियमित सम्मान, प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं धार्मिक नेताओं जैसे प्रभाव डालने वालों के उपयोग, स्थानीय नेताओं, विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, सामुदायिक स्वयंसहायता समूहों को अहम माना गया है। स्वच्छता की सुरक्षित आदतों के प्रति व्यवहार में टिकाऊ परिवर्तन के लिए मांग का सृजन और स्थानीय समुदाय के हाथ में उसकी बागडोर अहम है।

पंचायती राज संस्थाओं को सबल बनाने का खाका

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय की रणनीति के मुताबिक पूरे भारत में सुरक्षित स्वच्छता के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम है। नीचे समझाया गया है कि इन संस्थाओं की भूमिका को किस प्रकार मजबूत किया जा सकता है या इस्तेमाल किया जा सकता है।

अ) स्वच्छता को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करना

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय और भारत के संविधान की परिकल्पना के अनुसार ग्राम पंचायतों को सहभागिता वाली समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनानी होती हैं। इस योजना में स्वच्छता के सतत विकास लक्ष्यों को शामिल होना जरूरी होता है ताकि उन्हें प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए और खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा हासिल किया जाए। ग्राम पंचायतों की समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाने एवं क्रियान्वित करने की क्षमता के मामले में अलग-अलग राज्य अलग-अलग स्तरों पर हैं। आंकड़ों या प्रमाणों पर आधारित योजना बनाने, महिलाओं, बालिकाओं तथा हाशिये के वर्गों की सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करने, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करने तथा ज्ञान प्रबंधन के मामले में उनकी संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की जरूरत है।

आ) ब्लॉक एवं जिला पंचायतों को साथ लेना

जैसा कि भारत के संविधान में कहा गया है, पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम पंचायत), माध्यमती अथवा ब्लॉक (पंचायत समिति) और जिला (जिला परिषद) स्तरों पर त्रिस्तरीय ढांचा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय के दिशानिर्देशों में ग्राम पंचायतों तथा जिला परिषदों की भूमिका का स्पष्ट उल्लेख है मगर ब्लॉक-स्तर पर पंचायत समिति की भूमिका का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में उल्लिखित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के हिसाब से ब्लॉक-स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि को भी ब्लॉक-स्तर की स्वच्छता समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही, स्वच्छता की योजना बनाने एवं लागू करने में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ग्राम पंचायत को मजबूत बनाने तथा मदद करने में जिला परिषदों और ब्लॉक पंचायतों की अहम भूमिका होनी चाहिए। इतना ही नहीं, पंचायती राज संस्थाएं साफाईकर्मियों, स्वच्छग्रहियों एवं निगरानी समितियों से लगातार संवाद सुनिश्चित करने की मुख्य माध्यम भी बन सकती हैं।

इ) पंचायती राज संस्थाओं की जवाबदेही की व्यवस्था

लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही विकास कार्यों के नियोजन एवं निगरानी में उनकी प्रभावी प्रतिभागिता से जुड़ी है ताकि उन्हें अपने प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका एवं जवाबदेही की व्यवस्था के केंद्र में निम्न बातें होनी चाहिए।

- **जिला पंचायत** : जिला स्तर की योजना प्रक्रिया का नेतृत्व, योजना को स्वीकार करने, प्रगति की तिमाहीवार समीक्षा और ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर की टीनों को संगठित करने का अधिकार।
- **ब्लॉक पंचायत** : ग्राम पंचायत विकास योजना से जुड़ी स्वच्छता योजना में ग्राम पंचायतों की मदद तथा ब्लॉक-स्तर पर उनके परिणामों की सख्त निगरानी सुनिश्चित करना।
- **ग्राम पंचायत** : समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी एवं उस विकास योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

ई) नीचे तक जवाबदेही के लिए माध्यम के तौर पर मीडिया का इस्तेमाल।

मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह तीन तरह से हो सकती है: (i) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय के विभिन्न पहलुओं और समुदायों के अधिकारों के बारे में जानकारी साझा करना; (ii) देशभर में दिख रहे सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझा कर पंचायती राज संस्थाओं की मदद करना ताकि वे चाहें तो उन्हीं का अनुसरण करें और (iii) कार्यक्रम क्रियान्वयन में खामियों एवं बिलंब को पहचानना तथा आम जनता को उनके बारे में बताना ताकि पंचायती राज संस्थाओं को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाया जा सके। इन भूमिकाओं को प्रभावी तरीके से निभाकर मीडिया हाशिये पर पड़े समुदायों, किशोरियों एवं अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधि बन सकता है। सभी

के लिए सुरक्षित स्वच्छता हासिल करने के लिए सामुदायिक समूहों तथा पंचायती राज संस्थाओं की लगातार सहभागिता जरूरी है और इस प्रक्रिया में मीडिया अहम हो जाता है।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय में देशभर में ओडीएफ समुदायों को बनाए रखना सुनिश्चित करने का मजबूत खाका पेश किया गया है, जिससे यह भी सुनिश्चित होता है कि देश में स्वच्छता के तौर-तरीकों आर्थिक विकास से कदमताल कर सकें। पंचायती राज संस्थाओं और मीडिया की भूमिका इसमें अहम हो जाती है।

क) पंचायती राज संस्थाओं की जवाबदेही की व्यवस्था

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय में संविधान के 73वें संशोधन में उल्लिखित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप मिशन के नियोजन एवं क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। कर्तव्यवाहक के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को अपने कार्य पूरे करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित संस्थागत मंच की आवश्यकता होती है। जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला-स्तर की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) समिति के गठन तथा मिशन के क्रियान्वयन के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि का आवंटन स्वागत योग्य कदम है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय के दिशानिर्देश तीनों स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की अधिक व्याख्या कर सकते हैं ताकि उन्हें उनके अधिकार क्षेत्र में सुरक्षित स्वच्छता संवाओं की मजबूत योजना तथा आपूर्ति के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके।

ख) मीडिया की अहम भूमिका

किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में भी मीडिया की भूमिका अहम है। मीडिया हाशिये पर पड़े समुदायों का प्रतिनिधि हो सकता है और नागरिकों के अधिकार, संभावनाओं तथा अच्छे तौर-तरीकों के बारे में बताकर पारदर्शिता को बढ़ावा दे सकता है। मीडिया मिशन के अंतर्गत लक्षित सुरक्षित स्वच्छता की योजना एवं आपूर्ति से जुड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत कर सकता है।

ग) पंचायती राज संस्थाओं तथा समुदायों की साझेदारी एवं क्षमता निर्माण

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय के तकनीकी तथा संस्थागत, सामाजिक, पर्यावरणीय, वित्तीय एवं व्यवहारगत पहलुओं में क्षमता निर्माण को कार्यक्रम की योजना एवं क्रियान्वयन के केंद्र में रखा जाना चाहिए। विकास साझेदारों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और शैक्षिक संस्थाओं पर विचार होना चाहिए और स्थानीय जरूरतों के अनुकूल बहु-हितधारक साझेदारियों के जरिए सभी स्तरों पर उन्हें साथ लिया जाना चाहिए।

(लेखक यूनिसेफ, लखनऊ में वॉश (जल एवं स्वच्छता) विशेषज्ञ हैं।)

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

ई-मेल : ctivari@unicef.org

स्वस्थ भारत के लिए जल और स्वच्छता

—उर्वशी प्रसाद

स्वच्छ भारत मिशन की तरह ही जल जीवन मिशन को भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की मागीदारी से जनादीलन बनाने की आवश्यकता है। जाहिर है कि सरकार को इसमें बड़ी भूमिका निभानी है और साथ ही, देश के प्रत्येक नागरिक को भी इसमें हाथ बंटाना है। यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों का विस्तार होता रहे ताकि स्वच्छ और स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल के साथ-साथ जलमल निरस्तारण की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है। अगर इन दो बातों के साथ आरोग्य संबंधी अच्छे तौर-तरीके भी अपनाए जाएं तो बीमारियों के प्रकोप और मृत्यु दर को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। विश्व बैंक का अनुमान है कि संवारी रोगों में से 21 प्रतिशत पानी से ही फैलते हैं। पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण डायरिया यानी पेटिश की बीमारी है। इतना ही नहीं नवजात शिशुओं में होने वाली न्यूमोनिया, सेप्टिस और इसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का प्रमुख कारण प्रदूषित जल से होने वाले रोग हैं। गर्म देशों में होने वाली पोलियो और मलेरिया जैसी बीमारियों का सीधा संबंध भी गंदे पानी और स्वच्छता तथा आरोग्य की कमी से है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली संस्थाओं में पर्याप्त पानी और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं की कमी भी माताओं और उनके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में अत्यंत बाधक है क्योंकि इससे संक्रामक रोगों का फैलाव बढ़ता है। इसी तरह, शिक्षा संस्थाओं में माहवारी के दौरान आरोग्य संबंधी प्रबंधन की पर्याप्त सुविधाओं का न होना न सिर्फ बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्या है बल्कि इससे विद्यालयों में उनकी उपस्थिति और शैक्षिक उपलब्धियों पर भी बुरा असर पड़ता है।

स्वच्छता के दायरे का विस्तार

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्वच्छता के क्षेत्र में जोरदार कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के दायरे का विस्तार हुआ है और यह अक्टूबर 2014 में 39 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर अक्टूबर 2019 में 100 प्रतिशत हो गया है। वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2017-18 और 2018-19, 2017 के अखिल भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण सर्वेक्षण और 2015 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के अनुसार मिशन के तहत बनाए गए 90 प्रतिशत शौचालयों

का उपयोग ग्रामीण परिवारों के लोग कर रहे थे। इससे ग्रामीण भारत के निवासियों की स्वच्छता संबंधी आदतों में बदलाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

इसके अलावा, देश में सार्वजनिक शौचालयों की हालत में भी स्पष्ट अंतर नजर आने लगा है। शौचालयों तक पहुंच बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की सहायता ली गई है। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली, भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में परीक्षण के तौर पर शुरु की गई एक परियोजना के तहत देश भर में 2,300 शहरों में 57,000 सार्वजनिक शौचालयों को गूगल मैप पर चिह्नित कर दिया गया है। ठोस कचरे के प्रबंधन में भी शानदार प्रगति हुई है: 55 प्रतिशत ठोस कचरे का निपटान किया जा रहा है और 96 प्रतिशत शहरी वार्डों में घर-घर जाकर कूड़े का संग्रह किया जाने लगा है।

असल में ग्रामीण स्वच्छता के दायरे के बढ़ने का अंदाजा लगाने के लिए इतना बताना काफी होगा कि आकांक्षी जिले में



स्वच्छता का दायरा बढ़ाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम में पीछे नहीं हैं। इससे समूचे राष्ट्र पर स्वच्छता अभियान के जबर्दस्त प्रभाव का साफ पता चलता है। उदाहरण के लिए मार्च 2019 की डेल्टा रैंकिंग में भूपालपल्ली जिला आकांक्षी जिलों में पहले स्थान पर था। यह वहां के जिला कलेक्टर द्वारा स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नलों के जरिए पानी की सुविधा वाले शौचालयों का निर्माण करने तथा इसी तरह के अन्य कदमों से संभव हो पाया। इसी प्रकार, शुरू में विजियानगरम की गिनती देश के सबसे पिछड़े जिलों में होती थी। फरवरी 2017 तक इस जिले के किसी भी ब्लॉक में शौचालयों की सुविधा 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में नहीं थी। व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के बड़े पैमाने पर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए की गई सबसे महत्वपूर्ण पहल '100 घंटे का कार्यक्रम' नाम का वह प्रसिद्ध अभियान था जिसने स्वच्छता को जनांदोलन बना दिया और बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवल 100 घंटों में 10,000 शौचालयों का निर्माण कर 71 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की बुराई से मुक्त कर दिया गया। आंध्रप्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्त्री निधि के जरिए शौचालयों के निर्माण के लिए समय पर ऋण सहायता प्रदान की गई। प्रत्येक लामार्थी को 12,000 रुपये का ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया। इससे विजियानगरम जिले में व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का दायरा 2014 में 11.42 प्रतिशत से बढ़कर 2018 में 73.37 प्रतिशत हो गया।

शौचालय की सुविधा की पहुंच में जोरदार वृद्धि के साथ-साथ लोगों को उनके नियमित उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने से उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर दिखाई देने लगा है। यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार भारत में खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त हुए गांव के प्रत्येक परिवार को चिकित्सा खर्च और बीमारी की वजह से काम पर न जा पाने से होने वाले नुकसान के रूप में 50,000 रुपये की सालाना बचत हो रही है और लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाने में भी मदद मिली है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में भी यह बात रेखांकित की गई है कि खुले में शौच से मुक्त घोषित गांवों में बच्चों में डायरिया के मामलों में अन्य गांवों की तुलना में 46 प्रतिशत की कमी आई है।

यह क्रांतिकारी बदलाव कई उपायों का सामूहिक प्रतिफल है। इनमें से पहला है इस बदलाव को लाने के लिए प्रदर्शित जबर्दस्त राजनीतिक इच्छाशक्ति। प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से स्वयं कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वच्छ भारत का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' नाम के अपने मासिक कार्यक्रम और अन्य सार्वजनिक भाषणों में स्वच्छ भारत मिशन का हमेशा और अन्य सार्वजनिक भाषणों में स्वच्छ भारत मिशन का हमेशा और अन्य सार्वजनिक भाषणों में स्वच्छता आंदोलन में जिक्र किया है जिसमें जनता को भारत में स्वच्छता आंदोलन में भागीदार बनने को हमेशा प्रेरित किया गया है। मिशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जिस तरह अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, उससे अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी

प्रेरणा मिली है और वे स्वच्छता के संदेश को अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में फैलाने को आगे आए हैं।

दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यवहार परिवर्तन पर बहुत जोर दिया गया है। इस अभियान के तहत शुरू से ही कार्य निष्पादन और परिणामों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है जिनकी वजह से यह उन अन्य कार्यक्रमों से एकदम अलग बन गया है जिनमें मुख्य रूप से शौचालयों के निर्माण पर जोर दिया जाता रहा है। पहले के कार्यक्रमों में गलती से यह मान लिया जाता था कि अगर शौचालय बन गया तो उसका उपयोग भी होता ही होगा और इसी धारणा के अनुसार पिछले कार्यक्रम में हुए शौचालय निर्माण के आधार पर ही अभियान की सफलता भी मान ली जाती थी। स्वच्छ भारत मिशन भारत का पहला स्वच्छता कार्यक्रम है जिसमें आपूर्ति की बजाय मांग से प्रेरित दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसीलिए इसमें खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त हुए गांवों और जिलों के रूप में सफलता का आकलन किया जाता है न कि केवल निर्मित शौचालयों की संख्या के आधार पर।

तीसरा, स्वच्छ भारत मिशन का पूरा ध्यान आधुनिक टेक्नोलॉजी का विस्तृत इस्तेमाल करते हुए अभियान की विकेंद्रित निगरानी पर केंद्रित रहा है। खुले में शौच से मुक्त घोषित गांवों की पुष्टि घोषणा के तीन महीने के भीतर ब्लॉक और जिले के अधिकारी करते हैं। सत्यापन के दौरान कोई कमी पाए जाने पर ब्लॉक अधिकारियों को सूचित किया जाता है और उनसे समयबद्ध तरीके से कमियां दूर करने को कहा जाता है जिसके बाद सत्यापन का एक और दौर आयोजित किया जाता है। राज्य, जिले, ग्राम पंचायतें और गांव मिशन के निर्माण, प्रोत्साहन राशि के भुगतान, खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा, सत्यापन और प्रत्येक गांव में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले ग्रामीणों से संबंधित सूचनाएं रियल टाइम में दी जाती हैं। मिशन के तहत निर्मित प्रत्येक शौचालय की अनिवार्य रूप से जियोटैगिंग की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समूची प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। स्वच्छ भारत मिशन का डैशबोर्ड लगातार हो रही प्रगति का प्रतीक बन गया है और इसकी घड़ी टिक-टिक करके मिशन में जमीनी-स्तर पर तेज रफ्तार से निरंतर हो रही वास्तविक प्रगति को रियल टाइम में प्रदर्शित करती है।

हाल में सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत की जा रही तमाम डिजिटल पहल को समन्वित करने के प्रयास में मैनेजमेंट इंफार्मेशन प्रणाली पोर्टल (एम.आई.एस. पोर्टल) का शुभारंभ किया ताकि राज्य और शहर आसानी से सूचनाएं प्राप्त कर सकें। 2015 में सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की थी जो देश के शहरों और कस्बों में साफ-सफाई, आरोग्य और स्वच्छता की स्थिति दर्शाने वाला वार्षिक सर्वेक्षण है। बीते वर्षों में इस सर्वेक्षण का मुख्य जोर स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में शहरों के कार्य निष्पादन के आकलन के रूप में बदल गया है और इसके साथ ही ठोस कचरे के प्रबंधन, संपूर्ण जल-मल प्रबंधन तथा सेप्टेज प्रबंधन तथा

हम लोगों पर अपनी बाल थोपकर विकास से जुड़ी दीर्घकालिक जीत हासिल नहीं कर सकते। समुदायों द्वारा इसे खुद से सहजता के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ते हुए और इसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बनाए जाने पर ही इस दिशा में सफलता संभव है।

—हेनरिएटा एच फोर, युनिसेफ के कार्यकारी निदेशक की स्वच्छ भारत आन्दोलन पुस्तक से उद्धृत

अवजल का शोधन कर उसको फिर से इस्तेमाल में लाने पर जोर दिया जाने लगा है।

स्वच्छ सर्वेक्षण के अलावा स्रोत पर ही कचरे की छंटाई, वैज्ञानिक तरीके से कूड़े-कचरे की प्रोसेसिंग, सार्वजनिक स्थानों में कूड़ा-कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना तथा कचरा फेंकने के स्थानों में सुधार के कार्य को संस्थागत रूप दिया जा रहा है। इसके लिए कचरामुक्त शहरों के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल जैसी अभिनव प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। इतना ही नहीं, भारत को 2022 तक एक बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले प्लास्टिक से मुक्त करने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार सड़क निर्माण में रव्दी प्लास्टिक के फिर से उपयोग के बारे में सीमेंट उत्पादन करने वाली कंपनियों की एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ सहयोग कर रही है। सरकारी पहल के साथ ही नागरिकों ने भी कचरा कंफे खोलने जैसे कुछ नए मॉडल विकसित किए हैं जिनमें कोई भी कूड़ा-कचरा जमा कराकर उसके बदले में भोजन प्राप्त कर सकता है।

स्वच्छ जल तक पहुंच में सुधार

आंकड़े ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो देश में पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकते हैं। इस दिशा में एक छलांग लगाते हुए नीति आयोग ने एक संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक तैयार किया है जो जल-संसाधनों के कुशल प्रबंधन के आकलन और इसमें सुधार के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। यह एक तथ्य है कि पानी राज्यों का विषय है और इसका अनुकूलतम उपयोग तथा प्रबंधन मुख्य रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह सूचकांक राज्यों को पानी का कुशल और अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ गंदे पानी को साफ कर उसे फिर से उपयोग में लाने को प्रेरित करने के लिए बनाया गया है।

हालांकि जल आपूर्ति राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार कार्यक्रमों और परियोजनाओं में निष्पादन की बजाय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रोत्साहन-आधारित प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मानदंड और दिशानिर्देश बनाने तथा वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का पुनर्गठन किया ताकि यह अधिक परिणाममूलक बन सके और इसमें सेवाओं के काम करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ राज्यों को योजना के अंतर्गत आवंटित राशि के उपयोग में

अधिक लचीलापन बरतने की छूट दी जा सके। पुनर्गठित कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित धनराशि का 2 प्रतिशत जापानी भरितष्क ज्वर के प्रकोप वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा फरवरी 2017 में शुरू किए गए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत उप-मिशन के रूप में शामिल कर लिया गया ताकि पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की विषाक्तता से ग्रस्त 28,000 बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो सके। ऐसी व्यवस्था की गई जिसके अंतर्गत यह जरूरी हो गया कि राज्यों को बकाया धनराशि तभी जारी की जाएगी जब किसी तीसरे पक्ष से जल आपूर्ति ढांचे के सुचारु रूप से काम करने की पुष्टि हो जाएगी। केवल ढांचा खड़ा कर देने की बजाय उसके काम करने की स्थिति का आकलन करने के इस नए तरीके से अच्छे नतीजे आने की शुरुआत हुई। इससे यह सुनिश्चित किया जा सका कि केवल पानी की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन ही नहीं दिखानी है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि वे लगातार सुचारु रूप से कार्य भी करें।

पानी से संबंधित मामलों को देखने वाले दो मंत्रालयों को समन्वित करने के लिए सरकार ने नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। 2019 में सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के उच्चकृत संस्करण 'हर घर नल से जल' की शुरुआत की जो जल जीवन मिशन के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक देश के तमाम ग्रामीण परिवारों को नलों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत राज्यों और जिलों के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं। इसमें जिन इलाकों में नलों से पानी की सप्लाई के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है वहां बोरवेल और ट्यूबवेल लगाना और ड्राई सेंसर से युक्त पम्प लगाना तथा भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए ढांचा खड़ा करना जैसे अनिवार्य घटकों की व्यवस्था की गई है। देशभर में पाइपलाइनों के जरिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अलावा जल जीवन मिशन के तहत वर्षा जल के संचय, भूमिगत जलाशयों को फिर से भरने और अवजल को साफ कर फिर से काम में लाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वर्ष 2020 के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने भारत को पानी के लिहाज से सुसज्जित बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए जल शक्ति मिशन के लिए 3.35 लाख करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।

आगे का रास्ता

हालांकि व्यवहार को कम समय में ही बदलना संभव है। प्रमाणों से पता चलता है कि चिरस्थायी बदलाव लाने के लिए व्यवहार परिवर्तन अभियानों को नियमित रूप से संचालित करना आवश्यक है। परिवारों द्वारा पुरानी आदतों को फिर से अपना लेने से रोकने के लिए स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों में जमीनी-स्तर पर कार्य करने वाले स्वच्छाग्रहियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है ताकि वे गांव के खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जाने के

बाद घर-घर जाकर स्वच्छता संदेश पहुंचाने, नियमित पुष्टि करने और खुले में शौच की अधिकता वाले स्थानों में तड़के पहुंचकर निगरानी का काम पूरा कर सकें। बुनियादी ढांचे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और अन्य फायदों की व्यवस्था की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए एक शिक्षक या विद्यार्थी जो स्कूलों में साफ-सफाई का झंडा युक्त करता है, या जो स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसकी पहचान की जानी चाहिए और उसे उचित पुरस्कार दिया जाना चाहिए। बच्चों की व्यक्तिगत आदतें बचपन में रूप ग्रहण करना शुरू कर देती हैं और वे अपने समुदाय में परिवर्तन के सवाहक की भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य और आरोग्य के संदेशों को स्कूली पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

खुले में शौच का दर्जा प्राप्त जिन पंचायतों और शहरों के फिर से पुरानी हालत में वापस लौटने की आशंका है, उनके लिए लक्षित व्यवहार परिवर्तन संघार अभियान खासतौर पर तैयार किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, इन अभियानों में न सिर्फ शौचालयों के नियमित इस्तेमाल और रखरखाव पर जोर दिया जाना चाहिए बल्कि परिवारों को अपशिष्ट प्रदायों को सूखे, गीले और जोखिम वाले कूड़े के रूप में स्रोत पर ही अलग करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निवासी कल्याण एसोसिएशनों के जरिए रसोईघर और घर के अन्य कूड़े-कचरे को स्थानीय-स्तर पर ही निस्तारित करने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

पानी के प्रदूषण और उसकी स्वच्छता के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रबंधन के कार्य में पंचायतों और स्थानीय समुदायों को शामिल करना भी बहुत जरूरी है। गुजरात में जल और स्वच्छता प्रबंधन संगठन ने परियोजनाओं के नियोजन और रखरखाव के कार्य में समुदायों को शामिल करने के एक अभिनव मॉडल पर अमल शुरू किया है। यह परियोजना 6,787 गांवों के 76 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल वाले पानी के कनेक्शन के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराती है; इसमें ग्रामीण समुदाय परियोजना की प्रारंभिक लागत का 10 प्रतिशत अंशदान करती हैं और संचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती हैं। इसमें उपयोग करने वालों से एकत्रित किए गए धन का उपयोग किया जाता है। राज्य में पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्थानीय स्तर पर टीमों भी गठित की जाती हैं।

स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच के साथ-साथ आरोग्य संबंधी बुनियादी तौर-तरीकों जैसे बार-बार हाथों को साबुन से धोने को व्यापक रूप से अपनाए जाने की आवश्यकता है। बाल मृत्युदर को कम करने में हाथों की सफाई की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए एक अनुमान के अनुसार साबुन से हाथ साफ करने से दस्त लगने के मामलों में 40 प्रतिशत और सांस की बीमारियों में 20 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा, महिलाओं में माहवारी संबंधी

स्वच्छता संबंधी प्रबंधन के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसके लिए घर-परिवार के साथ-साथ स्कूलों एवं कार्यालयों जैसे संस्थागत माहौल पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

यह भी बहुत जरूरी है कि हम स्वच्छता के क्षेत्र में सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य, पारिस्थितिकी की दृष्टि से मजबूत और किफायती टेक्नोलॉजी संबंधी नए-नए विकल्पों की खोज और विकास करते रहें जो स्थानीय माहौल और संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप हों। भारत के विभिन्न भागों या अन्य देशों में परीक्षण के दौरान सफल रही टेक्नोलॉजी का उपयोग आवश्यक अनुकूलन के साथ बढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उच्च दक्षता वाले ऐसे शौचालयों पर जोर दिया जाना चाहिए जिनमें परंपरागत शौचालय में एक बार के इस्तेमाल में 10-15 लीटर पानी की बजाय 4-6 लीटर से ही काम चल जाए। साथ ही, इन विकल्पों में भारत के व्यापक विविधताओं वाले ग्रामीण और शहरी माहौल में समतुल्य स्तर की सेवाएं प्रदान करने की क्षमता होना भी आवश्यक है। जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक तथा सुरक्षित तरीके से प्रबंधन की प्रणालियों का भी विकास किया जाना चाहिए।

अब जबकि व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों तक पहुंच की दृष्टि से स्वच्छता के दायरे में शानदार बढ़ोतरी हुई है तो ऐसे में अब जल-मल तथा सैटिक टैंकों से निकलने वाले कचरे और घरों व संगठनों के परिसरों में रसोईघर तथा शौचालय से निकलने वाले गंदे पानी को सुरक्षित तरीके से इकट्ठा करने और उसके परिवहन तथा निस्तारण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सभी तरह के अवजल को नदी, नालों या समुद्र आदि में छोड़ने से पहले उपचारित किया जाना चाहिए। अंतिम और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि स्वच्छताकर्मियों की सुरक्षा और उनकी गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। उन्हें अपने बचाव के लिए पहने जाने वाले प्रोटेक्टिव गियर और मशीनचालित उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रगति की गुणवत्ता, रफ्तार और स्केल से इंकार नहीं किया जा सकता और इसकी झलक जमीनी सच्चाई के रूप में देखी जा सकती है। स्वच्छ भारत मिशन ने एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। स्वच्छ भारत मिशन की तरह ही जल जीवन मिशन को भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी से जनांदोलन बनाने की आवश्यकता है। जाहिर है कि सरकार को इसमें बड़ी भूमिका निभानी है और साथ ही, देश के प्रत्येक नागरिक को भी इसमें हाथ बंटाना है। यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों का विस्तार होता रहे ताकि स्वच्छ और स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सके।

(लेखिका नीति आयोग में पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ हैं।)

ई-मेल : urvashi.prasad@nic.in

ग्रामीण भारत में जल और स्वच्छता प्रबंधन

—डॉ. विश्वरंजन

हम सभी पानी की कीमत समझ चुके हैं। जल प्राकृतिक संसाधनों में से एक है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। स्वच्छ जल और संपूर्ण स्वच्छता की सुविधाएं विभिन्न संक्रामक रोगों की घटनाओं को रोक सकती हैं और संबद्ध रुग्णता और मृत्युदर को कम करने में भी मदद करती हैं। स्वच्छता के प्रभाव से देश में विभिन्न क्षेत्रों और लिंग-आधारित अपराधों तथा मनो-सामाजिक तनाव में कमी आई है।

पृथ्वी की आयु और इस पर रहने वाले जीवों का अस्तित्व बरकरार रखने में जल एक अहम भूमिका निभाता है। इसके बिना हम स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जीवन और आजीविका के लिए सुरक्षित पानी की उपलब्धता नितांत आवश्यक है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसमें 130 करोड़ से अधिक नागरिक रहते हैं। भारत में जल की अत्यधिक आवश्यकता है। भारत वैश्विक-स्तर पर जल और स्वच्छता के विषय पर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में, नल कनेक्शन वाले घरों की संख्या 5.38 करोड़ है। खुले में शौच से मुक्ति पाने के लिए भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभियान के सतत प्रयास से 10.64 करोड़ घरों में शौचालय उपलब्ध करवाया है। 6 लाख गांवों, 706 जिलों और 36 राज्यों/संघशासित राज्यों ने स्वयं को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) घोषित किया है। इस अभियान से जनमानस में स्वच्छता के प्रति आया बदलाव दर्शनीय है।

भारत की विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं ने समाज में जल और स्वच्छता के प्रति एक अहम भूमिका निभाई है। इन संस्थाओं ने आर्थिक, तकनीकी, और जागरूकता अभियान के माध्यम से, शहरी और ग्रामीण, दोनों वर्गों में सुरक्षित पेयजल और उचित स्वच्छता को बढ़ावा दिया है। विकसित भारत के न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक ही, बल्कि शहरी लोग भी जल और स्वच्छता योजनाओं के प्रबंधन के लिए बढ़-चढ़ कर आगे आए हैं। ऐसी संस्थागत व्यवस्था हर एक वर्ग के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होती है।

कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से हमें बचाने में स्वच्छ जल और स्वच्छता के विभिन्न आधारभूत प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पांच साल पहले स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को निर्धारित करते समय हाथ धोने के एक महत्वपूर्ण संदेश को स्थापित किया गया था।

सभी के लिए साफ पानी, स्वच्छता की उपलब्धता और इसका स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना हम सभी का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।



इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की शुरुआत की गई है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), हर घर जल-जल जीवन मिशन। इस अभियान को और बल मिले इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों ने भी भिन्न-भिन्न नामों से कार्यक्रमों की शुरुआत की है-

बिहार- संपूर्ण स्वच्छता अभियान और स्वजलधारा

यूपी- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

मध्य प्रदेश- नल जल योजना

महाराष्ट्र- संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान

कर्नाटक- अमृत जल योजना / ग्राम विकास योजना, इत्यादि।

स्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी) - एसडीजी 6.1 लक्ष्य वर्ष

2030 तक सभी के लिए सुरक्षित और सरस्ते पेयजल को सार्वभौमिक और समान रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता को दर्शाता है। हालांकि यह एक कठिन लक्ष्य है, वर्तमान महामारी ने सरकार को स्वच्छ पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया है। सरकार ने महामारी से कुछ महीने पहले पानी के संकट को दूर करने की इच्छा और दृष्टि का प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ओडीएफ लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद, देश के बढ़ते जल संकट से निपटने के लिए भी कसर कस ली है और यह घोषणा की है कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत लगभग 3.5 ट्रिलियन खर्च किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य सभी को वर्ष 2024 तक पीने का पानी हर घर में उपलब्ध कराना है।

जल और स्वच्छता प्रबंधन

जल और स्वच्छता प्रबंधन में यदि सामुदायिक-स्तर पर सहयोग सुचारु रूप से किया जाए तो, परिवर्तन निर्धारित समय से पहले भी हो सकते हैं। जल प्रबंधन, जल संसाधनों से संबद्ध विभिन्न योजनाओं की गतिविधि है। इस गतिविधि के अंतर्गत जल उपयोग की योजना, विकास, वितरण और प्रबंधन की क्रियात्मक गतिविधि को दर्शाया गया है। जल हम सभी की बुनियादी आवश्यकता है। पानी के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। साफ पानी की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए कुशलता से प्रवर्धित कर साफ पानी को बचाया जा सकता है।

ग्रामीण जल प्रबंधन अक्सर सामुदायिक भागीदारी द्वारा तय की गई नीतिगत प्रबंधन योजना के माध्यम से सफल होता है क्योंकि नीति निर्माताओं द्वारा जनमानस की राय और विशेषज्ञों के सुझाव अक्सर लिए जाते हैं। भारत सरकार ने ग्रामीण जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुए वर्ष 2019 में जलशक्ति अभियान (जेएसए) की शुरुआत की, जिसे दो चरणों में चलाया गया। प्रथम चरण 1 जुलाई से 15 सितंबर, 2019 (सभी राज्यों में), द्वितीय चरण 1 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2019 (मानसून समाप्त होने के बाद वाले राज्यों में) इस अभियान के तहत जलसंचय पर जोर दिया गया था। यह एक समयबद्ध, मिशन मोड जल संरक्षण अभियान है। अभियान के दौरान, भारत सरकार के अधिकारियों, भूजल विशेषज्ञों

और वैज्ञानिकों ने, भारत के विभिन्न जिलों, जहां जल-स्तर की सबसे अधिक कमी थी, उन जिलों में राज्य और जिला अधिकारियों के साथ मिलकर जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए पांच लक्षित हस्तक्षेप के त्वरित कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान केंद्रित करके काम किया। जेएसए का उद्देश्य विभिन्न जल संरचनाओं का संरक्षण और व्यापक संचार के माध्यम से जल-संरक्षण को जन-आंदोलन बनाना है। केंद्रीय भूजल बोर्ड 2017 के अनुसार महत्वपूर्ण या अत्यधिक-दोहित भूजल-स्तर वाले जिलों, गंभीर और भूजल का अधिक दोहन करने वाले राज्यों के लिए तथा शेष जिलों की तुलना में भूजल की कम उपलब्धता वाले विभिन्न राज्यों के जिलों का चयन किया गया था।

पांच लक्षित हस्तक्षेप

- जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन
- पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैंकों का नवीनीकरण
- पुनः उपयोग और पुनर्मरण संरचनाएं
- वाटरशेड विकास
- गहन वनीकरण

इस मिशन में लगभग 1500 ब्लॉकों की जल संरक्षण से संबंधित स्थितियों में सुधार किया गया है, जल संरक्षण संबंधित केंद्रीय कार्यक्रमों में 254 जिलों में घट रहे जल-स्तर पर जोर दिया गया।

जल शक्ति अभियान का एक प्रमुख आउटपुट जिला जल-संरक्षण योजना विकसित करना है। यह अनिवार्य रूप से जल के उपयोग, संरक्षण, पुनर्मरण और बेहतर उपयोग की रणनीति है। जिला जल संरक्षण योजना ब्लॉक-स्तर की संरक्षण योजनाओं के संकलन के आधार पर विकसित की गई है, जो अनिवार्य रूप से ब्लॉक के अंतर्गत संगठित ग्राम पंचायतों (जीपी) की जल संरक्षण योजनाओं को बढ़ावा देती है। जिला जल संरक्षण योजना के गठन में निम्नलिखित उद्देश्य शामिल होंगे:

- सभी संबंधित विभागों की पहचान करना और उन्हें जल-संरक्षण के कार्यों से जोड़ना, जैसे- पंचायती राज, पेयजल, कृषि, सिंचाई, वंदोवस्ती बोर्ड आदि।
- तस्वीरों के साथ जियो-टैगिंग और स्थान के अन्य विवरणों के साथ जीपी/ब्लॉकवार जल संचयन और पुनर्मरण संरचनाओं की एक सूची बनाना।
- इन संरचनाओं में से प्रत्येक की कार्यक्षमता की स्थिति निर्धारित करना।
- संरचनाओं की संख्या और उनकी कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना।
- लागत मूल्यांकन के साथ गैर-कार्यात्मक संरचनाओं के पुनः उपयोग करने की व्यवहार्यता निर्धारित करना, इसके बाद उन योजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान करना जिनके तहत संस्थाओं को सुचारु रूप से व्यवस्थित कर पुनः कार्यक्रम

अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति क्षेत्र में सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए अब, पहले के मुकाबले उन्नत अनुसंधान और नवाचार को सहायता और बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन नवाचारों, युवा अन्वेषकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, उद्यमियों और इस क्षेत्र में कार्यरत स्टार्टअप से लागत प्रभावी समाधान तथा ज्ञान अंतराल को भरने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है। इसके अलावा, विभाग/राष्ट्रीय मिशन/एसडब्ल्यूएसएम ग्रामीण जल आपूर्ति के कुशल, प्रभावी और आर्थिक रूप से सक्षम प्रबंधन के लिए साक्ष्य-आधारित तकनीकी प्रयासों को अपनाने के लिए कार्य अनुसंधान और समबर्ती मूल्यांकन आयोजित करेगा। जल जीवन मिशन के तहत ये अनुसंधान और विकास परियोजनाएं वैज्ञानिकों, अनुसंधान और विकास संस्थानों, नवोन्मेषकों, उद्यमियों के साथ साझेदारी के निर्माण में मदद करेगी और इससे सृजित उपयोगी ज्ञान पेयजल क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा, ताकि लोगों के जीवन में सुधार हो सके। अनुसंधान और विकास दिशा-निर्देश विभागीय पोर्टल [i-https://jalshakti-ddws.gov.in/](https://jalshakti-ddws.gov.in/) पर उपलब्ध है। सभी इच्छुक व्यक्ति/एजेंसियां/संस्थाएं इस अवसर का उपयोग कर सकती हैं और अपने प्रस्तावों को लागू कर सकती हैं।

चलाया जा सकता है। इसके बाद वार्षिक लक्ष्य तय करने चाहिए, ताकि हर संरचना जो गैर-कार्यात्मक हो और जहां संरचना को पुनः शुरू करने की संभावना मौजूद हो, उसे समयबद्ध तरीके से कार्यात्मक बनाया जाए।

- सभी सरकारी स्वामित्व वाली इमारतों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं होनी चाहिए।
- निजी स्वामित्व वाली इमारतों के मालिकों को जल-संचयन संरचनाओं के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयास तीव्र होना चाहिए।
- स्थानीय स्वशासी संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायतें, जलविभाजक संरचनाओं वाले भवनों के मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कर व्यवस्था जिससे वे नीतिगत हस्तक्षेप कर सकते हैं।
- संरचनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन और प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा संबंधित विभाग द्वारा सभी पहचान की गई संरचनाओं का मानसून के दौरान निरीक्षण और रखरखाव अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- जल संरक्षण योजना के हर क्षेत्र में शोधन और पुनः उपयोग से जल के उपयोग की कुशल प्रणालियों में बदलाव होता है, आदि।

जेएसए रोल आउट

उपरोक्त सभी हस्तक्षेप 254 जिलों में लागू किए गए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, लगभग 254 अपर सचिव/संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, 400 उप सचिव/निदेशक,

भारत सरकार के 400 तकनीकी अधिकारियों को कार्यान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा करने और प्रतिक्रिया हेतु उत्तरदायी बनाया गया।

प्रत्येक अपर सचिव/संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को एक जिला आवंटित किया गया जिस केंद्रीय नोडल अधिकारी भी कहा जाता है।

अभियान में शामिल होने वाले अन्य समूह निम्न हैं:-

- 180 सहायक सचिवों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए अपने क्षेत्र के दौरे के दौरान आवश्यक कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया और अभियान को सफल बनाया।
- जिला कलेक्टर द्वारा नामित स्थानीय कॉलेजों के इंजीनियरिंग छात्रों का अभियान में जोड़ा गया, जिन्होंने फिर जिलों में इस लागू किया।
- जिला कलेक्टर द्वारा नामित स्थानीय एनजीओ, आवश्यक सामुदायिक लामबंदी, आईईसी आदि में शामिल हुए।
- जल क्षेत्र में राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ प्रतिष्ठित एनजीओ भी राज्यों द्वारा शामिल हुए।
- नेहरू युवा केंद्र संगठन/राष्ट्रीय स्वयंसेवक/राष्ट्रीय कैंडेट कोर/स्कूली इंसो-क्लब और स्कूली छात्रों को भी ब्लॉक स्तर की टीमों में शामिल होने के लिए जुटाया गया।
- स्वच्छता प्रबंधन और प्रसार हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है जैसे- स्वच्छ शक्ति, स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एवं शहरी स्वच्छता कार्ययोजना, इत्यादि।

दृष्टिकोण और व्यवहार

हम सभी पानी की कीमत समझ चुके हैं। जल प्राकृतिक संसाधनों में से एक है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। स्वच्छ जल और संपूर्ण स्वच्छता की सुविधाएं विभिन्न संक्रामक रोगों की घटनाओं को रोक सकती हैं और संबद्ध रुग्णता और मृत्युदर को कम करने में भी मदद करती हैं। वर्तमान जनमानस के दृष्टिकोण से भारत के ग्रामीण इलाकों में मौजूदा जल और स्वच्छता की सुविधाओं, धारणाओं और प्रथाओं को समझने के लिए हमें क्षेत्रों में जाना चाहिए।

हर दिन हम सभी अपनी सांस, पसीना, मूत्र और मल त्याग के माध्यम से पानी खो देते हैं। आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए, आपको पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों का सेवन करके पानी की आपूर्ति को फिर से पूरा करना चाहिए। समशीतोष्ण जलवायु में रहने वाले सभी स्वस्थ वयस्कों को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ अवश्य लेने चाहिए जो निम्नानुसार हैं :

-पुरुषों के लिए लगभग एक दिन में 15.5 कप (3.7 लीटर) तरल पदार्थ

-महिलाओं के लिए एक दिन में लगभग 11.5 कप (2.7 लीटर) तरल पदार्थ

अन्य पेय पदार्थों और भोजन के माध्यम से भी तरल पदार्थ की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। दैनिक तरल पदार्थ का

भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली का नया वर्जन

जल शक्ति मंत्रालय ने भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली (भारत-डब्ल्यूआरआईएस) का एक नया वर्जन लांच किया है जो नई कार्यक्षमता और विशेषताओं से लैस है। वेब पोर्टल www.indiawris.gov.in के जरिए आम जनता के लिए पूरी तरह से खुले एवं सुलभ इस पोर्टल में वर्षा, जलस्तर एवं नदियों के प्रवाह, जलस्थलों, भूजल-स्तर, जलाशय में भंडारण, वाष्पन-उत्सर्जन और मिट्टी की नमी के लिए डैशबोर्ड के माध्यम से जल संसाधनों से संबंधित जानकारियां हैं। इसके साथ ही इसमें जल संसाधन परियोजनाओं, जलस्थलों, हाइड्रो-मेट डाटा की उपलब्धता पर मॉड्यूल और जीआईएस लेयर एडिटिंग के लिए उपकरण हैं।

किसी भी संसाधन के लिए बेहतरीन योजना बनाने के लिए एक मजबूत डाटाबेस और एक विश्वसनीय सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत जुलाई, 2019 में भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली (भारत-डब्ल्यूआरआईएस) का पहला वर्जन लांच किया। उस समय से लेकर अब तक इस प्रणाली में अनेक नई कार्यक्षमताएं और विशेषताएं या खूबियां जोड़ी गई हैं।

इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी हितधारक संबंधित जानकारियों की परिकल्पना यूजर (उपयोगकर्ता) अनुकूल तरीके से कर सकता है और इसके साथ ही सूचना को एक्सेल रिपोर्टों एवं ग्राफ के रूप में डाउनलोड भी कर सकता है। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में ये शामिल हैं: जल संबंधी जानकारियां आसानी से उपयोगकर्ताओं एवं आम जनता, निर्णायकताओं, जल प्रबंधकों, किसानों और विशेषज्ञों के लिए उपलब्ध कराई जाती है, केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों से प्राप्त हाइड्रो-मेट की जानकारियों तक सीधी पहुंच है, वास्तविक समय में डाटा एक क्लिक पर उपलब्ध है; विभिन्न आवश्यकताओं के लिए मॉड्यूल की विविधता है, नवीनतम तकनीक हैं, निरंतर विकास एवं सुधार सुनिश्चित किया जाता है।

विभिन्न उपयोगकर्ता समूह संबंधित जानकारियों का विविध उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसान और किसान कल्याण संघ वर्षा, स्टोरेज या जलाशयों में जल की उपलब्धता एवं भूजल जलमृत्तों के आधार पर फसलों एवं फसल के पैटर्न की योजना बना सकते हैं, और बदलते समय के साथ ये संघ डाटा का सही ढंग से उपयोग करने के लिए युवाओं को स्वयं से जोड़ भी सकते हैं क्योंकि इस वेबसाइट पर वास्तविक समय में डाटा उपलब्ध है। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि अपने इलाके में पानी की उपलब्धता, भूजल स्तर, निकटवर्ती नदी में जल के स्तर और इसी तरह के कई तथ्यों को जानने के लिए इस डाटा का उपयोग कर सकते हैं। योजनाकार एवं प्रशासक जल के समुचित उपयोग और वाढ़ एवं सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए अपने-अपने राज्यों, विभिन्न यैसिन के इस डाटा का उपयोग कर सकते हैं।

स्मार्ट जल आपूर्ति मापन और निगरानी प्रणाली के लिए ग्रैंड आईसीटी चैलेंज

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ मिलकर एक 'स्मार्ट जल आपूर्ति मापन और निगरानी प्रणाली' जिसे ग्रामीण-स्तर पर तैनात किया जाना है, को विकसित करने के उद्देश्य से एक नवीन, आधुनिक और क्रियाशील उपाय के तौर पर आईसीटी ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। आईसीटी ग्रैंड चैलेंज के तहत भारतीय तकनीकी स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-एमएसएमई, भारतीय कंपनियों तथा भारतीय सीमित देयता भागीदारी-एलएलपी से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) का उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना है। यह योजना घरेलू-स्तर पर सेवा वितरण पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, अर्थात् निर्धारित गुणवत्ता और नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति। इस कार्यक्रम की व्यवस्थित निगरानी करने और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित रूप से सेवा वितरण डाटा इकट्ठा करने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग की आवश्यकता है। जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे का डिजिटलीकरण होने से देश की कुछ बड़ी सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूढ़ने की क्षमता विकसित होगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भविष्य की चुनौतियों का पूर्वानुमान तथा पता लगाने में मदद करेगा।

आईसीटी ग्रैंड चैलेंज स्मार्ट ग्रामीण जलापूर्ति तंत्र को बेहतर बनाने के लिए भारत के जीवंत आईओटी पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत करने में मदद करेगा। यह चैलेंज जल जीवन मिशन के लिए काम करने और हर ग्रामीण परिवार को क्रियाशील अवस्था में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति का आश्वासन देने का अवसर प्रदान करेगा।

ग्रैंड चैलेंज वैचारिक स्तर पर, प्राथमिक अवस्था में और क्रियाशील होने के स्तर पर सहायता प्रदान करेगा। परियोजना की शुरुआत 100 गांवों में की जाएगी। सबसे अच्छा समाधान प्रदान करने वाले विजेता को 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा और प्रतियोगिता में द्वितीय विजेता को 20 लाख रुपये दिए जाएंगे। सफल डेवलपर्स को उनके आगे के काम को पूरा करने के लिए एमईआईटीवाई समर्थित इनक्यूबेटर/सीओई में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के विचार को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। आईसीटी ग्रैंड चैलेंज से संबंधित विवरण को वेबसाइट <https://jjm.gov.in> पर देखा जा सकता है।

लगभग 20 प्रतिशत सेवन आमतौर पर भोजन और बाकी पेय पदार्थों से होता है।

स्वच्छ जल के उपयोग से शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है:

- शरीर का तापमान सामान्य रखता है।
- शरीर के जोड़ों में चिकनाई बरकरार रखता है।
- रीढ़ की हड्डी और अन्य संवेदनशील ऊतकों की रक्षा होती है।
- पेशाब, पसीने और मल त्याग के माध्यम से अवांछित पदार्थ बाहर आते हैं।

भारतीय संविधान के तहत जल आपूर्ति और स्वच्छता राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य अगर चाहे तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं को जिम्मेदारी दे सकते हैं। वर्तमान में, राज्य आमतौर पर अपने राज्य विभागों (सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग या ग्रामीण विकास इंजीनियरिंग) या राज्य जल बोर्डों के माध्यम से जलापूर्ति की योजना की रूपरेखा तैयार करते हैं एवं इसे राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों के द्वारा निष्पादित किया जाता है और अक्सर जिला द्वारा संचालन में सहयोग दिया जाता है।

राज्य-स्तर पर अत्यधिक केंद्रीकृत निर्णय और अनुमोदन, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं के प्रबंधन को प्रभावशाली बनाते हैं। मुख्यालय में अधिकांश निर्णय बहुत ही केंद्रीकृत तरीके से किए जाते हैं। 1993 में भारतीय संविधान और संबंधित राज्य विधानों में संशोधन किया गया था ताकि नगरपालिकाओं को पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सहित कुछ जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण किया जा सके। चूंकि नगरपालिकाओं को जिम्मेदारियां सौंपना राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग दृष्टिकोणों का पालन किया है।

भारत के ग्रामीण इलाकों में लगभग 100,000 ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियां हैं। ब्लॉक, जिलों और गांवों के बीच एक मध्यवर्ती-स्तर हैं। पंचायती राज संस्थान 2006 तक ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता के प्रावधान में केवल एक सीमित भूमिका निभाते थे। अब ये ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण स्वच्छता के लिए आमतौर पर घरों के दायरे में या उसके आसपास शौचालय या सामुदायिक शौचालय के रूप में ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। लोगों के व्यवहार परिवर्तन में केंद्र सरकार के सूचना शिक्षा, संचार (आईइसी) का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे का निर्माण 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य केंद्र द्वारा रखा गया है ताकि हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) हो और निर्धारित और पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पानी उपलब्ध हो सके। इस कार्य के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ग्रामीण समुदायों में पेयजल सुरक्षा के लिए क्रमबद्ध योजना बनाना, उसे कार्यान्वित करना, प्रबंधन, नियमित संचालित करना

और इसे बनाए रखने के लिए उपयोगिता दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना है। स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण का मुख्य लक्ष्य रहा है जनमानस में क्षमता निर्माण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पानी के महत्व और स्वच्छता पर समुदाय में जागरूकता पैदा करना।

व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ खुले में शौच के व्यवहार से व्यापक-स्तर पर मुक्ति मिली और भारत के ग्रामीण इलाके स्वच्छ हो चुके हैं, जिससे विश्व भर में भारत की स्वच्छता यात्रा मील का पत्थर साबित हुई है। जनमानस के योगदान से ग्रामीण भारत का स्वरूप बदला है और इसे न केवल कायम रखने बल्कि आगे बढ़ाने हेतु भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण II को 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में लागू किया है।

अब तक सरकार द्वारा भारत की जनता के लिए पानी की आपूर्ति और स्वच्छता के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिन्हें विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से निष्पादित किया गया है। इन्हें सार्थक बनाने के लिए निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठन इस क्षेत्र में लगातार शामिल रहे हैं। अब तक चर्चा किए गए दृष्टिकोण और व्यवहार से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकार की जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए भारत की जनता को एकजुटता के साथ कार्यान्वयन में भागीदारी निभानी चाहिए। और विभिन्न संस्थागत, निजी क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठनों को सहयोग देना चाहिए। जल और स्वच्छता क्षेत्रों में नीति पर ध्यान रखते हुए कार्यान्वयन में सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत तकनीक उपयोगी साबित हुई है। इसके अनुसार, पानी और स्वच्छता दायरे में आने वाले विषय पर संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रदर्शनी इत्यादि समय-समय पर किए जाते हैं।

जिला-स्तर पर स्थानीय स्वच्छता चैंपियनों की पहचान करके उनमें स्वच्छता के प्रति इच्छाशक्ति को बढ़ाया जा रहा है और प्रशासनिक सहयोग और राज्य विशिष्ट स्वच्छता बनाने के लिए राज्य का समर्थन करके प्रमुख संस्थान अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं। विशिष्ट स्वच्छता के लिए चयनित जिलों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और एक विशेष राज्य एवं जिले के अनुल्प व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रमुख संस्थान अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं।

स्वच्छता के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्र और लिंग-आधारित अपराधों तथा मनो-सामाजिक तनाव में कमी आई है। अब स्वच्छता से जुड़े लिंग-आधारित अपराधों में कमी से खुले में शौच करने जाने वाली महिलाओं और लड़कियों द्वारा झेली जा रही समस्याओं की एक शृंखला टूट गई है और स्वच्छता की सुविधाओं ने एक मजबूत रूप ले लिया है।

(लेखक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में कंसल्टेंट हैं।)
ई-मेल : vishwanjan@yahoo.com

माहिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता सरोकार

—संतोष जैन पासी, आकांक्षा जैन

नई पीढ़ी की मार्गदर्शक होने के नाते महिलाओं के स्वास्थ्य और साफ-सफाई की स्थिति को उचित महत्व दिया जाना चाहिए ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाला कुपोषण और खराब स्वास्थ्य का कुचक्र उनमें शुरू न हो सके और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का गांधी जी का स्वप्न साकार हो सके।

भारत दुनिया के उन गिने-चुने राष्ट्रों में शामिल है जहां पुरुषों और महिलाओं की जन्म के समय संभावित आयु लगभग एक समान है। विश्व बैंक की रिपोर्ट (2015) के अनुसार भारत में जन्म के समय पुरुषों की संभावित आयु 67.46 वर्ष जबकि महिलाओं की 69.83 वर्ष है। फिर भी बालिकाओं/महिलाओं में मृत्यु-दर ऊंची है, खासतौर पर जीवन के बाल्यावस्था और प्रजनन काल वाले वर्षों में (15-45 साल) में और उसके बाद। भारतीय महिलाओं का स्वास्थ्य और खुशहाली समाज में उनके स्तर से स्वाभाविक रूप से जुड़ी है।

समाज में महिलाओं के दर्जे से संबंधित अनुसंधान अध्ययनों में बताया गया है कि परिवार के कल्याण के लिए भारतीय महिलाओं द्वारा किए जाने वाले योगदान की अनदेखी ही नहीं की जाती बल्कि सभी उम्र की महिलाओं को परिवार के लिए आर्थिक बोझ माना जाता है। हमारे देश में आज के परिदृश्य में भी लोग परिवार में बेटे/बेटों के होने को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे बुढ़ापे में माता-पिता की सेवा करेंगे। लिंग के आधार पर बच्चों में इस तरह का भेदभाव और बेटियों के

विवाह के लिए दहेज का बढ़ता खर्च जुटाने की जुगत में कभी-कभी बेटियां कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। इतना ही नहीं, लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा का स्तर भी अक्सर निम्न ही रह जाता है। उनको व्यावसायिक कौशलों का प्रशिक्षण भी मामूली ही होता है और उनमें जागरूकता की कमी होती है। इतना ही नहीं, संगठित क्षेत्र/औद्योगिक श्रमशक्ति में उनकी भागीदारी बहुत कम होती है और जो होती है वह अक्सर कम मजदूरी/बिना मजदूरी के ही होती है। महिलाओं को स्वायत्तता की कमी से भी दो-चार होना पड़ता है। उन्हें सबसे पहले अपने पिता/भाई के नियंत्रण में रहना होता है, उसके बाद वे पति के नियंत्रण में रहती हैं और अंत में उन्हें अपने बेटों के इशारों पर जीना होता है। इन सब

स्वास्थ्य बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार : 'राज्य अपने लोगों के पोषाहार-स्तर और जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपना प्राथमिक कर्तव्य मानेगा और राज्य, विशेष तौर पर मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों का, औषधीय प्रयोजन से भिन्न, उपभोग रोकने का प्रयास करेगा।

बातों का महिलाओं के स्वास्थ्य के स्तर पर बुरा असर पड़ता है।

महिलाओं के खराब स्वास्थ्य का असर न केवल उन पर पड़ता है, बल्कि संपूर्ण परिवार का स्वास्थ्य और खुशहाली इससे प्रभावित होती है। खराब स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्या बड़ी जटिल, बहुआयामी और अक्सर अनेक पीढ़ियों को प्रभावित करने वाली होती है। अल्पपाषित और कुपोषित महिलाओं के शिशुओं का जन्म के समय वजन सामान्य से कम होने की आशंका रहती है। इस तरह की महिलाओं के समय से पहले पैदा हुए शिशु भी उसी गर्भावधि के सामान्य महिलाओं के शिशुओं की तुलना में कम वजन वाले होते हैं।



अगर एक अस्वस्थ और कुपोषित महिला गर्भवती होती है तो न केवल उसके शरीर के पोषक तत्वों का भंडार खत्म हो जाता है बल्कि भ्रूण में भी ये खत्म होने लगते हैं। अगर भ्रूण बालिका है तो उसका जन्म कई कठिनों के साथ तो होता ही है (जन्म के समय कम वजन और शरीर में पोषक तत्वों की कमी) बल्कि उसे अपनी कमजोर और अल्पपोषित माता से पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप उसके विकास और बढ़वार (शारीरिक और मानसिक विकास) पर बुरा असर पड़ता है। कुपोषित माता की जन्म के समय कम वजन वाली बेटी अक्सर रुकी हुई बढ़वार वाली/कुपोषित किशोरी के रूप में बड़ी होती है और बाद में कुपोषित महिला बनती है। आने वाले समय में वह जब मां बनती है तो वह दूसरी पीढ़ी में जन्म के समय कम वजन वाले शिशु/शिशुओं को जन्म देती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अल्पपोषण की समस्या का सामना कर रही माता की कोख में पल रहे शिशु पर पोषण की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है (गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था/स्तनपान कराने के दौरान)। इसका असर पूरे जीवनकाल में पोषण और स्वास्थ्य के स्तर पर कई पीढ़ियों तक पड़ता है और इस तरह कुपोषण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होने वाला कुचक्र शुरू हो जाता है।

उत्तरजीविता, विकास और बढ़वार से संबंधित चुनौतियों को रेखांकित करता पीढ़ियों का चक्र



किशोरावस्था में गर्भधारण करने पर यह कुप्रभाव और भी अधिक हो जाता है क्योंकि किशोरावस्था में माता बनी लड़कियों को अपने खुद के विकास/बढ़वार के साथ-साथ कोख में पल रहे भ्रूण का बोझ भी उठाना होता है और इस तरह जो शिशु पैदा होता है उसकी स्थिति और भी खराब होती है। अल्पपोषण/बीमारी का व्यक्तिगत स्तर के साथ ही पीढ़ीगत असर भी एक साथ पड़ता है जिसके गंभीर दुष्परिणाम होते हैं।

ग्रामीण महिलाएं भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है क्योंकि ये न केवल अपने घरों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि खेती और पशुपालन में भी उनकी अहम भूमिका होती है। इसलिए महिलाओं का स्वास्थ्य परिवार और समुदाय का सरोकार होना चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य मात्र रोग या दुर्बलता का न होना ही नहीं है, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आरोग्य की स्थिति का नाम है। स्वास्थ्य एक बहुआयामी स्थिति है। अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए इसके विभिन्न आयामों, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक और राजनीतिक के बीच लगातार पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया होती रहनी चाहिए। महिला स्वास्थ्य का संबंध चिकित्सा विज्ञान की उस शाखा से है जो महिलाओं के शारीरिक और मानसिक आरोग्य को प्रभावित करने वाले रोगों या स्थितियों के उपचार/निदान पर अपना ध्यान केंद्रित करती है।

माताओं का खराब स्वास्थ्य और कुपोषण जच्चा-बच्चा की मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक है, इसलिए माताओं की उचित देखभाल और उनके पोषण की स्थिति में सुधार, खासतौर पर गर्भावस्था और शिशु को स्तनपान कराने की अवधि के दौरान, अत्यंत आवश्यक है। शिशु को गर्भ में धारण करना और प्रसव के बाद उसकी परवरिश के अलावा ग्रामीण महिलाएं अनेक भूमिकाएं निभाती हैं। महिलाओं का अच्छा स्वास्थ्य और उनके पोषण का उपयुक्त स्तर बनाए रखने में उनके सही स्वास्थ्य, आरोग्य और साफ-सफाई संबंधी तौर-तरीकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे उनके परिवार के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के साथ-साथ समूचे समाज के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक दर्जे को सुधारने में मदद मिलती है। जैसाकि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उद्धरित एक नारे में कहा गया है 'प्रत्येक माता और शिशु का जीवन बहुमूल्य है।' यह नारा महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सामान्य रूप से और गरीबों/निरक्षर ग्रामीण महिलाओं के साथ-साथ उनके कुपोषित बच्चों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कल्याण एजेंसियों की गंभीरता को खासतौर पर रेखांकित करता है।

सतत विकास लक्ष्य-3 (SDG-3) ने सभी उम्र के सभी लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और खुशहाली को बढ़ावा देने की बात कही गई है। स्वास्थ्य का सर्वोच्च प्राप्त करने योग्य मानदंड हासिल करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, लेकिन लिंग आधारित भेदभाव इस अधिकार के लिए एक चुनौती है। स्वास्थ्य के अधिकार को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य प्रणालियां महिलाओं/बालिकाओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हो और उच्च गुणवत्ता वाली, विस्तृत तथा आराम से उपलब्ध सेवाएं उपलब्ध कराएं।

'समुन्नत' या सुधरी हुई स्वच्छता सुविधा की वैश्विक परिभाषा के अनुसार यह ऐसी सुविधा है जिसमें मानव मल को मनुष्यों के

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के अनुसार हाइजीन या आरोग्य का संबंध ऐसी स्थितियों, तौर-तरीकों से है जो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं और बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं। व्यक्तिगत हाइजीन का मतलब शरीर की स्वच्छता बनाए रखने से है।

संपर्क में आने से रोकने के लिए उसे आरोग्यपूर्ण तरीके से अलग करने की व्यवस्था की जाती है। (विश्व स्वास्थ्य संगठन/यूनिसेफ, 2015)। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 71/222 में घोषणा की गई है कि महत्वाकांक्षी 2030 एजेंडा के प्रत्युत्तर में सहयोग, साझेदारी और क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए 2018 से 2028 की अवधि को "सतत विकास के लिए जल" – अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दशक घोषित कर दिया गया है।

स्वच्छ पेयजल अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका अभाव या इसकी कमी दुनिया भर के परिवारों के स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आजीविका पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। जहां पानी बहुत जरूरी है, वहीं स्वच्छता से माहौल को प्रदूषणमुक्त बनाकर मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा में भी मदद मिलती है।

सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और जल तथा स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए क्षमता निर्माण करने के साथ-साथ जल और स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए स्थानीय समुदायों की मदद को बचनबद्ध है। लक्ष्य-6 हासिल करने के लिए, सभी राष्ट्रों ने 2030 तक स्वच्छ पेयजल को सर्वसुलभ बनाने और प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त साफ-सफाई एवं स्वच्छता का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सुधरे हुए जल स्रोतों तक पहुंच वाले भारतीय परिवारों की कुल संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है और यह 1992-93 में 68 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 89.9 प्रतिशत हो गई है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 2015-16 में 63.13 प्रतिशत ग्रामीण परिवार और 19.7 प्रतिशत शहरी परिवार इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे थे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एन.एच.पी., जो 1983 में लागू की गई) का 2017 में पुनर्गठन किया गया। इसका उद्देश्य संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को नया रूप देने में सरकार की भूमिका की जानकारी देना, उसे स्पष्ट करना, सुदृढ़ करना और उसकी प्राथमिकताएं निर्धारित करना है ताकि इसके सभी आयामों, जैसे स्वास्थ्य संबंधी निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुसंगठित करना, बीमारियों की रोकथाम और विभिन्न क्षेत्रों के बीच उचित समन्वय से स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, उच्चिकृत टेक्नोलॉजी का उपयोग, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सुदृढ़ करना और स्वास्थ्य बीमा को इसके दायरे में लाना है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने समन्वित कार्रवाई से जनता के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्राथमिकता के क्षेत्रों की भी पहचान कर ली है, जो

इस प्रकार हैं:

- स्वच्छ भारत अभियान
- संतुलित, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम
- तम्बाकू, शराब और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की समस्या पर ध्यान देना
- निर्भया नारी – महिलाओं के प्रति हिंसा के खिलाफ कार्रवाई
- तनाव कम करना और कार्यस्थल पर सुरक्षा में सुधार
- घरों के अंदर और बाहर प्रदूषण कम करना।

स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ करने के कार्यक्रमों में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.), लक्ष्य कार्यक्रम (प्रसूति गृह गुणवत्ता सुधार पहल) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शामिल हैं।

सभी को स्वच्छता के दायरे में लाने के प्रयासों को तेज़ करने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत ग्रामीण भारत में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अलावा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को देश के सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने को खुले में शौच की बुराई से मुक्त घोषित कर दिया है। इसके अलावा, खुले में शौच न करने की आदत को चिरस्थायी बनाने, किसी को भी इसके दायरे से बाहर न होने देने तथा ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की सुविधा को आसानी से सर्वसुलभ बनाने के लिए मिशन का दूसरा चरण-स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-ओडीएफ प्लस शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत खुले में शौच न करने की आदत को मजबूत करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के उपायों पर उचित जोर दिया जा रहा है। कूड़े-कचरे का ठीक तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक सुविधा का ध्यान रखते हुए आसानी से पहुंचे जा सकने योग्य स्थानों पर जगह-जगह कूड़ेदान रखे जा रहे हैं।

स्वच्छता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। स्वच्छ भारत अभियान खुले में शौच की आदत को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किया गया। अभियान का पहला चरण अक्टूबर 2019 में पूरा

आयुष्मान भारत : भारत सरकार का स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख कार्यक्रम है जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के अंतर्गत सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में लाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रथम, द्वितीय और तृतीय-स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली (जिसमें रोकथाम, संवर्धन और एम्बुलेंस सेवा भी शामिल है) पर समय रूप से विचार करने के लिए अभिनव कदम उठाना है। आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निरंतरता पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है जिसके दो परस्पर संबद्ध घटक होते हैं:

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
- स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र

महिलाओं का प्रशिक्षण

जल जीवन मिशन के तहत महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है और उन्हें पानी की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए अग्रिम पंक्ति के अधिकारी के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर 5 लोगों खारताकर महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार ने आम जनता के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने की भी योजना बनाई है। घर की चारदीवारी के भीतर ही पीने योग्य पानी को उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। यह सुविधा न सिर्फ दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाते हुए उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगी बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं को दूर से पीने योग्य पानी लाने में लगने वाले समय में बचत कर उसे आर्थिक गतिविधियों में लगाने का अवसर भी प्रदान करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू नल कनेक्शन का प्रावधान महिलाओं को दूर से पीने योग्य पानी लाने के कठोर श्रम वाले काम से निजात दिलाएगा। इससे विशेष रूप से लड़कियों को राहत मिलेगी क्योंकि आमतौर पर घरों में पानी लाना जन्ही की जिम्मेदारी होती है।

जल जीवन मिशन महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह एक जन-आंदोलन है और इसे लागू करने के लिए अच्छी जानकारी और एक संचार योजना की आवश्यकता है ताकि समुदाय को संगठित किया जा सके। सभी गांवों में आईईसी अभियान को जमीनी-स्तर पर लागू करने के लिए इसे अच्छी तरह से तैयार किया जाना है। राज्य को ग्रामीण क्षेत्र में पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ उनके संचालन और रखरखाव हेतु ग्रामीण समुदाय को संगठित करने के लिए सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले महिला स्वयंसाहायता समूहों और स्वयंसेवी संगठनों को इस अभियान से जोड़ना है।

राज्य को दीर्घकालिक आधार पर प्रत्येक बस्ती/ गांव के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन प्रदान करने के मिशन के मुख्य उद्देश्य से परे देखने की आवश्यकता है। यह कार्यक्रम राजमिस्त्री, नल लगाने वालों, फिटिंग, बिजली आदि क्षेत्रों में कुशल और अर्ध-कुशल लोगों के लिए एक अवसर है, जो कि पानी की आपूर्ति योजनाओं को तैयार करने और उनके संचालन एवं रखरखाव के काम के लिए आवश्यक होगा। प्रत्येक गांव/बस्ती में ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी। राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कुशल मानव संसाधन का एक पूल बनाना है ताकि गांवों को जल आपूर्ति प्रणालियों के रखरखाव के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

हुआ; इसका दूसरा चरण 2020-21 और 2024-25 के दौरान लागू किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का उद्देश्य देश की ग्रामीण जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है; और नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य कारगर तरीके से पवित्र गंगा नदी में प्रदूषण दूर करना, नदी का संरक्षण और इसमें नए जीवन का संचार करना है।

जल जीवन मिशन की परिकल्पना 2024 तक ग्रामीण भारत के प्रत्येक घर में नलों के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई। इसके अंतर्गत जल स्रोतों को फिर से भरने के लिए विभिन्न उपायों, जैसे जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूमिगत जलाशयों को फिर से भरने और गंदे पानी की साफाई करके उसे

फिर से उपयोग में लाने के उपायों पर अमल करने पर बहुत जोर दिया गया है। पानी के बारे में सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित इस अभियान में सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यापक रूप से जोर दिया गया है और इसे हर एक की प्राथमिकता बतते हुए जन आंदोलन का रूप देने की बात कही गई है। इस संघर्ष में भारत की जनता ने आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया है और लोग 'स्वच्छता दिव्यता के बराबर है' के संदेश का प्रसार कर रहे हैं।

इसी संदर्भ में किशोरियां और महिलाएं और माहवारी के दौरान उनके आरोग्य तथा स्वच्छता से संबंधित आदतें अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस दौरान सफाई न रखने से प्रजनन नली के संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी दूसरे रोगों का खतरा उत्पन्न हो सकता है। देश के कई ग्रामीण/दूरदराज इलाकों में लड़कियों को न तो माहवारी की ठीक से जानकारी होती है और न इसके लिए पूरी तरह तैयार होती हैं। इसलिए उन्हें अपने घर, स्कूल और कार्यस्थल पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दासरा फिलेन्थ्रोप फोरम की एक रिपोर्ट (2019) के अनुसार हर साल करीब 2.3 करोड़ लड़कियां स्कूल जाना इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि स्कूलों में मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होतीं। माहवारी के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता सतत विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से एस.डी.जी. 6.2 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसका उद्देश्य सबको स्वच्छता और आरोग्य की सुविधाओं तक पहुंच बराबरी के आधार पर और पर्याप्त रूप में उपलब्ध कराना और महिलाओं, बालिकाओं और नाजुक हालात वालों की आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए सुने में शौच की बुराई को दूर करना है। इतना ही नहीं, कंले और बांस के रेशे, समुद्री स्पंज, जलकुभी आदि से बने सड़कर नष्ट हो जाने वाले स्वच्छता उत्पादों के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

माहवारी स्वच्छता योजना (एमएचएस) की शुरुआत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों की किशोरियों (10 से 19 वर्ष तक) में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की थी। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें माहवारी के दौरान साफ-सफाई रखने की जानकारी देना, इन्हें काम आने वाले उत्पाद सुलभ बनाना, अच्छी किस्म के सेनेटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना था कि इस्तेमाल के बाद इनका सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से निपटान किया जाए। प्रारंभ में 2011 में जब यह योजना शुरू की गई तो 17 राज्यों के 107 चुने हुए जिलों में इसे लागू किया गया। योजना के तहत 8 सेनेटरी नैपकिंस को 6 रुपये कीमत का एक पैकेट गांवों की प्रत्येक किशोरी को दिया गया। लेकिन 2014 के बाद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की किशोरियों को 6 रुपये की रियायती कीमत वाले छह सेनेटरी नैपकिन के पैक उपलब्ध कराने के लिए राज्यों और

केंद्रशासित प्रदेशों को धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है ताकि इनकी विकेंद्रित तरीके से खरीद हो सके। आशा कार्यकर्ताओं को मामूली प्रोत्साहन पर (नैपकिंस का एक पैकेट बेचने पर हर महीने व्ययितगत उपयोग के लिए एक पैकेट) किशोरियों को इनके वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, आशा कार्यकर्ताओं को किशोरियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों या इसी तरह के किसी स्थान पर मासिक बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है ताकि वे मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी किसी मुद्दे और यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर किशोरियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर सकें। किशोरियों में माहवारी के दौरान अपनाए जाने वाले स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षित तौर-तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आडियो, वीडियो और प्रिंट माध्यमों में कई तरह की सामग्री तैयार की गई है। प्रभावी संचार के लिए आशा कार्यकर्ताओं/क्षेत्र-स्तर पर काम करने वाले अन्य कर्मियों की मदद के लिए सामग्री तैयार की गई है। इसके अलावा, स्वयंसहायता समूहों को सेनिटरी नेपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है। 'स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय' अभियान से प्रत्येक स्कूल में लड़कियों के लिए स्वच्छता/निपटान संबंधी समुचित सुविधाएं (नैपकिन बदलने और उनके सही निपटान के स्थान और साबुन-पानी की सुविधा) उपलब्ध हुई हैं। 'सबला' कार्यक्रम में भी महिलाओं में स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एनीमिया मुक्त भारत, ग्राम-स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, पोषण दिवसों और स्वच्छता और पोषण दिवसों का आयोजन (मातृ/शिशु स्वास्थ्य सेवा तथा मातृ एवं शिशु देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए), आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की कमी दूर करने तथा आयोडीन-युक्त नमक का सेवन करने पर जोर दिया जाता है।

राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल (निपि) का उद्देश्य जीवन के विभिन्न चरणों में शरीर में आयरन की कमी पर नियंत्रण करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन और फोलिक एसिड की पूरक खुराक दी जाती है। लाभार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार इसकी खुराक घटती-बढ़ती रहती है। इसके अलावा, बच्चों और किशोर-किशोरियों के लिए पेट से कृमियों को निकालने के लिए अर्धवार्षिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाया जाता है। सघन राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल (आई-एनआईपीआई) का उद्देश्य देश में एनीमिया के मामलों में 3 प्रतिशत अंकों की दर से कमी लाना है। आयरन और फोलिक एसिड की सप्ताहिक खुराक खिलाने के कार्यक्रम (डब्ल्यूआईएफएस) का मुख्य उद्देश्य किशोर-किशोरियों में (10-19 साल कर उम्र के) पोषण संबंधी कमियों से होने वाली रक्ताल्पता (एनीमिया) में कमी लाना और इसकी गंभीरता को कम करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) भी चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य मातृ और नवजात

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-लक्ष्य

अनुमानित आयु और स्वस्थ जीवन

- 2025 तक जन्म के समय औसत अनुमानित आयु 67.5 से बढ़ाकर 70 वर्ष करना।
- जीवन के अक्षमता समायोजित वर्षों पर नजर रखने की नियमित व्यवस्था का सूचकांक बनाकर बीमारियों के बोझ और रुझान का 2020 तक प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आकलन।
- कुल प्रजनन दर को कम करके 2025 तक 2.1 के राष्ट्रीय और उससे निचले उप-राष्ट्रीय-स्तर पर लाना।

उम्र के अनुसार और/या कारण के अनुसार मृत्यु दर

- मातृ मृत्यु दर को वर्तमान-स्तर से घटाकर 2020 तक 100 पर पहुंचाना।
- शिशु मृत्युदर को 2019 तक 28 पर पहुंचाना
- नवजात शिशु मृत्यु दर को 2025 तक 16 और वृत्त शिशु जन्म दर को एक वाली संख्या के स्तर पर लाना।

बीमारी के प्रकोप/फैलाव में कमी

- एचआईवी/एड्स के लिए 90:90:90 के वैश्विक लक्ष्य को 2020 तक प्राप्त करना (एचआईवी संक्रमित 90 प्रतिशत लोगों को अपनी स्थिति की जानकारी, एचआईवी संक्रमण की पुष्टि वाले 90 प्रतिशत को लगातार एंटी रेट्रो वायरल चिकित्सा मिलना; और 90 प्रतिशत को वायरस पर नियंत्रण के बाद एंटी रेट्रो दवाओं का मिलना)।
- हृदय रोगों, कैंसर, मधुमेह या सांस की पुरानी बीमारियों से असमय मृत्यु की दर में 2025 तक 25 प्रतिशत की कमी।
- टीबी के जिन नए रोगियों के बलगम में बीमारी की पुष्टि हुई है उनके ठीक होने की दर को 85 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर बनाए रखना और नए मामलों में कमी लाकर 2025 तक बीमारी के उन्मूलन की स्थिति लाना।
- कुष्ठ रोग उन्मूलन के 2018 के लक्ष्य और स्थिति को बनाए रखना, इसी तरह प्रकोप वाले इलाकों में काला आजार को 2017 की और लिम्फेटिक फाइलेरिएसिस को 2017 की स्थिति को बरकरार रखना।
- अंधता के प्रकोप को 2025 तक 0.25/1000 के स्तर पर बनाए रखना।

स्वास्थ्य प्रणाली का कार्य निष्पादन/स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा

- 2025 तक जन स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग में वर्तमान स्तर से 50 प्रतिशत की वृद्धि।
- प्रसवोत्तर सुविधाओं के दायरे को 2025 तक 90 प्रतिशत से अधिक बनाए रखना; और जन्म के समय प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी की उपस्थिति को 2025 तक 90 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर पहुंचाना।
- 2025 तक परिवार नियोजन की आवश्यकताओं को राष्ट्रीय/उप-राष्ट्रीय स्तर पर 90 प्रतिशत से अधिक पर बरकरार रखना।
- घर पर देखभाल वाले उच्च रक्तचाप और मधुमेह के 80 प्रतिशत ज्ञात रोगियों की 'बीमारी पर नियंत्रण' की स्थिति को 2025 तक बनाए रखना।

एनीमिया कम करने का लक्ष्य

2022 तक एनीमिया कम करने का लक्ष्य

आयु वर्ग	एनीमिया की व्यापकता (%)	
	बेसलाइन (एनएफएचएस 4)	राष्ट्रीय लक्ष्य 2022
बच्चे 6-59 महीने	58	40
किशोरियों को 15-19 वर्ष	54	36
किशोर को 15-19 वर्ष	29	11
प्रजनन आयु की महिलाएं	53	35
गर्भवती महिलाएं	50	32
स्तनपान कराने वाली महिलाएं	58	40

शिशुओं की मातों को उपेक्षित वर्गों के परिवारों की महिलाओं के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर कम करना है।

माता और शिशु की निगरानी प्रणाली (एमसीटीएस) का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके शिशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखना है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत-स्तर पर ली गई विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं (खासतौर पर प्रसवोत्तर देखभाल और टीकाकरण संबंधी) के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना। इसके लिए उन सभी सेवाओं/घटनाओं की निगरानी की जाती है जिसका फायदा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत महिला और/या शिशु ने उठाया था।

महिलाओं, किशोरियों और अन्य सभी उम्र तथा लिंग समूहों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और इस तरह पूरे परिवार का ध्यान रखा गया है।

इनमें प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके); राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके); राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके); मिशन इन्द्रधनुष; जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई); प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) और नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसके) भी शामिल हैं।

संचारी रोगों से संबंधित कार्यक्रमों में समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी), संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी), राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी); राष्ट्रीय वैक्टर जन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम; राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी); पल्स पोलियो कार्यक्रम; राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम; राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम और नेशनल प्रोग्राम ऑन कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रिसिस्टेंस।

गैर-संचारी रोगों के लिए कार्यक्रम : इनमें राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन.टी.सी.पी.); राष्ट्रीय कैंसर न्युमेह, हृदय-वृक्ष रोग और हृदयाघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस); व्यवसायजन्य रोगों के नियंत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीपीसीडी); राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम; राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण और दृष्टिक्षीणता नियंत्रण कार्यक्रम;

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम; राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, और राष्ट्रीय जलन निवारण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनपीपीएमवीआई) शामिल हैं।

स्वस्थ नागरिक अभियान : यह स्वास्थ्य संबंधी एक सामाजिक आंदोलन है जिसके तहत प्राथमिकता वाले उपर्युक्त क्षेत्रों में संकेतकों की सिफारिश की जाती है और उनके लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन्हें प्राप्त करने की प्रणाली बना दी जाती है। नीति में उपचार संबंधी देखभाल के साथ-साथ बीमारियों की रोकथाम और आरोग्य को बढ़ावा देने को पर्याप्त महत्व दिया जाता है।

इस तरह अच्छे स्वास्थ्य और पर्याप्त पोषण से रोगों के प्रतिरोध की हमारी आंतरिक क्षमता सुदृढ़ होती है और हमें संक्रमण से निपटने की हमारी क्षमता प्राप्त होती है जिससे हम बीमार पड़ने से बचे रहते हैं। फिर भी अगर कोई बीमार हो जाए तो बीमारी की गंभीरता का स्तर निम्न रहता है और इसकी अवधि भी कम होती है। ऐसा व्यक्ति जल्द ठीक हो जाता है और शरीर को कोई ज्यादा नुकसान या बोझ नहीं उठाना पड़ता।

इस तरह आरोग्य को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों का साथ बहुत जरूरी है और कोविड-19 के वर्तमान दौर में भी यह तथ्य उतना ही सही और सत्य है। कोविड-19 वायरस और जुकाम, पलू और निमोनिया जैसी आम बीमारियां फैलाने वाले वायरसों/बैक्टीरिया के फैलाव को रोकने के लिए साफ-सफाई की पर्याप्त सुविधाएं होना बेहद जरूरी है। इससे बीमारियों का प्रकोप को काफी कम किया जा सकता है। एक-दूसरे के संपर्क में आते समय सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने और मास्क पहनने से संक्रमण का फैलाव रुकता है और बार-बार हाथ धोते रहने और आरोग्य के अन्य नियमों का पालन करने से वायरस को शरीर में पहुंचने से रोका जा सकता है। उचित साफ-सफाई तथा आरोग्य संबंधी उपायों से शरीर में सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रकोप कम होता है और संक्रमण/बीमारियों की रोकथाम होती है और इस तरह व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर अच्छे स्वास्थ्य, उपयुक्त आहार और स्वस्थ जीवनशैली से हमारा जोश और रोग प्रतिरोध क्षमता सही बनी रहती है जिससे संक्रमण का शिकार होने पर इससे निपटने में मदद मिलती है।

नई पीढ़ी की मार्गदर्शक होने के नाते महिलाओं के स्वास्थ्य और साफ-सफाई की स्थिति को उचित महत्व दिया जाना चाहिए ताकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाला कुपोषण और खराब स्वास्थ्य का कुघंक्र उनमें शुरू न हो सके और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का गांधी जी का स्वप्न साकार हो सके।

(डॉ. संतोष जैन पारसी जग-स्वास्थ्य पोषाहार विशेषज्ञ हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की निदेशक रह चुकी हैं; सुश्री आकांक्षा जैन रिसर्च स्कॉलर और दिल्ली विश्वविद्यालय के भगिनी निवेदिता कॉलेज में सहायक प्रोफेसर

(भोजन और पोषण) हैं।

ई-मेल : sjpassi@gmail.com
jainakansha24@gmail.com

सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त भारत का विज़न

—नीलमणि शर्मा

जिस प्लास्टिक ने हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाया, वही हमारे लिए जानलेवा होता जा रहा है। मिट्टी और पानी को खराब करने का अलावा यह हमारे लिए अनेक खतरनाक बीमारियाँ भी लेकर आ रहा है। प्लास्टिक की थैलियाँ पर्यावरण के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। मौजूदा "प्लास्टिक कचरा नियमों" के अंतर्गत 50 माइक्रोन से कम पतले प्लास्टिक थैलों के उत्पादन, बिक्री, गंठारण और इस्तेमाल पर रोक है लेकिन नियम का पालन नहीं होता। प्लास्टिक ने दुनिया की तरनीर बदल दी है। साथ ही, इसने पर्यावरणीय आतंक का रूप भी धारण कर लिया है।

प्लास्टिक एक ग्रीक शब्द प्लास्टीकोस से बना है। इसका अर्थ है ऐसा नमनीय पदार्थ, जो किसी भी आकार में ढाला जा सके। पिछले 100 वर्षों में 83 अरब टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है। विश्व भर में प्लास्टिक की प्रति वर्ष खपत में अमेरिका पहले नंबर पर है। यहां 109 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत होती है। वहीं यूरोप में 85 किलोग्राम और चीन में 35 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत है। अनियोजित प्लास्टिक कचरा में वैश्विक हिस्सेदारी इस प्रकार है— चीन 25.8 प्रतिशत, इंडोनेशिया 10.7 प्रतिशत, फिलीपींस 7.4 प्रतिशत, वियतनाम 6.0 प्रतिशत और भारत 4.8 प्रतिशत।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश में प्रति वर्ष 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। 9,205 टन प्लास्टिक रिनाइकिल किया जाता है और 6,137 टन प्लास्टिक हर साल फेंक दिया जाता है। मेट्रो शहरों में हर रोज फेंकी जाने वाली पॉलीथीन इस प्रकार है: दिल्ली में 690 टन, चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में

“ वर्ष 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से चलन से बाहर किया जाएगा। इस काम में हमें सफलता तभी मिल सकती है, जब सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचे कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में उसे मदद करनी है, तब ही हम पृथ्वी को बचाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। जून, 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि "स्वच्छता ही सेवा" अभियान में कुछ परिवर्तन हमें अपनी आदतों में भी करना होगा। हम जब भी बाहर जाएं अपने साथ थैला लेकर जाएं ताकि प्लास्टिक बैग की जरूरत न पड़े। जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम हो तो उसमें प्लास्टिक की जगह मिट्टी और धातु के बर्तनों का इस्तेमाल होना चाहिए। ”

—प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी



प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए घातक

प्लास्टिक प्रदूषण से प्रकृति, वन्य जीव और यहां तक कि हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पॉलीथीन थैली में पाया जाने वाले बैक्टीरिया का स्तर इतना अधिक होता है कि सेहत के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। यह थैली देखने में साफ लगती है, लेकिन साफ नहीं होती है। रंगीन प्लास्टिक से बनी थैलियों, डिब्बों या दूसरे पैकिंग्स में रखे खाद्य पदार्थ खाने से जहरीले तत्व धीरे-धीरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, इससे उल्टियां हो सकती हैं, हृदय का आकार बढ़ सकता है, स्मृतिभ्रंश जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। दूध की थैलियों और पानी की बोतलों, लंच बॉक्स या डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है।

प्लास्टिक के बर्तनों, कप-प्लेटों में खाने और कोल्ड ड्रिंक आदि पेय पदार्थ कुछ समय तक उनमें रखे रहने के कारण रासायनिक क्रियाओं से विषाक्त हो जाते हैं। इससे सांस, त्वचा आदि की बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु का विकास रुक सकता है और प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसमें प्रयोग होने वाला बिस्फेनॉल रसायन शरीर में मधुमेह व लीवर एंजाइम को असामान्य कर देता है। उपयोग के दौरान और कचरे के रूप में बच जाने वाला प्लास्टिक इंसानों एवं जानवरों सहित प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है।

प्लास्टिक को जलाने से कार्बन-डाई-ऑक्साइड, कार्बन-मोनो-ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी विषाक्त गैसों निकलती हैं। ये गैसों आंखों में जलन, पानी आने की समस्या उत्पन्न करती हैं। वायु में इनकी मौजूदगी सांस की समस्या, फेफड़ों की बीमारी व ब्रोंकाइटिस जैसी परेशानी पैदा करती हैं। गर्मी और धूप आदि के कारण से प्लास्टिक से विषैले प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जो कैंसर आदि बीमारियां पैदा करती हैं। अनेक शोधों के अनुसार प्लास्टिक से बनी पानी की बोतलें अगर कुछ समय तक सूर्य के प्रकाश में रहती हैं तो उनमें मौजूद पानी जहरीला हो जाता है। इस पानी को लगातार पीने से पेट में कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। पॉलिथीन में कैडमियम, जिंक, लैड, मरकरी आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे पॉलिथीन की थैलियों में रखी खाद्य सामग्री 15 मिनट में ही मीठा ज़हर बन जाती है। अनेक सर्वेक्षणों में 93 प्रतिशत लोगों के मूत्र सैम्पल में प्लास्टिक के कण पाए गए हैं।

समुद्र में लगभग 51 ट्रिलियन सूक्ष्म प्लास्टिक कण मौजूद हैं। ये कण समुद्रीय प्रजातियों द्वारा भूलवश खा लिए जाते हैं और चूंकि ये समुद्रीय प्रजातियां हमारे डिनर प्लेट का हिस्सा भी होती हैं, जिस कारण यह प्लास्टिक धूम-फिरकर हमारे शरीर में पहुंच रहा है, जो कैंसर जैसे असाध्य रोगों को जन्म दे रहा है। अक्सर छोटी पॉलिथीन थैलियों में लोग गर्म चाय ले जाते हैं। यह नुकसानदायक है। इसका तुरंत पता नहीं चलता लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने से यह कैंसर का कारण बन सकता है। कम लेवल पर केमिकल शरीर में जाने पर लोकल लेवल पर आंत में इरीटेशन होता है, दस्त होने लगते हैं। अगर केमिकल का स्तर शरीर में अधिक हो तो लीवर, किडनी और बौनमैरो पर बुरा असर हो सकता है। आगे चलकर इसी वजह से कैंसर भी हो सकता है। इस तरह के रसायनों से स्तन कैंसर का खतरा रहता है और पुरुषों में स्पर्म काउंट घटने की भी संभावना होती है।

426 टन और मुंबई में 408 टन। प्लास्टिक संबंधी कुछ अन्य तथ्य इस प्रकार हैं, विश्व में आज कुल जितना प्लास्टिक है, उसका आधा पिछले 15 साल में ही उत्पादित हुआ और अनुमान है कि वर्ष 2050 में प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन दुगुना हो जाएगा। हर वर्ष औसतन 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जमा हो रहा है। यह पृथ्वी पर मनुष्यों के कुल भार के बराबर है यानी हर साल पृथ्वी पर मनुष्य की कुल आबादी के भार के बराबर प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया में हर साल लगभग 5 लाख करोड़ पॉलिथीन बैग का उत्पादन हो रहा है। 98 प्रतिशत से ज्यादा बैग बेकार छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि रिसाइकिल करने में नए प्लास्टिक बैग बनाने से 85 गुना ज्यादा ऊर्जा लगती है। प्लास्टिक के ये बैग औसतन 20 मिनट इस्तेमाल होते हैं। वैश्विक संदर्भ में कुल प्लास्टिक उत्पादों का 75 प्रतिशत अपशिष्ट बन जाता है और इसमें से 87 प्रतिशत पर्यावरण में घुल-मिल जाता है। एक आदमी प्रति सप्ताह

औसतन 5 ग्राम प्लास्टिक निगल जाता है।

प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग

प्लास्टिक के इस्तेमाल करने के लिए जो तथ्य दिए गए थे, उसमें कहा गया था कि प्लास्टिक सस्ती चीज है, यह वजन में हल्की होती है, मुड़ने-तुड़ने में आसान है, वाटर प्रूफ है। साथ ही क्योंकि यह सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ है इस कारण रसायनशास्त्रियों ने इसके भारी मात्रा में बनाने के तरीके खोज निकाले हैं। कांच, लोहा, स्टील, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, जूट, कागज एवं कपड़े आदि से निर्मित वस्तुओं के मुकाबले प्लास्टिक में चमक-दमक होगा, टिकाऊपन, रखरखाव आसान होना आदि के कारण इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। उद्योगों में प्लास्टिक का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उद्योगों के अलावा चिकित्सा उद्योग में भी चिकित्सकीय उपकरण एवं अन्य सहायक सामग्रियों को बनाने में प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है।

प्लास्टिक क्या है?

सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। जब रासायनिक पदार्थों के छोटे-छोटे यूनिट मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं तो वह पॉलीमर कहलाता है। इसमें कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं और जो ज़्यादातर ओलेफिन जैसे पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होते हैं। ये पॉलीमर प्राकृतिक भी होते हैं जैसे, कौटन, सिल्क आदि और ये कृत्रिम भी होते हैं जैसे, सिंथेटिक फाइबर यानी नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्रेलिक आदि। थर्मोप्लास्टिक गर्म होने पर अपना आकार आसानी से बदल लेते हैं लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म होने पर भी अपना आकार नहीं बदलते। पॉलिथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक हैं। इनका प्रयोग खिलौनों एवं कंटेनरों के निर्माण में किया गया है। बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। इनका प्रयोग बिजली के सामान के निर्माण में किया जाता है। इनके अलावा, उन्हें बायोडिग्रेडेबल, इंजीनियरिंग और इलास्टोलेमर प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्लास्टिक का उपयोग होता है। आटोमोबाइल क्षेत्र में भी प्लास्टिक ने लोहा, स्टील या एल्युमिनियम को बहुत पीछे छोड़ दिया है। दुपहिया वाहनों और कारों में वजन कम करने के लिए तथा अधिक रफ्तार वाला वाहन बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्लास्टिक से कम्प्यूटर एवं उसके अन्य पुर्जों और भागों का निर्माण किया जाता है। निर्माण क्षेत्र में जैसे सीवर लाइन में पड़ने वाले पीवीसी पाइप, पीने के पानी के आपूर्ति में प्रयोग होने वाले पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, रसोई के सामान जैसे मिक्सी, बर्तन, रेफ्रिजरेटर, शुद्ध पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले उत्पाद, टी.वी., कुर्सी, मेज, चटाई, पेन आदि अन्य लेखन सामग्री में भी प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक का सबसे अधिक इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए होता है। पैकेजिंग उद्योग करीब 200 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अंतर्गत करीब 8 करोड़ टन प्लास्टिक प्रति वर्ष तैयार होता है। इसका मामूली हिस्सा ही रिसाइकिल होता है। यूरोप में जो खाना बिकता है, उसका एक तिहाई प्लास्टिक में पैक किया जाता है। यूरोप में रहने वाला हर व्यक्ति हर साल 31 किलो प्लास्टिक का कचरा निकालता है।

एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत में प्लास्टिक कचरे का 6,60,787,85 टन अंबार लग गया था। देश में प्लास्टिक कचरे का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। देश के ऐसे 60 बड़े शहरों, जिनसे सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा निकलता है, में अध्ययन कराया गया था। इससे पता चला कि इन शहरों से प्रतिदिन लगभग 4,059 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, जबकि पूरे देश से प्रतिदिन निकलने

वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा 25,940 टन प्रतिदिन है। इनमें से 15,384 टन (60 प्रतिशत) कचरे का प्रतिदिन एकत्रण और पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) हो पाता है। शेष 40 प्रतिशत प्लास्टिक कचरे का अधिकांश हिस्सा जो एकत्र नहीं हो पाता, वह नाले-नालियों सहित अन्य माध्यमों से जलाशयों तक पहुंच जाता है। जो कचरा एकत्र हो जाता है वह गैर-शोधित रूप में डंपिंग ग्राउंड में पड़े रहकर आसपास की ज़मीन का प्रदूषण बढ़ाता रहता है।

वैसे तो प्लास्टिक खतरनाक है लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक सबसे अधिक खतरनाक है। चूंकि सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। तकनीकी रूप से 40 माइक्रोमीटर या उससे कम स्तर के प्लास्टिक को सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहा जाता है। इसमें कैंरी बैग, कप, पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, स्ट्रॉ, फूड पैकेजिंग आदि होते हैं। इस प्लास्टिक को बनाने से अधिक खर्चा नहीं होता। सब्जी, किराना आदि दुकानों पर मिलने वाले 50 माइक्रोन से कम के कैंरी बैग अधिक इस्तेमाल होते हैं और ये ही सबसे अधिक खतरनाक है, क्योंकि इन्हें रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। सिंगल यूज़ प्लास्टिक करीब 7.5 प्रतिशत ही रिसाइकिल हो पाता है। एक अनुमान के अनुसार प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में करीब 40 प्रतिशत की खपत ई-कॉमर्स सेक्टर में होती है। भारत में हर साल 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। एक साइंस नामक पत्रिका में 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में उपयोग हो रहे 90 प्रतिशत प्लास्टिक दोबारा इस्तेमाल के लायक नहीं होते।

रिसाइकिल की प्रक्रिया भी प्रदूषण को बढ़ाती है। विश्व के अधिकांश देशों में आणविक, कार्बनिक व प्लास्टिक के कचरे की समस्या सबसे विकट है। विकसित देशों से इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा विकासशील देशों में जहां खपाने की योजनाएं बड़े पैमाने पर चल रही हैं, वहीं पर प्लास्टिक का करोड़ों टन कचरा भी लगातार खपाया जा रहा है। दुनिया के लोग नलों से आ रहे पानी के साथ प्लास्टिक के सूक्ष्म कण (प्लास्टिक फाइबर) पी रहे हैं। पांच महाद्वीपों के 12 से ज़्यादा देशों के पानी के नमूनों में से 83 प्रतिशत में प्लास्टिक के कण मिले हैं। सिंथेटिक

प्लास्टिक की खोज

जिस रूप में आज हम पॉलीथीन को देखते हैं, इसकी खोज 27 मार्च, 1933 को हुई थी। इसे बनाने वाले एरिक फॉसेट और रेजिनाल्ड गिब्सन तब यह नहीं जानते थे कि उनकी यह खोज मानवता का कल्याण करने की बजाए पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी। यह आगे चलकर विश्व के बाजार में सफलतापूर्वक अपनी जगह बनाने वाला प्लास्टिक बन गया। आधुनिक, हल्के वजन के शॉपिंग बैग का आविष्कारक स्वीडिश इंजीनियर स्टेन गुस्ताफ थुलिन को माना जाता है। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने प्लास्टिक के फ्लैट ट्यूब को फोल्ड, वेल्ड और डाई-कट के जरिए एक पीस का बैग बनाया था।



पदार्थों के जलने की प्रक्रिया काफी धीमी होती है और ये आसानी से पूरी तरह जलते भी नहीं हैं।

नदियों के अस्तित्व पर खतरा : टॉक्सिक लिंक ने 20 से अधिक नदियों का आकलन किया था। उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की प्रमुख नदियां कुल 1,404,200 टन प्लास्टिक कचरे का बोझ सहन कर रही हैं। भारत की जीवनरेखा गंगा का इस मामले में दुनिया में दूसरा नंबर है। पहले नंबर पर चीन की यांग्त्जे नदी है। इसमें कहा गया था कि यांग्त्जे नदी में करीब 25 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा है। वर्ष 2050 तक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि नदियों से मछलियों से अधिक प्लास्टिक निकलने लगेगा। नदियों का अस्तित्व भी प्लास्टिक के कचरे के कारण खतरे में पड़ चुका है। समुद्रों में जो प्लास्टिक कचरा मिल रहा है, उसका लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा इन दस नदियों से आ रहा है—यांग्त्जे, गंगा, सिंधु, येलो, पर्ल, एमर, मिकांग, नाइल और नाइजर नदियां।

समुद्र में प्लास्टिक : वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष लगभग 80 लाख टन कचरा समुद्रों में मिल रहा है। समुद्र में करीब 60 प्रतिशत प्लास्टिक विश्व के पांच देशों—चीन, इंडोनेशिया, फिलिपींस, थाईलैंड और वियतनाम गिराते हैं। इटली इस मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। इटली ही प्लास्टिक का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। प्लास्टिक के कारण समुद्र में होने वाले प्रदूषण से लगभग 800 जीवों को खतरा है। समुद्री जीव प्लास्टिक को खाना समझकर खा लेते हैं। प्लास्टिक उनके फंफड़ों या सांस की नली में फंस जाता है, जो उनकी मौत का कारण बनता है। प्लास्टिक कचरे के कारण हर साल 11 लाख से अधिक समुद्री जीव दम तोड़ रहे हैं। जून 2018 में थाईलैंड में एक मृत डेल के पेट में 80 किलो से अधिक प्लास्टिक की थैलियां निकाली गई थीं।

बाढ़ : 20 माइक्रोन से कम साटाई वाली पॉलिथीन नालियों में जाने से सीवर लाइन जाम हो जाती है क्योंकि यह इतनी पतली होती है कि कहीं भी जाकर फंस जाती है और नाली और सीवर जाम हो जाते हैं। मुंबई में बार-बार बाढ़ जैसे हालात पैदा होने का एक कारण प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का बढ़ता उपयोग है।

वायुमंडल : प्लास्टिक के कारण हमारी वायु भी प्रदूषित होती है। कुछ विशेष प्रकार की प्लास्टिक तथा पॉलिथीन के पुनः चक्रीकरण की प्रक्रिया में उच्च ताप पर गर्म करके पिघलाने पर भारी मात्रा में तरलीय गैसें उत्सर्जित होती हैं, जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। अधिक मात्रा में विषाक्त गैसों, जैसे—कार्बन-डाई-ऑक्साइड, कार्बन-मोनो-ऑक्साइड आदि निकलती हैं। प्लास्टिक से जहरीली

गैसों निकलती हैं तथा धूप के संपर्क में आने पर इससे और भी अधिक जहरीली गैसों निकलती हैं। प्लास्टिक का कूड़ा जलाने पर कार्बन-डाई-ऑक्साइड और कार्बन-मोनो-ऑक्साइड गैसों की मात्रा वायुमंडल में बहुत बढ़ जाती है।

प्रदूषित मूजल : प्लास्टिक कचरे में मौजूद नॉन-बायोडिग्रेडेबल और विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों से भूमिगत जल भी जहरीला हो रहा है। लैंडफिल में डाले गए प्लास्टिक, जल के साथ रिएक्शन कर खतरनाक केमिकल्स बनाते हैं और अगर ये केमिकल्स रिसकर ग्राउंड वॉटर तक पहुंच जाएं तो ये जल की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। यह ग्राउंड वॉटर प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक में पाए जाने वाले टॉक्सिक केमिकल्स हमारे पीने योग्य पानी की गुणवत्ता को खराब कर रहे हैं।

मृदा प्रदूषण : पॉलिथीन से जमीन की उर्वराशक्ति नष्ट हो रही है। भूगर्भीय जलस्रोत दूषित हो रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि प्लास्टिक के अपघटित होने में 1000 वर्ष से भी अधिक का समय लग सकता है, जोकि छोटे-छोटे जहरीले टुकड़ों में अपघटित होता रहा है और जल एवं मृदा को भी दूषित करता है। जहां पर पॉलिथीन मिट्टी में दबा दिया जाता है, वहां इसको गलने में 20 से लेकर 30 वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी में दबी हुई प्लास्टिक से मिट्टी में बहुत से घातक रसायन छोड़ती रहती है, और इस प्रदूषित मिट्टी के संपर्क में आई कोई भी वस्तु शरीर के अंदर पहुंचने पर तंत्रिका-तंत्र से संबंधित समस्या पैदा कर सकती है।

पशु-पक्षियों पर प्रभाव : पिछले कुछ वर्षों में नगरीय एवं महानगरीय में आवासीय पशुओं के अचानक मरने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसका प्रमुख कारण प्लास्टिक व पॉलिथीन की वस्तुएं निगलना रहा है। कई बार तो जानवरों के पेट में कई किलो प्लास्टिक की थैलियां व टूटे-फूटे खिलौने तक पाए गए हैं। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के एक शोध में पाया गया है कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाया जाने वाला बूढ़ा ओचोटोना रेंवली खतरे में है। ये चूहे हिमालय की लगभग एक दर्जन जड़ी-बूटियों को पनपाने में सहायक है। प्लास्टिक या अन्य कचरा तथा लोगों के फेंके गए खाद्य पदार्थ खाकर ये चूहे भीमार हो जाते हैं। इससे उनकी औसत उम्र 8 से 7 साल होने के बावजूद एक साल से छह माह तक कम हो रही है।

विभिन्न देशों में पॉलिथीन पर पाबंदी वैज्ञानिकों के अनुसार पानी में न घुल पाने और बायोकेमिकल ऐक्टिव न होने के कारण से शुद्ध प्लास्टिक बेहद कम जहरीला होता है लेकिन जब इसमें दूसरी तरह के प्लास्टिक और रंग

प्रधानमंत्री राम लड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों में अब प्लास्टिक का अधिक-से-अधिक उपयोग किया जाएगा। सड़क निर्माण, सीमेंट मिट्टियों और भवन निर्माण में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल की नई तकनीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत शोधित प्लास्टिक कचरे से ईट बनाकर भवन निर्माण में इस्तेमाल करने और प्लास्टिक कचरे को तरल जारडीएफ में बदलकर सड़क निर्माण सहित अन्य विकास योजनाओं में इसका उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। दिल्ली-मेरठ में दो किलोमीटर सड़क बनाने में कूड़े के इस्तेमाल का अभिनव प्रयोग किया गया है।

आदि मिला दिए जाते हैं तो यह नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये केमिकल खिलौने या दूसरे प्रॉडक्ट्स में से गर्मी के कारण पिघलकर बाहर आ सकते हैं। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने बच्चों के खिलौनों और चाइल्ड केयर प्रॉडक्ट्स में इस तरह की प्लास्टिक के इस्तेमाल को सीमित कर दिया है। विश्व में 40 से अधिक देशों में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। विभिन्न देशों में पॉलिथीन पर पाबंदी लगाई गई है।

वर्ष 1988 और 1998 में बांग्लादेश में थैलियों से अटी पड़ी नालियों की वजह से बाढ़ आई, जिसके बाद सरकार ने इन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। कॅन्या में प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। यहां इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है। प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल या इसके उपयोग को बढ़ावा देने पर चार साल की कैद और 40,000 डॉलर का जुर्माना हो सकता है।

दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ऐसे स्टोर्स पर, जो प्लास्टिक बैग से जुड़े कानून का पालन नहीं करते, 5,000 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से प्लास्टिक बैग के प्रयोग को रैखिक तौर पर छोड़ने की अपील की। इस कारण देश में प्लास्टिक बैग का प्रयोग 90 प्रतिशत तक बंद हो गया। स्वीडन में प्लास्टिक बैग नहीं किया गया है यल्कि प्लास्टिक का कचरा रिसाइकिल किया जाता है और उससे विजली बनाई जाती है।

भारत में किए जा रहे उपाय

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार देश के 18 राज्यों में प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं— दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, पंजाब, सिक्किम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, केरल, कर्नाटक। प्लास्टिक मैन्युफैक्चर, सेल एंड यूसेज रूल्स, 1999 में पहला कानून बना था। इसमें बाजार में बिकने वाले सिंगल-यूज पॉलिथीन थैलों को पूरी तरह चलन से बाहर करने और इनके आकार तथा इन्हें तैयार करने वाली सामग्री की मोटाई नियत की गई थी। इस कानून में संशोधन करते हुए रिसाइकिल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूसेज (अमेंडमेंट) रूल्स, 2003 बनाया गया। इसमें निर्यातानुखी उद्योगों को छूट दी गई। इसके बाद प्लास्टिक वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) रूल्स, 2011 में प्लास्टिक के कैंरी-बैग की न्यूनतम मोटाई बढ़ा कर 40 माइक्रॉस की गई थी। इसमें स्थानीय निकायों को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए प्रणालियां स्थापित करने को कहा गया था। दिल्ली सरकार ने 22 नवम्बर, 2012 से पॉलिथीन के उत्पादन, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाई है।

प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 नामक कानून बनाया गया है। इस कानून में निम्न प्रावधान हैं— प्लास्टिक कैंरी

बैग की न्यूनतम मोटाई को 40 से बढ़ाकर 50 माइक्रॉस किया गया, न्यायाधिकार को विस्तारित करते हुए स्थानीय निकायों पर लागू जिम्मेदारियों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया गया और ग्राम पंचायतों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रॉड्यूसर्स/ब्रांड स्वामियों के लिए ईपीआर को इतनी अधिक जटिल प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया कि अनेक पंजीकरण और अनेक भुगतान जरूरी हो गए। कोई भी रिटेलर या सड़क के किनारे दुकान लगाने वाला या कोई और व्यक्ति तय सीमा से बाहर पॉलिथीन बैग में सामान नहीं दे सकता। अगर कोई रिटेलर या सड़क किनारे का दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है तो लोकल अथॉरिटी जैसे नगरपालिका, नगर निगम या म्युनिसिपल अथॉरिटी के तय नियमों के अंतर्गत उसे जुर्माना देना होगा। यदि कोई दुकानदार पॉलिथीनों का सामान बेचना चाहता है तो इसके लिए उसे अपने क्षेत्र की

नगरपालिका में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फीस देनी होगी।

नैशनल ग्रीन ट्रिइव्यूनल ने राजधानी में 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इस तरह के प्लास्टिक को रखने वालों से 5,000 रुपये का पर्यावरण मुआवजा बसूलने का निर्देश दिया गया है। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाया था। साथ ही कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कचरे को फेंकने के लिए सब्जी बेचने वालों और बूचड़खानों को 10,000 रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति देनी होगी। यह 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी हुआ।

केंद्र सरकार की मुहिम से लगभग दो दशक पहले पूर्वोत्तर के पर्वतीय राज्य सिक्किम ने वर्ष 1998 में ही प्लास्टिक पर रोक लगा दी थी। पश्चिमी बंगाल में वर्ष 2001 से प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2004 से ही नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण, बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर रोक है। वर्ष 2016 से कर्नाटक में प्लास्टिक बैग के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध है। वर्ष 2016 से पंजाब में सिंगल यूज प्लास्टिक कैंरी बैग और कंटेनर के उत्पादन, स्टॉकिंग, वितरण, सेल और स्टोरेज पर प्रतिबंध है। वर्ष 2016 से हरियाणा में प्लास्टिक के कैंरी बैग के उत्पादन, स्टॉकिंग, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध है। वर्ष 2016 से केरल में प्लास्टिक बैग प्रतिबंधित है।

मार्च, 2018 में महाराष्ट्र सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य है। जून, 2018 में तेलंगाना दूसरा ऐसा राज्य बना। जुलाई, 2018 में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद पहली जनवरी, 2019 में तमिलनाडु और 2 अक्टूबर, 2019 को

ओडिशा में भी ऐसा प्रतिबंध लगाया गया। उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई, 2018 से 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक कैंरी बैग्स और अन्य प्रॉडक्ट्स के इस्तेमाल, खरीद, विक्री और स्टोरेज पर बैन लगाया गया। 15 अगस्त, 2018 से प्रतिबंध को और अधिक कड़ा करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकॉल से बने सभी प्रॉडक्ट्स के इस्तेमाल, निर्माण और स्टोरेज को प्रतिबंधित कर दिया गया। 2 अक्टूबर, 2018 से सभी तरह के नॉन बायोडिग्रेडबल प्लास्टिक या थर्मोकॉल के प्रॉडक्ट्स पूरी तरह बैन हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए पाए जाने वाले लोगों से जुर्माना लगाने के अलावा जेल तक भेजा जा सकता है। जुर्माना इस प्रकार वसूला जा सकता है— 100 ग्राम तक 1000 रुपये, 101-500 ग्राम तक 2000 रुपये, 501-1 किलोग्राम तक 5000 रुपये, 1 किलो से 5 किलो तक 10,000 रुपये, 5 किलोग्राम से अधिक पर 25,000 रुपये।

अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित प्लास्टिक बेस्ट पब्लिक या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, नदी, नालियों, सड़कों, झीलों, तालाबों में फेंकता पाया जाता है तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर यह कचरा किसी व्यक्ति का न होकर कमर्शियल या नॉन कमर्शियल संस्था का होगा तो जुर्माने की राशि 25,000 रुपये होगी। साथ ही प्रतिबंधित पॉलिथीन या थर्मोकॉल के प्रॉडक्ट्स के इस्तेमाल, बनाने, बेचने, स्टोरेज और आयात-निर्यात का दोषी पाए जाने पर 6 महीने की जेल या 10,000 से 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी या इससे आगे इसी प्रकार की गलती पर, पकड़े जाने वालों को एक साल की जेल हो सकती है या 20,000 से एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। हरियाणा में भी 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक बैन है। इस प्लास्टिक के कैंरी बैग बेचने वालों पर 5000 रुपये तक का जुर्माना है। प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर 250 से 500 रुपये तक जुर्माना है। तमाम नियम-कानूनों के बावजूद क्रियान्वयन-स्तर पर ढिलाई के चलते प्लास्टिक की थैलियों का आज भी हर जगह धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है।

संसद में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। रेलवे ने एक बार इस्तेमाल किए जा सकने वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर बैन लगा दिया है। अनेक सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं ने भी पानी की प्लास्टिक की बोतलों के स्थान पर कांच की बोतलों में भीटिंग आदि के समय पानी दिया जा रहा है। भारतीय रेल ने एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरों को भांपते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर अमल करते हुए एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही, अन्य प्रकार के प्लास्टिक, जैसे पानी की बोतल आदि के लिए बोतल क्रशिंग मशीन ए-1 तथा ए-2 स्तर के स्टेशन पर लगाई गई है।

राजधानी दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हो गया है।

सितम्बर 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने का संकल्प लिया गया था। एयरपोर्ट कर्मचारियों व यात्रियों को सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल चीजों से बनी वस्तुएं इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

प्लास्टिक जमा करने वाले लोग पुरस्कृत किए जाने लगे हैं। देश में इकोवोट नामक एक ऐसी रिवर्स वैंडिंग मशीन बनाई गई है, जिसमें अगर कोई किसी भी प्रकार का प्लास्टिक कचरा डालता है तो मशीन उसकी एज में उस व्यक्ति को भी कुछ देती है। इसमें किसी रेस्त्रा में खाने का कूपन हो सकता है, मूवी टिकट हो सकती है या फिर नकदी भी हो सकती है। मशीन में एकत्र हुए कचरे को लैंडफिल साइट में भेजने की जगह रिसाइकिल प्लांटों में भेजा जाता है। रिचार्जस फॉर रिसाइकिलिंग के विचार को भारत में भी अपनाया है। मुंबई में पहली स्वच्छ भारत रिसाइकिलिंग मशीन लगी है। यहां के कुछ रेलवे स्टेशनों पर इसे लगाया गया है। यात्रियों के बीच यह काफी लोकप्रिय है। दिल्ली में कर्नाट प्लेस में "प्लास्टिक लाओ कपडे का थैला पाओ" योजना के अंतर्गत कपडे का थैला दिया जाता है।

अन्य विकल्प तलाशें जाएं

दुनियाभर के विशेषज्ञों का कहना है कि प्लास्टिक को प्रतिबंधित करके एक बार में पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। रिसाइकिलिंग के बाद भी इसका कुछ हिस्सा पर्यावरण में शेष रह जाता है। इसके निस्तारण के लिए सबसे प्रभावी विकल्पों में से एक विकल्प उससे ईंधन बनाना है। प्लास्टिक की उन वस्तुओं के विकल्प तलाशें जाएं, जिनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। कुछ वस्तुओं का विकल्प तो उपलब्ध है, जैसे प्लास्टिक के गिलास की जगह स्टील या शीशे का गिलास रखें। माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन में खाना गर्म करने के बजाय कांच के बर्तन का प्रयोग करें।

प्लास्टिक के व्यापक इस्तेमाल से पूर्व जैविक स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता था जैसे चमड़ा, लकड़ी आदि। लेकिन पेट्रोलियम-आधारित प्लास्टिक का विकास हमें ऐसे पदार्थों से दूर ले गया। पिछले कुछ समय से पॉलिलेक्टाइड (पीएलए) जैसे स्टार्च आधारित प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मकई स्टार्च, कसावा की जड़ों या गन्ने से बनाया जाता है। इस प्रकार के प्लास्टिक का फोम बनाया जा सकता है या पेय पदार्थ की बोतलों बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्रकार से प्लास्टिक के अन्य विकल्पों को तलाशें जाने की आवश्यकता है।

संक्षेप में, प्लास्टिक के प्रयोग से होने वाले खतरों से बचाव के लिए इससे निपटने के गंभीर प्रयास होने चाहिए। सरकार के प्रयास तभी सफल हो सकते हैं, जब जनता का सहयोग भी प्राप्त हो।

(लेखिका विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यरत हैं।)
ई-मेल : neelnisheth@gmail.com

पूर्वोत्तर भारत में साफ-सफाई और जल उपलब्धता

—डॉ. प्रदीप कुमार मुखर्जी

शौचालय की बात हो या हैंड हाइजीन की बात हो, इनमें आधारभूत ढांचा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता तीन बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। न केवल शौचालयों के निर्माण बल्कि उनके सुचारू रूप से इस्तेमाल के लिए पानी की जो महती आवश्यकता होती है, वह आधारभूत ढांचे की उपलब्धता से ही संगत है। इस लेख में पूर्वोत्तर भारत में स्वच्छता, साफ-सफाई और स्वच्छ जल हेतु आवश्यक आधारभूत ढांचे पर चर्चा की गई है।

इससे किसी को इंकार नहीं हो सकता कि गुणवत्तापूर्ण जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता (हाइजीन) और साफ-सफाई (सेनिटेशन) की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साफ-सफाई एवं स्वच्छता के लिए पानी एक महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रकार पानी, साफ-सफाई, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़े हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इनकी क्या स्थिति है, इस पर चर्चा से पहले आइए जान लें कि क्या स्वच्छता और साफ-सफाई एक ही हैं जैसा कि अमूमन लोग समझते हैं या इनमें कोई अंतर है। दरअसल, स्वच्छता और साफ-सफाई एक ही सिक्के के दो पहलू होते हुए भी एक नहीं हैं। स्वच्छता यानी हाइजीन मानव शरीर केंद्रित है यानी स्वच्छता का मुख्य घटक मानव शरीर है। मानव शरीर केंद्रित सभी प्रक्रियाएं, जैसे कि हाथ धोना, नहाना, दांत साफ करना, धुले वस्त्र पहनना आदि सभी स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। मानव-जनित एवं अन्य अपशिष्टों तथा सूक्ष्मजीवों के साथ मानव संपर्क को रोककर स्वस्थ जीवन और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना ही साफ-सफाई यानी सेनिटेशन के अंतर्गत आता है। साफ-सफाई से हमारा तात्पर्य अपने आसपास सफाई रखना, पर्यावरण को शुद्ध यानी

प्रदूषणमुक्त रखना, साफ-स्वच्छ भोजन करना तथा गंदगी को होने से रोकना और उसे साफ करना होता है।

स्पष्ट है कि स्वच्छता और साफ-सफाई को बनाए रखने के लिए पानी की नितांत आवश्यकता है। तभी स्वच्छता और साफ-सफाई के साथ पानी को जोड़ा जाता है। नतीजतन, हम पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता (वॉटर, सेनिटेशन एंड हाइजीन) की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा इसे 'वाश' नाम दिया गया है, जो वॉटर, सेनिटेशन एंड हाइजीन का संक्षिप्तीकरण है। लेकिन, 'वाश' कार्यक्रम की सफलता के लिए पानी के साथ-साथ साबुन भी एक ज़रूरी घटक है। वर्तमान कोविड-19 महामारी तथा अतीत में होने वाली महामारियों ने यह पाठ तो हमें पढ़ा ही दिया है कि पानी और साबुन से हाथ धोना वायरस, बैक्टीरिया आदि सूक्ष्मजीवों के संक्रमण से बचाए रखने में रामबाण का काम करता है। न केवल घरों बल्कि कार्यस्थलों, जैसे कि कार्यालयों, फैक्टरियों तथा फील्ड इयूटी वाले स्थानों में भी 'वाश' की महत्वपूर्ण भूमिका है। चूंकि कार्यालयों में लोग काफी लंबी अवधि तक एक-दूसरे के संपर्क में रहते हैं, वहां 'वाश' का



तो और भी विशेष महत्व है।

उल्लेखनीय है कि स्वच्छता यानी हाइजीन के सभी तौर-तरीकों में हाथों की स्वच्छता यानी हैंड हाइजीन का स्थान सर्वोपरि है। हाथों से ही संक्रमण फैलने का खतरा सबसे अधिक रहता है क्योंकि हाथों से ही हम अपने घेहरे, नाक और आंखों को दिन में न जाने कितनी बार छूते हैं। इससे संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ती चली जाती है।

साफ-सफाई में सबसे महत्वपूर्ण घरों में शौचालय होने को माना जाता है। भोजन करने से पहले और शौच के बाद हाथों को पानी और साबुन से अच्छी तरह से धोना हैंड हाइजीन के अंतर्गत आता है।

शौचालय की बात हो या हैंड हाइजीन की बात हो, इनमें आधारभूत ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर), शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता तीन बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। न केवल शौचालयों के निर्माण बल्कि उनके सुधार रूप से इस्तेमाल के लिए पानी की जो महती आवश्यकता होती है, वह आधारभूत ढांचे की उपलब्धता से ही संभव है। वहीं हैंड हाइजीन के लिए पानी और साबुन दोनों की ही महती आवश्यकता है। आधारभूत ढांचे के अभाव में न तो शौचालयों का निर्माण, उनका इस्तेमाल और रखरखाव करना संभव है बल्कि हैंड हाइजीन का ठीक तरह से पालन कर पाना भी संभव नहीं। आधारभूत ढांचा होते हुए भी शिक्षा या स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के अभाव में न तो हैंड हाइजीन का पालन हो सकता है और न शौचालयों का निर्माण ही। शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव में भारत के कई राज्यों में (जिनमें पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं) घरों में शौचालय होने को बुरा मानते हैं, इसलिए वे खुले में शौच के लिए जाते हैं।

खुले में शौच का अर्थ है कि घरों में शौचालयों के अभाव में लोग खेतों, जंगलों, जल निकायों के पास की खाली जगहों या अन्य खाली पड़े स्थानों पर जाकर शौच करते हैं। इससे खासकर महिलाओं का सम्मान और अस्मिता तो प्रभावित होता ही है, उनके साथ कुछ लंपट स्वभाव के पुरुषों द्वारा छेड़छाड़ और अमद्र व्यवहार भी किया जाता है, जो बेहद शर्मनाक है। इस भीषण सामाजिक समस्या के अलावा खुले में शौच के लिए जाना स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर डालता है। मानव मल के साथ संपर्क अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देता है जिनमें हैजा, टाइफाइड, पीलिया, पोलियो, दस्त, कृमि-संक्रमण तथा कुपोषण आदि शामिल हैं। इन रोगों की चपेट में कोई भी आ सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को ये विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। गौरतलब है कि पांच वर्ष से कम आयु के लगभग 800 बच्चे प्रतिदिन दस्त संबंधी रोगों से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

साफ-सफाई यानी सैनिटेशन पर ध्यान दिए जाने के लिए भारत सरकार ने सन 1998 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टोटल सैनिटेशन कैंपेन) शुरू किया था जिसे सन 2012 में निर्मल भारत अभियान नाम दिया गया। इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम 2 अक्टूबर 2014 को उठाया गया जब भारत सरकार ने स्वच्छ

भारत अभियान शुरू किया। इस अभियान का लक्ष्य पांच वर्ष यानी 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को पूर्ण रूप से खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) बनाना था। असल में, स्वच्छ भारत अभियान, जिसे मोदी सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 में आरंभ किया गया था, का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, घरों में शौचालय बनाने के महत्व को रेखांकित करना तथा पांच वर्षों की अवधि यानी 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को पूर्ण रूप से खुले में शौचमुक्त बनाना था। स्वच्छ भारत अभियान से समग्र रूप से अच्छे परिणाम ही प्राप्त हुए हैं।

यहां यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि खुले में शौच मुक्ति के अलावा समय के साथ इस अभियान का दायरा भी विस्तृत हुआ है। इस अभियान के दायरे में वायु प्रदूषण, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक का प्रयोग, सिर पर मैला ढोना तथा ऋतु धर्म संबंधी स्वास्थ्य को भी शामिल किया गया है। न केवल इतना बल्कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत समुद्री प्रदूषण तथा देश की दो बड़ी नदियों, गंगा और यमुना, की सफाई को भी स्थान दिया गया है।

अब जरा देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में शौचालयों की क्या स्थिति है।

पूर्वोत्तर भारत में शौचालयों की स्थिति

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शौचालय की स्थिति पर चर्चा से पहले तुलनात्मक रूप से यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि शौचालयों के मामले में पूरे भारत की स्थिति क्या है। जैसे तो आजकल साफ-सफाई यानी सैनिटेशन को सीधे शौचालय की सुविधा होने या न होने से जोड़ा जा रहा है, लेकिन साफ-सफाई का अर्थ केवल शौचालयों का होना मात्र ही नहीं है। व्यापक अर्थ में, संदूषण और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का होना ही साफ-सफाई के अंतर्गत आता है। साफ-सफाई में सुविधाओं या आधारभूत ढांचे के अलावा मानव व्यवहार एवं उसकी सोच भी शामिल होती है। यानी मानव व्यवहार/सोच एवं सुविधाओं से मिलकर ही साफ-सफाई को पख मिलते हैं। विश्वभर में 7 में से 1 व्यक्ति खुले में शौच के लिए जाता है। इन लोगों में से 10 में से 9 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। विश्वभर में पांच देशों—इंडोनेशिया, नाइजीरिया, यूथोपिया, पाकिस्तान तथा भारत में खुले में शौच जाने वालों की संख्या विश्व जनसंख्या का 75 प्रतिशत है। इनमें से खुले में शौच जाने वाले भारतीयों की संख्या ही सबसे अधिक 57 करोड़ है (पूरे विश्व में खुले में शौच जाने वाले लोगों की संख्या 95 करोड़ है)।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम हैं। इनमें से प्रथम सात राज्य 'सेवन सिस्टर्स' यानी सात बहनें कहलाती हैं जबकि सिक्किम को 'ब्रदर स्टेट' की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार सात बहनें (सेवन सिस्टर्स) एवं एक भाई (बन ब्रदर) मिलकर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों का गठन करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। प्राकृतिक संपदा एवं जल संसाधनों से भरपूर है सभी पूर्वोत्तर राज्य। लेकिन, भौगोलिक परिस्थितियों एवं अनुकूल मौसम न होने के कारण पूर्वोत्तर राज्यों

का सही विकास नहीं हो पाया है।

प्राकृतिक जल संसाधनों की अधिकता होने के बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों में पेयजल और अन्य उपयोग में आने वाले जल की भी काफी समस्याएँ हैं। ऐसे में शौचालय बनाने के बाद पानी की समस्या से उनके उपयोग के मार्ग में कठिनाई आ सकती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत ढांचे की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने सन 2014 में यह निर्णय लिया कि शौचालय निर्माण में आने वाला 90 प्रतिशत व्यय केंद्र वहन करेगा। शौचालय के मामले में विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति क्या है, आइए, इसे आंकड़ों के आधार पर देखते हैं।

अरुणाचल प्रदेश : अरुणाचल प्रदेश सन 2018 तक खुले में शौचमुक्त राज्य का दर्जा हासिल कर चुका था। इस राज्य के 20 जिलों के 5,300 से भी अधिकतर गांवों में घरों में शौचालय बने हैं। शौचालय के मामले में अरुणाचल प्रदेश की यह खासियत है कि इसमें बांस से अनेक शौचालयों का निर्माण किया गया है। राज्य के 29 में से 13 जिलों में 500 से अधिक बांस निर्मित शौचालय मौजूद हैं। ये शौचालय राज्य के ऐसे भू-भाग में बने हैं जहाँ पारंपरिक दो गड़दों (दू-पिट) वाला शौचालय बनाया जा सकता संभव नहीं।

असम : असम काफी पहले ही खुले में शौचमुक्त राज्य होने का दर्जा हासिल कर चुका है। सन 2018 तक वहाँ 29 लाख से भी अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। सन 2018 तक राज्य के 28 जिलों में से 12 जिले तथा इन जिलों के 8,600 गांव खुले में शौचमुक्त होने का दर्जा हासिल कर चुके थे। राज्य के शहरी क्षेत्रों में 10,000 शौचालय बने। असम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ बाढ़ बहुत आती है। इसके मद्देनजर वहाँ कुछ ऊँचाई पर शौचालय (एलिवेटेड टॉयलेट) बनाए गए हैं।

मिज़ोरम : सन् 2014 में, जब स्वच्छ भारत अभियान आरंभ हुआ था, मिज़ोरम के कुछ गांवों में 20 से भी कम घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन सन् 2018 तक राज्य ने अपने 8 जिलों के अंतर्गत आने वाले गांवों में 33,000 शौचालय बना डाले। ये सभी गांव अब खुले में शौचमुक्त होने का दर्जा हासिल कर चुके हैं। लेकिन, राज्य के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम काम हुआ। चार वर्षों में राज्य केवल 143 सार्वजनिक शौचालय ही बनवा पाया जबकि लक्ष्य 300 शौचालयों का था। शहरी क्षेत्रों में स्थित घरों में केवल 1,037 शौचालय ही राज्य बनवा पाया।

मेघालय : सन् 2018 तक राज्य में 2,09,374 से भी अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ जिससे इसे खुले में शौचमुक्त होने का दर्जा हासिल हुआ। इस राज्य के जिलों के अंतर्गत आने वाले 6,028 गांवों को भी खुले में शौचमुक्त होने का दर्जा मिला। इसके अलावा, राज्य ने शहरी क्षेत्रों में स्थित घरों में 8,700 शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ 296 सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी करवाया।

नगालैंड : सन् 2017 के अंत तक नगालैंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले सभी 12 जिले खुले में शौचमुक्त होने का दर्जा पा चुके थे। नगालैंड में 1.25 लाख शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा हुआ

तथा 1,412 गांवों के खुले में शौचमुक्त होने की घोषणा की गई। लेकिन, राज्य के शहरी क्षेत्रों में शौचालयों की संख्या कहीं कम थी। वर्ष 2017 तक शहरी क्षेत्रों के घरों में केवल 2,972 शौचालय ही मौजूद थे। लेकिन, नगालैंड में शहरी स्थानीय निकायों (अर्बन लोकल बॉडीज) में से किसी को भी खुले में शौचमुक्त होने का दर्जा नहीं मिल पाया है। इन्हें भी यह दर्जा दिलाने की दिशा में राज्य पूरी गंभीरता से काम कर रहा है।

मणिपुर : शौचालयों के मामले में अन्य पूर्वी राज्यों की तुलना में मणिपुर की स्थिति बहुत अच्छी है। सन् 2018 तक मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में 2,30,000 तथा शहरी क्षेत्रों में 6,81,000 शौचालयों का निर्माण पूरा हो गया था। राज्य के 15 जिलों में से 8 जिलों को खुले में शौचमुक्त होने का दर्जा हासिल है। इसके अलावा, राज्य के 27 शहरी स्थानीय निकायों (अर्बन लोकल बॉडीज) को भी खुले में शौचमुक्त होने का दर्जा हासिल हुआ है। 2 अक्टूबर, 2018 को मणिपुर को खुले में शौचमुक्त होने का दर्जा हासिल हुआ।

त्रिपुरा : पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों में शौचालयों के मामले में त्रिपुरा की स्थिति ही सबसे दयनीय है त्रिपुरा में 2018 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1,92,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, इस राज्य के किसी भी जिले को खुले में शौचमुक्त होने का दर्जा 2018 तक प्राप्त नहीं हो सका था। त्रिपुरा के शहरी क्षेत्रों के घरों में 2018 तक केवल 517 ही शौचालय थे। अतः शौचालय निर्माण के मामले में त्रिपुरा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में बहुत पीछे रहा है जिसे आगे सुधारने की जरूरत है।

सिक्किम : स्वच्छ भारत अभियान 2014 लागू होने के काफी पहले से ही सिक्किम 2008 से ही खुले में शौचमुक्त होने का दर्जा हासिल कर चुका था। 2018 तक राज्य में 55,000 से भी अधिक शौचालयों का निर्माण हो चुका था। इसके अलावा, राज्य के सभी सात शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौचमुक्त होने का दर्जा हासिल है। सिक्किम अब खुले में शौचमुक्त यानी ओडीएफ दर्जे से ऊपर उठकर 'ओडीएफ प्लस' की ओर अग्रसर हो चुका है, जो अपने आप में बहुत सराहनीय है।

स्वच्छता के मामले में सिक्किम ने अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में अतुलनीय कार्य किया है। न केवल शौचालयों के निर्माण बल्कि कचरा प्रबंधन तथा अच्छी स्वच्छता यानी हाइजीन के लिए हाथों की धुलाई पर भी राज्य में समुचित बल दिया गया है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों तक स्वच्छ एवं स्वस्थ सिक्किम के संदेश को पहुंचाया जा सके। वर्ष 2018 तक सिक्किम में सालाना करीब 183 मीट्रिक टन कचरे को कंपोस्ट में बदला जा रहा था। विभिन्न जिलों के स्कूलों में हाथों की धुलाई के महत्व को रेखांकित करने वाले कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का नियमित आयोजन सिक्किम में किया जाता है। इस प्रकार सिक्किम में साफ-सफाई एवं स्वच्छता दोनों पर ही समान रूप से ध्यान दिया जाता है।

चाहे साफ-सफाई के लिए शौचालयों के इस्तेमाल की बात हो या स्वच्छता के लिए हाथों की धुलाई की बात हो, इसके लिए पानी की उपलब्धता बहुत जरूरी है। ऐसे भी कई शौचालय हैं जो

पानी की कमी के कारण उपयोग में नहीं आ पाते हैं। इसी तरह, हाथों की धुलाई के लिए पानी और साबुन दोनों की ही आवश्यकता होती है। पानी की कमी के कारण हाथों की धुलाई का मामला भी खट्टाई में पड़ जाता है। अग्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में पानी की उपलब्धता के बारे में चर्चा करते हैं।

पूर्वोत्तर भारत में पानी की उपलब्धता

पूर्वोत्तर राज्यों में पानी के प्राकृतिक स्रोतों, जैसे कि नदियों और झरनों के कारण पानी की उपलब्धता तो है, लेकिन शुद्ध पेयजल की बड़ी कमी है। भारत के कुल सतह जल (सर्फेस वॉटर) का 34 प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में पाया जाता है। यहां औसतन 2,500 मिलीमीटर सालाना वर्षा होती है। लेकिन, अधिकतर क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण वर्षा का पानी बह जाता है। यहां की नदियों और झरनों में बरसात में खूब पानी रहता है, लेकिन बाकी ऋतुओं में इनका पानी बहुत कम हो जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, लेकिन यहां अंतर्निरोध की स्थिति है यानी बरसात के मौसम में तो ब्रह्मपुत्र में बहुत पानी रहता है, लेकिन बाकी सभी ऋतुओं में इसका पानी भी कम हो जाता है। नतीजतन, बरसात के मौसम के बाद बाकी ऋतुओं में पानी के अभाव का सामना पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिकतर राज्यों को करना पड़ता है।

पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर पानी हैंडपंपों और नलकूपों यानी ट्यूबवैलों से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा, झील, नदी और झरनों से भी पानी को प्राप्त किया जाता है। यहां नहर प्रणाली भी है तथा लिफ्ट परियोजनाओं के जरिए लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। कुछ राज्यों में घरों में नल द्वारा पीने के पानी की व्यवस्था है। लेकिन, घरों में पानी की उपलब्धता के मामले में अलग-अलग राज्यों की अलग स्थिति है। जहां असम के 50 प्रतिशत घरों में पानी उपलब्ध है वहीं मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और मेघालय के केवल 20 प्रतिशत ग्रामीण घरों में ही पानी उपलब्ध है। सिक्किम में लगभग सभी ग्रामीण घरों को नल का पानी पहुंचता है। इस पानी को उपचारित किए बिना ही नदियों, झरनों आदि से सीधे ही घरों तक पहुंचाया जाता है। इन राज्यों में हैंडपंपों और नलकूपों के अलावा झीलों, नदियों, झरनों यहां तक कि तालाबों से भी पानी की जरूरत पूरी की जाती है। नगालैंड में कोई सिंचाई परियोजना नहीं है। पहाड़ी झरनों के जरिए राज्य के लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहां दूसरे राज्यों की तरह हैंडपंपों आदि की व्यवस्था भी नहीं है। इन्हीं कारणों से नगालैंड में पेयजल की बड़ी समस्या रहती है। नगालैंड के कोहिमा जिले में मेरिहमा, लरिइरोमा और मगूमेलोमा ऐसे तीन-तीन गांव हैं जिनके निवासी पानी के लिए सड़कें तय करते हैं। नगालैंड के लोग बरसात में छत से टपकने वाले पानी को एकत्र करके रखते हैं। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलने वाली जलशोधन इकाइयां इस राज्य में लगाई गई हैं। पानी के लिए तरसते कोहिमा के तीन गांवों में भी ये इकाइयां लगी हैं। इन जलशोधन इकाइयों के कारण

इस राज्य के लोगों को थोड़ी राहत मिली है।

त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में अनेक नदियां हैं जिनसे पानी प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा, भूमिगत जल का इस्तेमाल भी हैंडपंपों तथा नलकूपों आदि के जरिए किया जाता है। त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले कुओं से भी पानी प्राप्त किया जाता है। बावजूद इसके त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी पानी की बहुत किल्लत रहती है।

इस प्रकार भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पेयजल की कमी के साथ-साथ आम उपयोग के पानी की भी बहुत कमी यहां के लोगों को झेलनी पड़ती है। यहां पानी के प्राकृतिक स्रोतों, जैसे कि झीलें, नदियां, झरने आदि होने के बावजूद अधिकतर घरों तक पेयजल नहीं पहुंचता है। हैंडपंपों तथा नलकूपों आदि से पानी की अन्य जरूरतें अवश्य पूरी होती हैं, लेकिन पेयजल की भयंकर किल्लत सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों को झेलनी पड़ती है।

पूर्वोत्तर राज्यों में स्वच्छता की स्थिति

स्वच्छता यानी हाइजीन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण हाथों की धुलाई यानी हैंड हाइजीन को माना जाता है। खासकर भोजन करने से पहले और शौच के बाद हाथों को पानी और साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए। आजकल तो लोग कोविड-19 महामारी के कारण हाथों की धुलाई पर जोर देने लगे हैं, लेकिन यूनिसेफ के 'वाश' कार्यक्रम में हाथों की धुलाई को बहुत पहले से ही महत्व दिया जाता रहा है। हाथों की धुलाई निमोनिया, रोहे (ट्रैकोमा), स्केबीज, त्वचा एवं आंखों के संक्रमण तथा दस्त संबंधी बीमारियां, जैसे कि हैजा और पैन्डिथ होने की संभावना को कम करती है। कुछ अध्ययनों द्वारा यह सामने आया है कि 'वाश' कार्यक्रम के पालन से वायरस, बैक्टीरिया आदि सूक्ष्मजीवों की तादाद ना के बराबर हो जाती है तथा यह प्रक्रिया श्वसन संबंधी संक्रमणों को 23 प्रतिशत तक कम कर सकती है।

लेकिन पानी के अभाव में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 'वाश' कार्यक्रम या हैंड हाइजीन कार्यक्रम को व्यावहारिक रूप से बहुत सफलता नहीं मिली है। पानी की किल्लत के कारण लोग चाहकर भी 'वाश' कार्यक्रम का सही तरह से पालन करने में असमर्थ हैं। असम और सिक्किम के कुछ स्कूलों में 'वाश' कार्यक्रम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। कोविड-19 की महामारी के बाद सब जगह स्थिति बदली है। भारत, खासकर पूर्वोत्तर भारत में भी हाथों की धुलाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लेकिन, इसमें मुख्य समस्या तो पानी की उपलब्धता है। भारत सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों में पानी की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। पानी की सतत उपलब्धता से ही स्वच्छता और साफ-सफाई की स्थिति अच्छी होगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता बढ़ने के साथ-साथ लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा।

(लेखक वरिष्ठ विज्ञान लेखक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में

प्रोफेसर रह चुके हैं।)

ई-मेल : mukherjeepradeep21@gmail.com

स्वच्छ भारत मिशन



—संजय श्रीवास्तव

स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण वर्ष 2019 में एक बड़ी उपलब्धि के साथ खत्म हो चुका है जिसमें देश के सभी राज्यों ने खुद को पूरी तरह स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। ये एक बड़े देश के लिए एक बड़ी बात ही कही जाएगी। इस दौरान देश में स्वच्छता की दिशा में कई बड़े काम हुए। जब स्वच्छता बढ़ी तो इससे वातावरण शुद्ध हुआ और गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियां भी कम हुईं।

स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण वर्ष 2024-25 तक के लिए शुरू हो चुका है, इसे कैबिनेट की मजूरी भी मिल चुकी है। इसमें पहले चरण में रह गए स्वच्छता के कामों को जहां दुरुस्त किया जाएगा, वहीं अगर गांवों में कोई घर अब भी निजी शौचालय बनवाने से छूट गया है, तो उसे पूरा किया जाएगा। उसके लिए सरकार की वित्तीय मदद भी जारी रहेगी।

स्वच्छ भारत मिशन अभियान जब 02 अक्टूबर, 2014 में शुरू हुआ था तो ग्रामीण स्वच्छता में हम बहुत पीछे थे। अगले पांच सालों में ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान साबित हुआ। जब वर्ष 2018-19 में इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ तो पता लगा कि इस अभियान से गांवों में बीमारियों की संख्या में तेजी से कमी हुई है। इसका स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ा है। इस सर्वे को संसद में भी पेश किया गया। इसे पेश करते हुए वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि आजादी के 67 सालों बाद जब वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों

में करीब 10 करोड़ और शहरी इलाकों में 01 करोड़ लोगों के घरों में सेनेटरी टायलेट नहीं थे जबकि 56.4 करोड़ लोग खुले में शौच के आदी थे। भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट के अनुसार सितंबर 2020 तक देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में 10.66 करोड़ निजी शौचालय बनवाए जा चुके थे तो 6,03,177 गांव पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो सके थे। 38 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश भी ओडीएफ की घोषणा कर चुके थे। ये ना केवल एक बड़ा अभियान बल्कि एक बड़ी उपलब्धि रही।

हालांकि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि इस बात की फिर से पुष्टि कर लेनी चाहिए कि कहीं कोई ऐसा ग्रामीण घर नहीं हो जो इस अभियान से बच गया हो। अगर इसका पता चले तो जिन घरों में शौचालय नहीं है, वहां इसे बनाया जाए।

सबसे बड़ी बात जो उस समय भी कही जा रही थी कि अगर हमने देश को स्वच्छ कर लिया, खासकर अपने गांवों को साफ



गांधीजी और स्वच्छता

गांधीजी के बारे में एक बात हमेशा स्वच्छता को लेकर कही जाती है कि वो जब दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 2015 में स्थायी तौर पर भारत आ गए तो उन्होंने पूरे देश को समझने के लिए भारत भ्रमण शुरू किया। जब वो बनारस और कोलकाता गए तो मंदिरों के आसपास उन्हें बहुत गंदगी दिखी। इससे वो विचलित भी हुए। उन्हें तभी महसूस हुआ कि आजादी की लड़ाई के साथ-साथ भारतीयों के मन में स्वच्छता के प्रति भी भाव जगाना जरूरी है।

आजादी की लड़ाई के दौरान गांधीजी हमेशा अपने भाषणों में, मिलने वालों से स्वच्छता पर जोर दिए जाने की बात करते रहे। उन्हें लगता था कि किसी भी सम्य और विकसित मानव समाज के लिए स्वच्छता के उच्च मानदंड की जरूरत सबसे ज्यादा है। उनमें यह समझ पश्चिमी समाज में उनके पारंपरिक-मेलजोल और अनुभव से विकसित हुई। गांधीजी के लिए स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा था। 1895 में जब ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और एशियाई व्यापारियों से उनके स्थानों को गंदा रखने के आधार पर भेदभाव किया था, तब से लेकर अपनी हत्या के एक दिन पहले 20 जनवरी 1948 तक वह लगातार सफाई पर जोर देते रहे।

लोक सेवक संघ के संविधान मसौदे में उन्होंने कार्यकर्ताओं के संबंध में जो लिखा था, वह इस प्रकार है— 'कार्यकर्ता को गांव की स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूक करना चाहिए और गांव में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए' (गांधी वाङ्मय, भाग 90, पृष्ठ 528)।


यह दिलचस्प है कि पहली बार गांधीजी ने स्वच्छता के मसले को दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों को अपने-अपने व्यापार के स्थानों को साफ रखने के संबंध में उठाया था। भारतीय और एशियाई समुदाय की ओर से एक याचिकाकर्ता के रूप में दक्षिण अफ्रीका में दी गई एक याचिका में गांधीजी ने भारतीय व्यापारियों के स्वच्छता के प्रति उनके रवैये और व्यवहार का बचाव किया। उन्होंने सभी समुदायों से सफाई रखने के लिए लगातार अपील भी की थी।

गांधीजी ने समाजशास्त्र को समझा, स्वच्छता के महत्व को समझा। पारंपरिक तौर पर सदियों से सफाई के काम में लगे लोगों को गरिमा प्रदान करने की कोशिश की। गांधीजी भारतीय लोगों की साफ-सफाई कम रखने की आदतों से भी परिचित थे। वह कहते थे कि बेहतर साफ-सफाई से ही भारत के गांवों को आदर्श बनाया जा सकता है।

महात्मा गांधी ने कहा था यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता है। शौचालय को अपने ड्रॉइंग रूम की तरह साफ रखना जरूरी है। अपने अंदर की स्वच्छता पहली चीज है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए। बाकी बातें इसके बाद होनी चाहिए। हर किसी को अपना कूड़ा खुद साफ करना चाहिए। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वह आपकी आदत बन जाए।

बापू ने हमें सिर्फ स्वच्छता की कोरी सीख ही नहीं दी, बल्कि इसे स्वयं अपने निजी जीवन में उतार कर एक उदाहरण भी पेश किया। साबरमती आश्रम की साफ-सफाई और पेड़-पौधों की देखभाल वह खुद करते थे। केवल भारत ही नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने साफ-सफाई की मिसाल पेश की। वहां बापू जिस बस्ती में रहते थे, उस बस्ती, उसके आसपास के क्षेत्र और शहरों की सफाई में उन्होंने बढ़-चढ़ कर योगदान दिया। जब डरबन की एक भारतीय बस्ती में प्लेग फैला। इस विषम स्थिति में बापू ने ना सिर्फ बीमारों की सेवा का बीड़ा उठाया, बल्कि प्लेग के प्रसार को रोकने के लिए वहां जमकर सफाई अभियान चलाया।

1901 में उन दिनों कोलकाता में कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था। इसमें शामिल होने के लिए बापू दक्षिण अफ्रीका से आए। कार्यक्रम स्थल पर खासी गंदगी और अस्वच्छता थी। इसे देखकर वो व्याकुल हो गए और खुद सफाई का काम शुरू कर दिया। यहां तक कि शौचालयों की भी सफाई की। साथ ही सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों को दिए भाषण में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश भी डाला।



“पहले वो आपको अनदेखा करेंगे, उसके बाद आप पर हंसेंगे, फिर वो आप से लड़ेंगे, और तब आप जीत जाएंगे।”

तालिका 1: स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण संबंधी आंकड़ों पर एक नजर

2 अक्टूबर, 2014 से निर्मित शौचालयों की संख्या	10,28,67,000
वित्तीय वर्ष के दौरान निर्मित शौचालयों की संख्या 2020-21 (तारीख पर)	29,94,754
घरों की संख्या में वृद्धि 2 अक्टूबर, 2014 से शौचालयों की सुविधा	61.25%
खुले में शौचमुक्त/ओडीएफ की संख्या जिले (स्वघोषित)	706
खुले में शौचमुक्त/ओडीएफ की संख्या ग्राम-पंचायतें (स्वघोषित)	2,62,736
खुले में शौचमुक्त/ओडीएफ की संख्या गांव (स्वघोषित)	6,03,177

*ODF: खुले में शौच

स्रोत : जलशक्ति मंत्रालय, SBM-G <http://sbm.gov.in/sbmreport/home.aspx>

कर लिया तो हम काफी हद तक बीमारियों पर काबू पा सकेंगे, जो मंदगी के चलते पैदा होती हैं और लाखों लोग इससे मर जाते हैं। इससे गांवों में डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों पर काबू पाया जा सका और मृत्यु दर भी कम हुई। यानी हमारे गांव स्वच्छ के साथ-साथ स्वस्थ भी होने लगे।

अब आइए, हम स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की ओर नजर डालते हैं। जिस चरण को 2020-21 से शुरू किया गया और इसका लक्ष्य 2024-25 रखा गया है। इसके लिए 1,40,881 करोड़ रुपये का कुल खर्च किया जाएगा। वित्तपोषण विभिन्न विभागों के आपसी तालमेल से होगा। बड़ा हिस्सा पेयजल और स्वच्छता विभाग से दिया जाएगा, क्योंकि उसको अब दूसरे चरण में हर घर में साफ पीने का पानी पहुंचाना है। उसके बजट से इस अभियान में 52,497 करोड़ रुपये का योगदान होगा।

गांवों में अगर शौचालय बन रहे हैं तो एक बड़ी समस्या ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की भी है। इसके लिए इस अभियान में पूरा ध्यान रखा गया है। कई राजस्व सृजन मॉडलों के जरिए इसके लिए फंड जुटाया जाएगा। अपशिष्ट के ट्रीटमेंट के लिए स्थानीय-स्तर पर ही कई योजनाएं जारी रहेंगी। खुले में शौच के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। हालांकि सरकार ने पिछले पांच सालों तक जिस तरह खुले में शौच के खिलाफ अभियान चलाया, उससे लोगों की इस प्रवृत्ति में आमूलचूल बदलाव देखा गया।

सरकार खुद मानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से घरों में अभी भी शौचालय नहीं बने हैं, लिहाजा उनके और नए घरों के लिए अब भी 12,000 रुपये की आर्थिक मदद केंद्र सरकार की तरफ से जारी रहेगी। साथ ही ये भी तय किया गया कि अब ग्राम पंचायतों को सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जाए। जब यह योजना वर्ष 2014 में शुरू हुई तो इसको लेकर

बहुत से शवाल थे लेकिन अब ये सबके सामने है कि सरकार के अभियान में अगर जनता की भागीदारी रहे तो इसे अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है; तरवीर को बदला जा सकता है।

सरकार का फोकस अब स्वच्छता के साथ-साथ जल प्रबंधन पर भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी के मद्देनजर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के साथ-साथ पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का विलय कर नए जलशक्ति मंत्रालय का गठन कर दिया। मंत्रालय ने अपनी पहली बैठक में ही 2024 तक देश के 'हर घर नल से जल' पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर दिया। पांच साल के अंदर 14 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाना असंभव नहीं तो मुश्किल काम जरूर है। देश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल की रिश्ति बेहद गंभीर है।

नीति आयोग ने 2018 में अपने दृष्टिकोण-पत्र में बताया था कि 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। हर साल दो लाख लोग साफ पानी न मिलने से होने वाली बीमारियों के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। ऐसे में गांवों और शहरों में हर घर तक साफ पेयजल की आपूर्ति एक बड़ा अभियान है लेकिन जिस इच्छाशक्ति के साथ केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को पूरा किया, उसे देखते हुए लगता है कि स्वच्छ पेयजल आपूर्ति मिशन भी तय समय-सीमा तक लक्ष्य प्राप्त कर लेगा।

हालांकि सबको शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए अतीत में भी कई योजनाएं बनी हैं लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। उसकी कई वजहें भी रहीं। 2014 में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को पुनर्गठित करते हुए इसे परिणामोन्मुखी और प्रतिस्पर्धी बनाया। नतीजा यह हुआ कि जहां 2013-14 में गांवों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की वृद्धि दर 12 फीसदी थी तो वो 2017-18 में बढ़कर 17 फीसदी हो गई। इस कार्यक्रम के तहत फरवरी 2017 में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता योजना शुरू की गई। ये बात भी देखनी होगी कि देश में औसत 117 सेंटीमीटर बारिश होती है जिसमें महज छह प्रतिशत का ही भंडारण हो पाता है। अब सरकार की योजना में भूजल और सतह के जल दोनों के इस्तेमाल पर जोर है, ये क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों पर निर्भर रहेगा। जिस तरह स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता दूत बनाए गए थे, उसी तरह सरकार जल संरक्षण पर जोर देने के लिए जलदूर्तों की नियुक्ति करेगी।

संक्षेप में, केंद्र और राज्य सरकारों की जो दृढ़ इच्छाशक्ति, बजट आवंटन, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल और पूरी ताकत के साथ क्रियान्वयन का जो काम स्वच्छ भारत मिशन में हुआ है, वैसा ही वर्ष 2024-25 तक सभी के लिए शुद्ध पेयजल में ही होना चाहिए। किसी भी बड़े अभियान को किस तरह अंजाम तक पहुंचाया जाता है, ये बात सरकार दिखा चुकी है।

(लेखक चरिष्ठ पत्रकार हैं।)

ई-मेल : sunjayratun@gmail.com

जल जीवन मिशन

सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल प्रबंधन

महाराष्ट्र के कई जिलों में वर्षों तक सूखे, जल संकट और कम बारिश के चलते हालात बदतर हो गए हैं; साथ ही भूजल-स्तर खतरनाक दर से घट रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में सामुदायिक भागीदारी की सकारात्मक कहानियाँ उम्मीद की एक किरण के समान होती हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन की सफलता के लिए गांवों की जल आपूर्ति प्रणाली के दीर्घकालिक स्थायित्व में ग्राम पंचायतों, स्थानीय समुदायों और रामदास जैसे वास्तविक नायकों की नियोजन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, परिचालन और रखरखाव में भागीदारी व समुदायों की एकजुटता काफी अहम हो जाती है। यह लोगों का वास्तविक सशक्तीकरण है, जो हमारे संविधान में निहित है।

पानी को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसका सिर्फ प्रबंधन किया जा सकता है— यह बात कहते समय रामदास का चेहरा दृढ़ और उनका लहजा ज्यादा नियंत्रित हो जाता है। पुणे जिले के एक जल की कमी वाले क्षेत्र के उप-सरपंच के नाते अपने गांव के लोगों को एक-एक बूंद पानी के लिए परेशान होते और संघर्ष करते हुए देखकर उनमें यह समझ विकसित हुई है।

रामदास पुणे के उगलवाड़ी गांव में 927 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बस्ती भोजनवाड़ी के नागरिक हैं, जहां लगभग 40 परिवार रहते हैं। वर्षों से वह अपने समुदाय विशेष रूप से महिलाओं को स्वच्छ पानी के गंभीर संकट के बीच मुश्किलों भरा जीवन जीते देखते आए हैं। गांव की ऊंची स्थलाकृति के चलते गांव से इस बस्ती तक पाइप से पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराना खासा मुश्किल हो गया था, चूंकि गांव काफी नीचे स्थित था।

उगलवाड़ी के मुख्य गांव (गावथन) में नल से पानी की आपूर्ति की व्यवस्था है, जहां नदी से निकाला गया पानी पंप से ऊपर पहुंचाया जाता है और एक तालाब में भरा जाता है, जहां से उसे मुख्य गांव के हर घर तक वितरित किया जाता है। लेकिन भोजनवाड़ी अपनी पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह स्थानीय भूजल स्रोतों पर निर्भर है, क्योंकि वह पहाड़ी ढलान पर स्थित है और यहां की जमीन खासी पथरीली है। इसलिए यहां पर भूजल की संभावनाएं काफी सीमित हैं। इससे पहले, भोजनवाड़ी अपनी पेयजल और घरेलू जल की जरूरतों के लिए 'शिवकालीन टैंक योजना' के अंतर्गत सख्त चट्टानों पर बने तालाब पर निर्भर था। इसका प्रवाह सीमित था और समुदाय को गर्म मौसम के दौरान पानी के संकट से जूझना पड़ता था। समुदाय को पानी लेने के लिए 500 मीटर तक की चढ़ाई करनी पड़ती थी।

समुदाय विशेष रूप से महिलाओं की मुश्किलों को कम करने के क्रम में रामदास ने अपनी बस्ती तक स्वच्छ जल लाने के काम की अगुआई की। इसे हासिल करने के लिए, बस्ती के पास एक 5,000 लीटर क्षमता के तालाब का निर्माण कराया गया। इससे समय की बचत में सहायता मिली और दूरी से समुदाय तक पानी लाने की दिशा में प्रयास किए गए। शिवकालीन टैंक से साइफन विधि से तालाब तक पानी लाया गया और इसे नल कनेक्शनों

जल जीवन मिशन को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है। इसके तहत 2024 तक गांवों के हर घर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा (अर्थात् 55 लीटर जल प्रति व्यक्ति, प्रति दिन की दर) और निर्धारित गुणवत्ता युक्त पीने योग्य पानी की हर ग्रामीण परिवार को आपूर्ति सुनिश्चित कराना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में यह जानकारी दी कि जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में एक साल की इस अवधि में 2 करोड़ परिवारों को नल का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। एक लाख से अधिक परिवारों को प्रतिदिन पेयजल का कनेक्शन दिया जा रहा है।

के माध्यम से सभी 40 घरों तक वितरित किया गया। तालाब की भंडारण क्षमता में सुधार के लिए यूनिसेफ— मुंबई समर्थित 'आशा की बूंदें' और जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसे गहरा किया गया तथा इसकी मरम्मत की गई।

पानी के उपयोग को सुगम बनाने और गुणवत्ता बनाए रखने के क्रम में उन्होंने लोगों को एकजुट किया और साल भर बस्ती की पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन करने की जरूरत के बारे में बताया। समुदाय ने पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स भी विकसित किए। भोजनवाड़ी के लोगों ने सिर्फ मानसून के दौरान साइफन प्रणाली द्वारा पानी के उपयोग का फैसला किया, जब तालाब में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। शेष आठ महीनों में समुदाय शिवकालीन तालाब से पानी निकालता है। इस तरीके से, समुदाय पानी के अत्यधिक उपयोग पर नियंत्रण बनाए रखता है। तालाब में पानी की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए सख्त निगरानी की जाती है और लोगों को तालाब के पास कपड़े धोने से रोका जाता है। साथ ही, उन्हें तालाब में जानवरों को उतारने की अनुमति नहीं दी जाती है।

यह सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से विकेंद्रीयकृत जल प्रबंधन का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। पानी के विवेकपूर्ण उपयोग से, यहां तक कि गर्मियों के दौरान भोजनवाड़ी में पानी की कमी अब बीते दिनों की बात हो गई है।

मध्यप्रदेश में आदिवासियों के घरों में 'नल से जल'

स्थानीय समुदाय ने जलापूर्ति के नियमित संचालन और रखरखाव का उठाया बीड़ा

प्रातःकाल मुन्नी देवी के लिए आभार व्यक्त करने का समय होता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के कोलार गांव की निवासी मुन्नी देवी जैसे तो अपने गांव की किसी भी अन्य महिला की भांति ही सुबह के समय अत्यंत व्यस्त रहती है, लेकिन उसकी दिनचर्या में प्रार्थना की विशेष अहमियत है। प्रार्थना की पूरी तैयारी हो चुकी है और शीघ्र ही उसका छोटा-सा घर धूप एवं ताजा हवा की खुशबू से भर जाता है और जैसे ही मुन्नी देवी 'नल' पर निकल लगी है, उसका सिर कृतज्ञता व श्रद्धा भाव से झुक जाता है। अच्छी तरह से सजा हुआ नल दरअसल उसके लिए किसी भगवान की मूर्ति से कम नहीं है क्योंकि यह नल पवित्र नदी 'सोन' से पानी लाता है, जो उसके लिए छोटी गंगा की तरह है। इससे पहले वह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक या दो साल में एक बार 150 किलोमीटर की यात्रा कर अमरकंटक नदी के उद्गम पर जाया करती थी, लेकिन अब शोधन के बाद उसी नदी के जल की आपूर्ति उसके घर पर नल कनेक्शन के माध्यम से की जाती है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किए जा रहे 'जल जीवन मिशन' का उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से और लंबे समय तक निर्धारित गुणवत्ता वाला पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना है। राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन के लिए 1,280 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। राज्य में 1.21 करोड़ ग्रामीण घरों में से 13.52 लाख को नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में 26.7 लाख घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। अब तक 5.5 लाख नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

मुन्नी वाई के कोलार गांव में 271 घर हैं। कृषि और पशुपालन गांव में आजीविका के मुख्य स्रोत हैं। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय और एक आंगनवाड़ी केंद्र है। इससे पहले ग्रामीणों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत एक नलकूप और हैंडपंप थे, जो आमतौर पर गर्मियों के मौसम में सूख जाते थे, जिससे ग्रामीणों का जल संकट और भी गहरा जाता था। मुन्नी वाई ने कहा, "इस नल कनेक्शन से पहले मुझे पास के एक कुएं से पानी लाना पड़ता था और गर्मी के मौसम में मैं थिलथिलाती गर्मी में 1.2 किलोमीटर पैदल चलकर पीने का पानी लाती थी।" मध्य प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन करने के कारणों में भीषण गर्मी और जल की कमी शामिल रहे हैं। नल कनेक्शनों के अभाव ने इस क्षेत्र की कई महिलाओं और लड़कियों के जीवन को प्रभावित किया,

जिससे उनका जीवन-स्तर बेहतर नहीं हो पा रहा था और स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या काफी अधिक हो गई थी। कई बार तो पानी की कमी की समस्या इतनी अधिक गंभीर हो जाती थी कि ग्रामीण खुले में शौच का सहारा लेने पर विवश हो जाते थे, क्योंकि पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता था।

जल की कमी की समस्या के समाधान और एक टिकाऊ पेयजल योजना प्रदान करने के लिए एमपी जल निगम ने सतही जलस्रोतों के आधार पर एक बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया। मध्य प्रदेश जल निगम मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के मानपुर ब्लॉक के 19 गांवों को कवर करते हुए एक बहुग्राम जलापूर्ति योजना लागू कर रहा है जिसके जरिए नल-जल कनेक्शनों के माध्यम से 61,294 की अनुमानित आबादी को शोधित पेयजल प्रदान किया जा रहा है। मानपुर बहुग्राम ग्रामीण जलापूर्ति योजना दरअसल ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजनाओं में से एक है। राज्य और देश में पहले से लागू ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम से मिली सीख और समीक्षाओं से यह महसूस किया गया है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि 'एमपीजेएनएम' योजना कार्यान्वयन



वॉटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0

जल शक्ति मंत्रालय के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक देश में जल संरक्षण को जनादोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मज़बूत बनाना है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषय पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से 1 सितंबर, 2020 से 'वॉटर हीरोज- शेर योर स्टोरीज़' (जल नायक- अपनी कहानी बताएं) प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है।

इस वॉटर हीरोज प्रतियोगिता से पूरे भारत से जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिलने और उनके संग्रहित होने की उम्मीद है। यह भी उम्मीद है कि देश में ऐसे प्रयासों के प्रचार से इस क्षेत्र में ज्यादा परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहन मिलेगा। पुरस्कारों पर विचार के लिए हर महीने (सितंबर, 2020 से) प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। पुरस्कार के लिए हर महीने अधिकतम 10 प्रविष्टियों पर विचार किया जा सकता है। सभी चयनित प्रविष्टियों को 10,000 रुपये (प्रत्येक) का नकद पुरस्कार और एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी भागीदारों को 1-5 मिनट (300 शब्दों के लेख और कुछ फोटोग्राफ सहित) के विशेष वीडियो के माध्यम से जल संरक्षण पर अपनी सफलता की कहानी पोस्ट करनी होगी, जिसमें जल संसाधनों के संरक्षण तथा प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयासों और उल्लेखनीय योगदानों का वर्णन करना होगा।

इसमें भाग लेने वाले माईगॉव पोर्टल (www.mygov.in) पर अपने वीडियो (अपने यूट्यूब वीडियो के लिंक के साथ) साझा कर सकते हैं। माईगॉव पोर्टल के अलावा waterheroes.cgwb@gmail.com पर भी प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। प्रतिभागियों को कमेंट सेक्शन में सिर्फ अपने वीडियो के यूट्यूब लिंक का उल्लेख करने और पूरा वीडियो अपलोड नहीं करने की सलाह दी जाती है। यह प्रतियोगिता 31 अगस्त, 2021 को समाप्त हो जाएगी।

के प्रत्येक स्तर पर समुदाय को शामिल करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहा है।

जनसभाएं, ग्रामसभाएं, स्ट्रीट प्ले, स्कूल रैलियों जैसी आरंभिक गतिविधियां गांवों के समुदायों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित कर रही हैं, जो साझेदार निकायों के रूप में एनजीओ की हायरिंग सेवाओं द्वारा आयोजित की जाती है।

समुदाय की भागीदारी के लिए एक संस्थान की आवश्यकता के रूप में ग्रामीण-स्तर के एक संस्थान 'ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)' का गठन किया जाता है जिसका उद्देश्य हितधारकों में स्वामित्व की भावना को व्यवस्थित करना, शामिल करना और विकसित करना है। वीडब्ल्यूएससी का गठन ग्रामसभा की बैठक में और ग्रामसभा की मंजूरी के बाद ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। एनजीओ के साझेदार ने पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया। वीडब्ल्यूएससी के गठन के नियमों के अनुसार, वीडब्ल्यूएससी की संरचना में ग्रामीणों के सभी वर्गों की समान भागीदारी सुनिश्चित की गई जैसे कि 50 प्रतिशत महिलाओं को भागीदारी दी गई, एससी/एसटी एवं हाशिए पर पड़े वर्गों को शामिल किया गया और ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया। वीडब्ल्यूएससी गांव के भीतर जलापूर्ति योजना के संचालन और रखरखाव के लिए एक अधिकृत निकाय बन गई है।

गांव कोलार की वीडब्ल्यूएससी में इस समय 16 सदस्य हैं, जिनमें से 8 महिलाएं हैं। वीडब्ल्यूएससी आवश्यक सलाह भी दे रही है, समकक्ष दबाव डाल रही है और इसके साथ ही जल का दुरुपयोग करने वाले परिवारों के खिलाफ सांकेतिक कार्रवाई कर

रही है। वीडब्ल्यूएससी, कोलार अब तक 95 परिवारों से सिक्योरिटी एवं नए कनेक्शन प्रभार के रूप में 11,000 रुपये एकत्र कर चुकी है और इसके साथ ही इसने जल शुल्क के रूप में प्रति परिवार प्रति माह 80 रुपये एकत्र करना शुरू कर दिया है। अब मुन्नी देवी और अन्य महिलाओं को अपनी दुर्दशा एवं कठोर श्रम से मुक्ति मिल रही है।

जल जीवन मिशन 'एक अहम मोड़ वाले पड़ाव' तक पहुंच रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के इस आदिवासी गांव ने यह साबित कर दिखाया है कि स्थानीय समुदाय को जलापूर्ति का प्रबंधन करने के साथ-साथ गांवों के भीतर इसके संचालन और रखरखाव का पूरा ख्याल रखने का भरोसा स्वयं पर रहता है। इसका अन्य गांवों पर भी आगे आने और अपने-अपने जल संसाधनों के साथ-साथ लंबे समय तक जलापूर्ति का प्रबंधन करने के लिए स्पष्ट रूप से ठोस एवं अनुकरणीय प्रभाव पड़ेगा। सुदूर गांवों में हो रही यह मौन क्रांति प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावकारी प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका को बचा करती है। 'जल जीवन मिशन' सही मायनों में जमीनी-स्तर पर अनुकूल एवं उत्तरदायी नेतृत्व विकसित करने में अत्यंत मददगार साबित हो रहा है।

यह लोगों का वास्तविक सशक्तीकरण है, जिसकी परिकल्पना जल जीवन मिशन के तहत की गई है। स्थानीय समुदाय को गांवों में जलापूर्ति योजनाओं के नियोजन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी, ताकि प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित रूप से और लंबे समय तक पेयजल की आपूर्ति हो सके।

स्रोत : पीआईडी

आर. एन. आई. 1708/57

डाक-नं. पंजीकरण संख्या: डी.एन. (एम.) 05/3164/2018-20

आई.एस.बी.एन. 9781-8451-1-54-2018-20



विन्सी से डाक से डालने के लिए उपयुक्त पृ. (डी.एन.) 54/2018-20

01 अक्टूबर, 2020 को प्रकाशित एवं 3-6 अक्टूबर, 2020 को डाक द्वारा जारी



P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

हमारे नए प्रकाशन



दुनिदा ई-बुक
एमेज़ॉन और गूगल प्ले
पर उपलब्ध

गांधी साहित्य, भारतीय इतिहास, जाने-माने व्यक्तियों की जीवनियां, उनके भाषण और लेखन, आधुनिक भारत के निर्माता शृंखला की पुस्तकें, कला एवं संस्कृति, बाल साहित्य



प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

हमारे पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

जोड़ा के लिए कृपया संपर्क करें। फोन: 011-24365009, ई-मेल: businesswing@publicationsdiv.in

44साइट www.publicationsdivision.nic.in



प्रकाशक और मुद्रक: मोनोटीपा एम. मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
मुद्रक: जे.के. ऑफसेट, पी-278, आंधला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वॉरिध संपादक: ललिता खुराना